राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ५] द्वितीय विधान सभा के पंचम सत्र, १९५९ का २५वां दिवस [संख्या १६

गुरुवार, १२ मार्च, १९५९

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर ७ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री लक्ष्मीचन्द : ट्रेज़री बैंचेज़ खाली हैं।

एक माननीय सदस्य : मिनिस्टर्स में से कोई नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : There is one to represent.

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ४९२

श्री अर्जुनदास।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास : इस प्रश्न का उत्तर अगले टर्न पर दिया जायगा।

(अनवरत हंसी)

कुछ माननीय सदस्य : यह प्रश्न तो पूछा ही नहीं गया है।

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

सोजत नगरपालिका में अव्यवस्था एवं गड़बड़ घोटाला

४९३. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि सोजत नगरपालिका में अव्यवस्था व गड़बड़ घोटाला है ?

(ख) क्या सोजत नगरपालिका के अध्यक्ष, सदस्यों व कर्मचारियों पर अनेकों फौज़दारी मुकद्दमें चल रहे हैं व नगरपालिका पर भी अध्यक्ष व सदस्यों की घोर अव्यवस्था के कारण कई हरजाने के मुकद्दमें चल रहे हैं व भविष्य में भी चलने की संभावना है, जिससे नगरपालिका को बड़ा नुकसान हो सकता है ? ऐसी दशा में क्या सरकार नगरपालिका को भंग करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

Page No.2

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास, स्वायत्त शासन मंत्री की ओर से) : (क) सोजत नगरपालिका के विरुद्ध बहुत सी शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं।

(ख) नगरपालिकाध्यक्ष व कर्मचारियों के विरुद्ध अवैध रूप से व्यापार किये जाने का एक मुकद्दमा श्री मंगलचन्द नामक व्यक्ति द्वारा दायर किया हुआ है। इसके अतिरिक्त हरजाने सम्बन्धी भी कुछ मुकद्दमें नगरपालिका के विरुद्ध चल रहे हैं। नगरपालिका की शिकायतों की जांच सहायक स्थानीय निकाय द्वारा कर ली गई है। जांच रिपोर्ट मिलने पर उचित कार्यवाही की जावेगी।

डॉ० चन्द्रकला : उक्त नगरपालिका के विरुद्ध क्या क्या शिकायतें किन किन के द्वारा आई हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : दो तो यही हैं कि व्यवहार ठीक नहीं है अवैध व्यापार और अतिरिक्त हरजाने।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सही है कि सोजत नगरपालिका के नगरपालिका अध्यक्ष ने बिना बजट की स्वीकृति के, बिना टैक्निकल सलाह के और बिना टेन्डर कॉल किये, निर्माण कार्य चलाये ?

श्री रामकिशोर व्यास : इतनी डिटेल्स तो मेरे पास नहीं हैं पर हां रोड के बारे में शिकायत है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सही है कि नगरपालिकाध्यक्ष ने नाजायज़ तौर पर नगरपालिका की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : नगर पालिकाध्यक्ष के खिलाफ घोटाले के कितने मामले हैं, जो माननीय सदस्या ने पूछा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : घोटाले का तो कोई मामला नहीं, इसी तरह की शिकायतें हैं कि चबूतरी तुड़वा दी, अतिरिक्त कर ले लिया इसी तरह की शिकायतें हैं।

श्री श्रीभानसिंह : जब गवर्नमेंट के ध्यान में ये मामले आये तो क्या एक्शन लिया गया ? कोई एन्क्वायरी की या क्या किया ?

श्री रामकिशोर व्यास : एन्क्वायरी बैठाई जो पूरी हो चुकी है, रिपोर्ट आने पर एक्शन लिया जायगा।

श्री श्रीभानसिंह : यह एन्क्वायरी एन्टी करप्शन के ज़रिये करवाई या और किसी के ज़रिये ?

श्री रामकिशोर व्यास : असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर को दी।

प्रश्न संख्या ४६४

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल।

मर्दाना अस्पताल बीकानेर में डॉक्टर द्वारा पक्की पट्टी बांधने की एवज में धन की वसूली

४६५. **श्री गिरधारीलाल** (नोखा) :

Page No.3

(श्री गिरधारीलाल)

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि मर्दाने अस्पताल बीकानेर के डॉक्टर अर्जुनसिंह ने तारीख १५ नवम्बर को दिन के साढ़े बारह बजे मरीज़ छगनलाल राजगढ़ निवासी के टूटे हुए हाथ के पक्की पट्टी बन्धवाने की एवज़ में ३०) रुपये, उनके व्यक्ति भालचन्द सोनी से लिये ?

गृह मंत्री, (श्री रामकिशोर व्यास, स्वास्थ्य मंत्री की ओर से) जी नहीं।

श्री गिरधारीलाल : डॉ० अर्जनसिंह ने छगनलाल के पट्टी नहीं बांधी या रुपये नहीं लिये, यह किसका जवाब आपने दिया है ?

श्री रामशोर व्यास : आपने ३०)रु० लेने की बात कही, उसका जवाब दिया है।

श्री गिरधारीलाल : क्या यह सही है कि अर्जनसिंह ने छगनलाल नाम के व्यक्ति के पट्टी बांधी थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : फर्स्ट एड किया था।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी।

तस्कर व्यापारी, नूरमुहम्मद का पार चले जाना

४६६. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा-डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) द्वारा पूछा गया):

Will the Home Minister be pleased to state :—

(a) What is the outcome of the police investigation into the sensational escape to the border of the notorious smuggler Noor Mohd. of Barmer ?

(b) Is it correct that he was arrested on June 21, 1958 after a brief encounter and 900 tolas of contraband gold was recovered from him ?

(c) Is it correct that a case was registered against him under Sec. 307 I. P. C. but he was acquitted on 3-12-58 by the Magistrate ?

(d) Is it correct that with the connivance of the police he was carried in a jeep from the Jail gate to the Pakistan border and allowed to cross it ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (ए) नूरमोहम्मद किसी कानूनी हिरासत से नहीं भागा किन्तु दफा ३०७, ताजीरात हिन्द के अन्तर्गत एक मुकद्मे में रिहा हो जाने के फलस्वरूप जेल से छूटने के पश्चात् शीघ्र ही पाकिस्तान भाग गया अतः इस मामले में कोई तफतीश नहीं की गई ?

(बी) जी हां, दिनांक २२-६-५८ को मुठभेड़ के पश्चात् उसे गिरफ्तार किया गया और ८७४ तोला सोना बरामद किया गया न कि ६०० तोला जैसा कि प्रश्न में अंकित है।

(सी) उसे दफा ३०७ ताजीरात हिन्द के मुकद्मे में २०-११-५८ को रिहा किया गया, न कि ३०-१२-५८ को।

(डी) जी नहीं, यह सर्वथा असत्य है।

Page No.4

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : जिन लोगों ने इनकी बेल दी थी और उस पर हस्ताक्षर किये थे उनके खिलाफ गवर्नमेंट ने क्या कार्यवाही की ?

श्री रामकिशोर व्यास : केस में क्वीट हो गया और मुल्जिम चला गया।

डॉ॰ बहादुरसिंह (धौलपुर) : ६०० तोला सोना मिला था।

श्री रामकिशोर व्यास : अन्कॉउन्टर पर पकड़ा है।

श्री उपाध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

ग्राम नगर तहसील देवली में मवेशियों का मेला

४६७. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि ग्राम नगर तहसील देवली में कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा को मवेशियों का मेला भरता है ?

(२) तारीख २६-११-५८ से जो कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा का मेला भरा उसका प्रबन्ध किसके द्वारा किया गया ?

(३) इस मेले की आय और व्यय कितनी कितनी रही ?

उप मंत्री स्वायत्त शासन विभाग (श्री दौलतराम सारण) (१) जी हां।

(२) सरपंच के नेतृत्व में मेला समिति द्वारा।

(३) आय ६०००) रुपया हुई व खर्च १५००) हुए।

रावराजा श्री सरदारसिंह : कमेटी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

श्री दौलतराम सारण : मेले की व्यवस्था के लिये।

रावराजा श्री सरदारसिंह : सरपंच और पंचायत का चुनाव नहीं हुआ था फिर किसने समिति बनाई ?

श्री दौलतराम सारण : सरपंच और उसके नेतृत्व्य में मेला समिति बनाई गई ताकि मेले की अच्छी व्यवस्था की जा सके।

रावराजा श्री सरदारसिंह : हमेशा वहां पर मेले की व्यवस्था सरपंच और पंचायत के पंच करते हैं तो अब की बार आपने यह कमेटी किस आधार पर बनायी ?

श्री दौलतराम सारण : यह तो मैं नहीं कह सकता कि किस आधार पर बनायी। मेले की व्यवस्था के लिए बनाई गई थी, यह मेरे पास सूचना है। सरपंच के नेतृत्व में ही मेला समिति बनाई गई थी।

रावराजा श्री सरदारसिंह : सब जगह पंचायत के चुनाव नहीं होते सरपंच के नहीं होना वहां कमेटी बनाई जाती है लेकिन सरपंच मौजूद है, पंचायत के १६ मेम्बर भी मौजूद हैं उनको नहीं रखा गया और इन्स्पेक्टर टोंक ने यह कमेटी फिर किस आधार पर बनायी ?

श्री दौलतराम सारण : यह कमेटी किसने बनायी, पंचायत ने बनायी या इन्सपेक्टर

Page No.5

(श्री दौलतराम सारण)

ने बनायी, यह जानकारी मेरे पास नहीं है। जो आपने प्रश्न पूछा है उसकी जानकारी गवर्नमेंट को यह मिली है कि सरपंच के नेतृत्व में कमेटी बनी थी।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : कमेटी का चेयरमेन कौन है ?

श्री दौलतराम सारण : सरपंच के नेतृत्व में बनी।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपके पास जानकारी नहीं है कि किन आधारों पर यह कमेटी बनाई गई थी....

श्री रामकिशोर व्यास : मेले की व्यवस्था अच्छी हो, इसके लिए।

रावराजा श्री सरदारसिंह सरपंच की शिकायत थी या पंचों की....?

श्री रामकिशोर व्यास : सरपंच के अधिकार थोड़े ही छीने हैं, वह भी शामिल है ।

प्रश्न संख्या ४६८

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

नेशनेलाइज्ड पे स्केल्स का ज़िला बोर्डों पर लागू किया जाना

४६६. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या रेशनेलाइज्ड पे स्केल नियम १६५६ में, ज़िला बोर्ड कर्मचारियों के लिये, कोई व्यवस्था की गई है ?

(२) यदि हां, तो उस व्यवस्था के अनुसार लोकल बोडीज़ ने इन दो वर्षों के अर्से में क्या कदम उठाया ? अगर नहीं, तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास, स्वायत्त शासन मंत्री की ओर से) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न संख्या ५००

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थिति-कृपया आगे देखिये)

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

ज़िला बोर्ड के कर्मचारियों की पदोन्नति

५०१. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) ज़िला बोर्ड जयपुर के कर्मचारियों की पदोन्नति किस आधार पर की जाती है ?

(२) क्या पदोन्नति के समय वरिष्ठता का ध्यान दिया जाता है।

(३) क्या ज़िला बोर्ड ने कर्मचारियों की सीनियोरिटी लिस्ट घोषित की है ? यदि हां, तो कब ?

Page No.6

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास, स्वायत्त शासन मंत्री की ओर से) : (१) उनकी कार्य कुशलता, योग्यता व सीनियोरिटी के आधार पर।

(२) जी हां, वरिष्ठता के साथ साथ कार्य कुशलता व योग्यता पर भी ध्यान दिया जाता है।

(३) जी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरवलाल 'काला-बादल'।

बसों का किराया

५०२. **श्री भैरवलाल 'काला बादल'** (अकलेरा-सु.) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि जयपुर डिविज़न में किराया बस प्रति सवारी ६ पाई प्रति मील लिया जाता है ?

(ख) यदि हां, तो कोटा डिविज़न में बारां झालावाड़ रोड पर चलने वाली बसों का किराया प्रति व्यक्ति प्रति मील ८ पाई लेने का क्या कारण है ?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) कुछ मार्गों पर मोटर चालक अपनी मर्जी से ऐसा करते हैं जो नियम के विरुद्ध नहीं है।

(ख) ८ पाई प्रति सवारी निर्धारित रेट है जो 'ए' क्लास रूट पर ली जाती है।

श्री भैरवलाल 'काला बादल' : ८ गलती से छप गया है उस रूट पर १२ पाई की सवारी की माइल ली जाती है।

श्री नाथूराम मिर्धा : १२ पाई की रेट ही नहीं है। फर्स्ट रूट ८ पाई, बी पर ११ और सी पर १४ पाई है। १२ तो है ही नहीं। जहां ८ पाई मुकर्रर है वहां मोटर मालिक स्वेच्छा से कम भी ले सकते हैं।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): १२ पाई लेते हैं तो कार्यवाही करेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बराबर।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : १२ पाई ले रहे हैं उसकी सूचना देता हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप इसकी शिकायत भेज दीजिये जांच करा ली जायगी और कार्यवाही की जायगी।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : क्या किराया बढ़ाया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उल्टा घटाया है। आपने प्रश्न यह पूछा है कि क्या सत्य है कि जयपुर डिविज़न में किराया बस प्रति सवारी ६ पाई प्रति मील लिया जाता है मैंने कहा कि मोटर मालिक स्वेच्छा से ले सकते हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : बारां झालावाड़ कौनसे रूट का है और क्या किराया होना चाहिये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ८ पाई बताया। ए क्लास रूट है।

श्री भैरवलाल 'कालबादल' : १२ पाई की सवारी वसूल करते हैं उसके लिए क्या किया ?

Page No.7

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने आपको बता तो दिया। शिकायत कीजिये, कानूनी कार्यवाही करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामेश्वरदयाल।

सन् १६५८–५६ में अस्पतालों पर व्यय

५०३. **श्री रामेश्वर दयाल** (कोटा): क्या चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १६५८-५६ के वर्ष में अस्पतालों पर प्रत्येक ज़िले में कितनी कितनी धन राशि खर्च की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) राजस्थान में हर डिविज़नल हैडक्वार्टर पर शफाखानों मे कितने कितने बैड्स का प्रबन्ध है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास स्वास्थ्य मन्त्री की ओर से): (क) वित्तीय वर्ष १६५८-५६ में १५ फरवरी १६५६ तक अस्पतालों पर खर्च की गई धनराशि की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री रामेश्वर दयाल : The number of beds on various divisional Headquarters is like this in the list :—

Jodhpur-906.

Ajmer 401

Kotah 100

The number of beds at Kotah divisional headquarters has been only 1/4th of the number at other divisional headquarter. Does it not amount to a step motherly treatment ?

श्री रामकिशोर व्यास : अस्पतालों के लिए स्टेप मदरली ट्रीटमेन्ट तो नहीं है। अभी तो वहां नई बिल्डिंग बनाई है। जो पहले की जहां जहां परिस्थिति थी जोधपुर में पहले हॉस्पिटल था, बीकानेर, उदयपुर में भी था उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बैड्स भी बढ़ायेंगे।

श्री रामेश्वरदयाल : Eight lacs of Rupees ware contributed by His Highness Kotah ....

श्री रामकिशोर व्यास : और भी खर्चे आते हैं।

श्री रामेश्वरदयाल : What is the policy of the Government regarding hospitals at the divisional Headquarters ?

श्री रामकिशोर व्यास : अच्छे से अच्छे बने और चले।

श्री रामेश्वर दयाल : Regarding beds I wanted to know ?

श्री उपाध्यक्ष : It is equally applicable to the beds also.

प्रश्न संख्या ५०४

श्री रामनारायण वर्मा

(अनुपस्थित)

Page No.8

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न संख्या ५०५

श्री शंकरलाल

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीचंद ।

मानसिक अस्पताल जयपुर में अपर्याप्त बैड्स

५०६. **श्री लक्ष्मीचंद** (सांचोर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) मानसिक अस्पताल जयपुर में कितने रोगियों को भरती करने की व्यवस्था है ?

(२) क्या यह सत्य है कि रोगियों को भरती करने के लिए चारपाइयों की कमी होने के कारण काफी मरीजों को निराश हो कर लौटना पड़ता है ? यदि हां, तो सरकार क्या उस कमी की पूर्ति करने का विचार रखती है ।

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास, स्वास्थ्य मंत्री की ओर से) : (१) १२० रोगियों की ।

(२) इस अस्पताल के लिए १२० रोग शैय्यायें स्वीकृत है फिर भी इस समय १८० रोगी भरती हैं ।

श्री लक्ष्मीचंद : भरती हैं, लेकिन भरती हैं उससे भी ज्यादा बीमार और आते हैं उनको निराश होकर जाना पड़ता है ।

श्री रामकिशोर व्यास: इसके लिए कोई प्लान नहीं ।

श्री लक्ष्मीचंद : क्या जवाब दिया गया मैंने सुना नहीं ।

श्री रामकिशोर व्यास : १२० बैड्स हैं और बढ़ाने का अभी प्लान नहीं है ।

श्री लक्ष्मीचंद : क्यों नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : अर्थ की कमी के कारण ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय ।

भंवरखोल के जंगल का ठेका

५०७. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा): क्या वन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) भंवरखोल चम्बल तराई, तहसील लाडपुर के जंगल का ठेका सन् ५५–५६ तथा ५६–५७ में किसको दिया गया था ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त ठेकेदारों ने निर्धारित जंगल से विशेष जंगल काटा था ?

(३) यदि हां, तो इस गलती का कौन जिम्मेदार है तथा उन्हें क्या दंड दिया गया है ?

वन मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा):(१) भंवर खो चम्बल चराई अकलगढ़ कूप का एक भाग है । अकलगढ़ कूप का ठेका सन् ५५–५६ तथा ५६–५७ में नहीं दिया गया यह ठेका सन् १९५७–५८ में श्री विशनदास सिंधी को दिया गया था ।

(२) सन् १९५८, ५९ में इस कूप के पास वाली भूमि में कुछ गैर कानून कटाई

Page No.9

(श्री नाथूराम मिर्धा)

पाई गई जो सिर पर भार ढोने वालों द्वारा की गई थी। ठेकेदार पर भी शक किया था अतः ठेकेदार की सब लकड़ी ज़ब्त कर ली गई व उसके विरुद्ध जांच जारी है।

(३) इस गलती के ज़िम्मेदारों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जा रही है। तीन फॉरिस्ट गार्डस को नौकरी से निकाल दिया गया। दो फॉरिस्टर्स व एक हैड गार्ड सस्पेन्ड कर दिये गये है व रेंज ऑफिसर के विरुद्ध जांच की जा रही है। कई मुल्ज़िम पाये गये जिनसे ५७३ रु० ५० न. पै. मुआवजे के तौर से वसूल कर लिये गये हैं व एक मुल्जिम के विरुद्ध केस चलाया गया व उसमें एक माह की सज़ा दी गई।

श्री रामेश्वर दयाल : क्या लाडपुर तहसील के जंगल का डिमार्केशन हो गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह इस सवाल से सम्बन्ध नहीं रखता। ऑफ हैंड मुझे पता नहीं कि किसका डिमार्केशन हो गया।

श्री रामेश्वर दयाल : How does the Government say that the Contractor cut the forest beyond the coupes given to him ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कूप बनाते समय पूरा डिमार्केट किया जाता है।

श्री रामेश्वर दयाल : So you mean that the entire forest has been demarcated ?

श्री नाथूराम मिर्धा : No question of the entire forest. I am talking of the coupe and the coupe which has been cut out, it is the first highly demarcated.

रूपनगढ़ में डॉक्टर व कम्पाउन्डर के लिये क्वार्टर

५०८. श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को विदित है कि रूपनगढ़ में डॉक्टर व कम्पाउन्डर के लिये क्वार्टर्स न होने से उन्हें कष्ट है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार डॉक्टर और कम्पाउन्डर के लिये क्वार्टर बनाने का विचार रखती है ? यदि हां तो उसको कब तक कार्यान्वित किया जावेगा ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास,) स्वास्थ्य मंत्री की ओर से): (क) जी हां।

(ख) द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत अगले वर्ष के बिल्डिंग प्रोग्राम के लिये ३,००,००० रू० प्रस्थापित किये गये हैं। इस रकम के स्वीकृत होने पर दूसरे स्थानों से अगर रूपनगढ़, में डॉक्टर के लिये क्वार्टर बनाने की प्राथमिकता समझी जावेगी तो क्वार्टर बना दिया जावेगा।

प्रश्न सं० ५०६

श्री अध्यक्ष : श्री वली मोहम्मद

(अनुपस्थित)

श्री दयाकृष्ण विजय।

Page No.10

डिविज़नल पंचायत ऑफिसर्स

५१०. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): क्या स्वायत शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि १४ नवम्बर सन् १९५८ से डिविज़नल पंचायत ऑफिसर्स का पद हटा दिया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि ज़िला पंचायत ऑफिसर्स के रिक्रूटमेन्ट के लिये १९ व्यक्तियों को १४ नवम्बर को बुलाया गया था ?

(३) क्या यह सही है कि सिलेक्शन का कार्य इसलिए नहीं किया गया कि उस समय तक सिलेक्शन के रूल्स नहीं बने थे ?

(४) क्या यह सही है कि ये सभी व्यक्ति सरकारी खर्चे पर आये थे ?

(५) क्या डिविज़नल पंचायत ऑफिसर्स के पद को हटाने से पूर्व पंचायत एक्ट में इस अनुसार संशोधन कर दिया गया है ?

उप मंत्री स्वायत शासन विभाग (श्री दौलतराम सारण):

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) जी हां।

(५) इस बारे में कार्यवाही हो रही है।

श्री दयाकृष्ण विजय : जब आपने सिलेक्शन के रूल्स नहीं बनाये थे तो इन लोगों को इन्टरव्यू के लिये बुला कर सरकारी रुपये नहीं का खर्चा किस आधार पर किया ?

श्री दौलतराम सारण : यह सही है कि रूल्स नहीं बने थे चीफ पंचायत ऑफिसर जल्दबाज़ी में रूल्स बनाना भूल गये थे।

श्री दयाकृष्ण विजय : तो इस भूल के कारण जल्दबाज़ी में जो सरकार को आर्थिक हानि हुई क्या वह चीफ पंचायत आफिसर से वसूल की जायगी ?

श्री दौलतराम सारण : विभाग की इसमें थोड़ी जरूर गलती हो गई !

श्री दयाकृष्ण विजय : इस गलती के लिये कौन ज़िम्मेदार है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : विभागीय और ज़रूरी बात उनसे करनी थी की गई।

श्री दयाकृष्ण विजय : जब इन्टरव्यू के लिये बुलाया गया था तो और विभागीय बात क्या की गई ?

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : जिस टाइम पर उनको बुलाया गया क्या उसमें इस बात का भी उल्लेख था कि विभागीय बातचीत की जायगी और सिलेक्शन की बातचीत भी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जब वे लोग इन्टव्यू के लिये आये उस समय यह आपत्ति उठायी गई थी कि उनके लिये नियम नहीं बने इसलिये इन्टव्यू नहीं हो सकता।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या यह सही है कि जो सूचना पत्र भेजा गया था उसमें केवल इसी बात का उल्लेख था कि सिलेक्शन पर्पज़ के लिये बुलाया जा रहा है ?

Page No.11

श्री नाथूराम मिर्धा : इन्टरव्यू कार्ड्स भेजे थे।

श्री भैरोंसिंह : तो जब इन्टरव्यू के लिये कार्ड में उल्लेख था तो दूसरी विभागीय बातचीत कैसे कर ली गई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जब इन्टरव्यू नहीं हो सका तो डिपार्टमेंट को जो कुछ बातें पूछनी थी वह पूछ ली गई।

श्री भैरोंसिंह : जब एक पर्पज के लिये उनको बुलाया गया और वह पर्पज़ कम्पलीट नहीं था तो यह उस ऑफिसर पर डिपेन्ड करता है जिसने उनको इन्टरव्यू के लिये बुलाया उसके कारण जो फाइनेन्सियल इम्प-लीकेशन्स होने वाले थे या हुए उसका उत्तरदायित्व किस पर है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सवाल इतना पैदा नहीं होता यह बाद में नोटिस में आया हालांकि इन्टरव्यू के लिये बेसिक रूल्स बने हुपे थे लेकिन जब इन्ट्रीगेशन का सवाल आया उनमें चेन्ज करने की आवश्यकता महसूस हुई उसके अनुसार बाद में जब रूल्स टीक कर लिये जायेंगे इन्टरव्यू के लिये बुला लिया जायगा, यह जब हीं हुआ तो उनसे उनके जिले संबन्धी आपस में बैठकर बातें कर ली।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिन १६ व्यक्तियों को इन्टरव्यू के लिये बुलाया गया उनसे अलग से बैठकर बात चीत नहीं की गई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बातचीत हुई है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जो इन्टरव्यू कार्डस इश्यू किये गये, उसमें गवर्नमेंट की मन्जूरी ली गई थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हां गवर्नमेंट से पूछ लिया था।

श्री भैरोंसिंह : जब गवर्नमेंट ने इस प्रकार की मंजूरी दी तो क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह नहीं था कि सिलेक्शन के रूल्स नहीं बने तो इन्टरव्यू के लिये क्यों बुलाया जाय ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पंचायत विभाग के रूल्स बने हुए हैं रूल्स की तरह ही रिऑर्गेनाइजेशन होना था और उसमें रूल्स फिट-इन नहीं होते रूल्स में मॉडिफिकेशन करने की आवश्यकता है और उसमें चेन्ज करने के बाद उनका इन्टरव्यू किया जाय।

श्री भैरोंसिंह : क्या उस समय यह ध्यान में नहीं आया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ध्यान में होता तो यह बात नहीं होती।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय इन्टरव्यू के लिये कार्ड्स इश्यू करने का प्रश्न आया तो क्या उस समय सरकार के ध्यान में यह नहीं आया कि जो रूल्स बने हुए हैं वे इन कम्पलीट हैं इनको नये सिलेक्शन में फिट इन नहीं किया जा सकता तो फिर इन्टरव्यू कार्ड्स क्यों इश्यू किये गये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ध्यान में नहीं आया तभी तो हुआ।

श्री भैरोंसिंह : तो यह गलती हैड

Page No.12

(श्री भैरोंसिंह)

ऑफ दी डिपार्टमेन्ट की हुई या और किसी की ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप इसे गलती कह दीजिये, कल्ल कह दीजिये, हुई, यह फैक्ट है।

श्री भैरोंसिंह : जब सरकार से इस बारे में पूछ लिया गया था तो यह गलती किस लेवल पर हुई सरकार की या हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट की ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपके शब्दों में ही सारी चीजें कहूं यह ज़रूरी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : मुझे आप कहें या न कहें आपको हाउस में तो कहनी पड़ेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपकी धौंस से तो कोई बात कहूंगा नहीं।

श्री भैरोंसिंह : आप मिनिस्टर हैं। तो इससे हम भी डरने वाले नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हाउस को जो कुछ कहना था कह दिया आप चाहे जो कुछ ओपीनियन बना लें।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह स्पष्ट जानना चाहता हूं कि यह गलती किसकी हुई ? चीफ़ पंचायत ऑफिसर की या सरकार की ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप इसे कुछ भी समझिये मैंने आपसे कहा उनको इन्टरव्यू के लिए बुलाया गया वह नहीं हो सका और हमने उनसे विभाग के संबन्ध में जो कुछ बातचीत करनी थी, कर ली।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : यह जो इन्टरव्यू कार्ड्स भेजे गये क्या विभाग की तरफ से भेजे गये या सरकार की तरफ़ से ?

श्री नाथूराम मिर्धा : विभाग की तरफ से हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : Well, it is ranging in between the two investigations.

श्री भैरोंसिंह : The matter is very clear, whether the interview cards were not issued under the orders of the Government or the C. P. O. had issued them on his own will ?

श्री नाथूराम मिर्धा : गवर्नमेन्ट को चीफ पंचायत ऑफिसर ने लिख दिया गवर्नमेंट ने उसमें हां कर दी और इन्टरव्यू कार्ड्स इश्यू हो गये।

उदयपुर अजमेर बस सर्विस

५११. श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उदयपुर अजमेर रूट के लिये रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी, उदयपुर ने दर्ख्वास्तें मांगी थी ?

(ख) यदि हां, तो इस रूट के लिये कितनी दर्ख्वास्तें आयी थी ?

(ग) क्या उन दर्ख्वास्तों पर विचार करने के लिये कोई तारीख निश्चित की गई थी ?

Page No.13

(श्री सोहन लाल भटनागर)

(घ) क्या उक्त तारीख को उक्त दरख्वास्तों पर विचार किया गया ?

(ङ) यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

(च) क्या इस रूट पररटेज़ कैरेजेज़ लगाई जाने का विचार है ?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(क) हां।

(ख) २०५।

(ग) १५, १६, मई, १६५८ निश्चित की गई थी।

(घ) नहीं।

(ङ) चूंकि स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कॉरपोरेशन स्थापित करने की योजना सरकार के विचाराधीन है अतः इन्टर रीजनल रूट्स पर पर्मिट देना उचित नहीं समझा गया।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

श्री सोहनलाल भटनागर : क्या इस रूट का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री सोहनलाल भटनागर : जब वह मिटिंग स्थगित की गई तो क्या उससे पहले उनको सूचना नहीं दी गई ताकि २०५ व्यक्तियों को न आना पड़ता ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आना इस लिये पड़ा कि पहले तारीख मुकर्र हो गई थी उस समय तक यह स्कीम कोन्क्रीट रुप में सामने नहीं आयी थी।

पंचायतों को दिया गया गोचर भूमि का कब्जा

५१२. श्री वली मोहम्मद (चोहटन) : क्या स्वायत शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

बाड़मेर तहसील की किन किन पंचायतों को गोचर ज़मीन का कब्ज़ा स्थानीय तहसीलदार द्वारा दे दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

उप मंत्री स्वायतशासन विभाग (श्री दौलतराम सारण) : तहसील बाड़मेर में गोचर भूमि का कब्ज़ा अभी पंचायतों को नहीं दिया गया है।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्यों नहीं दिया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : डिमार्केशन नहीं हुआ, इसलिये।

आर० ए० सी० में नियुक्त किये गये डॉक्टर

५१३. डॉ. बहादुरसिंह (धौलपुर): क्या गृहमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) आर० ए० सी० में कितने डॉक्टर नियुक्त हैं। क्या वे जनसेवा आयोग या स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियुक्त किये गये हैं ?

(ख) क्या उक्त डॉक्टरों को आर० ए० सी० में अधिकारियों जैसी सुविधा दी जाती है या मेडीकल विभाग के डाक्टरों के समान सुविधायें दी जाती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

Page No.14

(डॉ० बहादुरसिंह)

(ग) क्या उक्त डॉक्टरों का स्थानान्तर मेडीकल विभाग में भी किया जाता है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास स्वास्थ्य मंत्री की ओर से):

(क) इस समय तीन डॉक्टर नियुक्त हैं। वे राजस्थान लोकसेवा आयोग द्वारा डाइरेक्टर मेडीकल हैल्थ सर्विसेज़ जयपुर की सहायता से लिये गये हैं।

(ख) यह डॉक्टर आर० ए० सी० के अफसरों के प्राप्त होने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं उठाते क्योंकि यह फोर्स में नहीं है। इन डॉक्टर्स को वेतन शृंखला मेडीकल विभाग के डॉक्टरों सी. ए. एस. क्लास सेकिंड के समान ही रखी गई है और उन्हें नॉन प्रेक्टिस अलाउन्स ७५ रुपया मासिक दिया जाता है।

(ग) जी नहीं, यह केवल पुलिस विभाग के लिये नियुक्त है। वैसे यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

डॉ० बहादुरसिंह : यह कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : अन्डर कन्सीडरेशन है।

डॉ० बहादुरसिंह : इन पर सर्विस. रुल्स कौन से लागू होते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मेडीकल डिपार्टमेंट के जो टर्म्स है वे इन पर भी लागू हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या यह सही है डाइरेक्टर ने यह लिखा है कि आप हमारी सर्विसेज़ में नहीं है ?

श्रीरामकिशोर व्यास : इनका सिलेक्शन पब्लिक सर्विस कमीशन ने किया है और इनके टर्म्स और इमोल्यूमेंट्स वे ही हैं जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स के होते हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या यह सही है कि डायरेक्टर ने ई० २८ सी १ २ ३६१ ५८ के लेटर में लिखा है कि आप हमारी सर्विसेज़ में नहीं है ?

श्री रामकिशोर व्यास : उनकी सर्विसेज़ में कहां से आये आर० ए० सी० के लिये उनका सिलेक्शन हुआ था और उनके मेडीकल साइड के इमोल्यूमेन्टस हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : सवाल यह है कि आर० ए० सी इनको मान्यता नहीं देती आपका मेडीकल और हैल्थ डिपार्टमेंट मान्यता नहीं देता आई० जी लिखता है कि मेडीकल डिपार्टमेंट से आपका संबंध है आखिर हम यह जानना चाहते हैं कि किस डिपार्टमेंट के रुल्स से वे गाइड होते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : What is the difficulty ? मैंने आपसे निवेदन किया कि हमारे यहां सी० एस० सेकिन्ड क्लास को जो वेतन मिलता है वह वेतन उनको मिलता है, और उनका सिलेक्शन पी० एस० सी० ने आर० ए० सी० के लिये किया। हमारे मेडीकल और हैल्थ विभाग में जो डाक्टर्स काम करते हैं उतना ही वेतन उनको मिलता है और वे ही रुल्स उन पर लागू होते हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : तो मेडिकल और हैल्थ डिपार्टमेंट ने यह कैसे लिख दिया कि

Page No.15

(डॉ० बहादुरसिंह)

हमारे रूल्स आप पर लागू नहीं होते ।

श्री रामकिशोर व्यास : यह इसलिये है कि एक्चुअल तो उनकी सर्विस में नहीं हैं पर फिर भी सर्विस तो कर रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न संख्या ५१४ ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑथोरिटी तो आपको सिर्फ ४८२ की है ।

श्री भैरोंसिंह : वह लिखने से रह गया होगा साहब ।

(हंसी)

बी. सी. जी. ऑफिसर के विरूद्ध जांच

५१४. **श्री अर्जनदास** (अजमेर), डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) द्वारा पूछा गया): Will the Health Minister be pleased to state :—

(a) Is it correct that the Accountant General, Rajasthan has reported various casesof misappropriation, defalcation etc. against Dr. R. C. Totuka, B. C. G. Officer formerly at Ajmer and now at Jaipur in the Inspection Report for 1957-58 ? Please place a copy of the report on the Table of the House ?

(b) If so, what action has the Government taken on it ? If not, why ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास, स्वास्थ्यमंत्री की ओर से) : (a) No such report of inspection has been received from the Accountant General, Rajasthan, so far.

(b) The question does not arise.

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या यह सही है कि इस डॉक्टर के खिलाफ कुछ शिकायतें इस विभाग के अन्दर आई हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : ऑडिट रिपोर्ट अभी आई नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : जब पहले ए. जी. ने ऑडिट किया तो इस प्रकार की इरेंगुलेरिटी पहले उस समय डिपार्टमेन्ट के नोटिस में आई ?

श्री रामकिशोर व्यास : रिपोर्ट आए तब होगा ।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न यह है कि इस प्रकार की इरेंगुलेरिटी पहले आई थी या नहीं डिपार्टमेन्ट के नोटिस में ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसकी सूचना नहीं आई ।

श्री भैरोंसिंह : तो फिर आप यह कैसे कहते हैं कि इरेंगुलेरिटी नहीं पाई गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने तो यह कहा कि No such report has been received.

प्रश्न संख्या ५१५

श्री उपाध्यक्ष : श्री लच्छूराम ।

(अनुपस्थित)

पंचायतों द्वारा सस्ते दर पर अनाज की मांग

५१६. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या सिविल सप्लाईज मिनिस्टर निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) बीकानेर ज़िले की कौन कौन सी तहसीलों की किन किन पंचायतों की ओर से सरकार के पास सस्ती दर पर अनाज मुहइया करने की मांग की गई तथा सरकार ने उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त गांवों के निवासियों को ऊंची कीमत पर अनाज बाजार से लेना पड़ता है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) बीकानेर ज़िले में पंचायतों की तरफ से सस्ते अनाज की दुकानों के लिये कुल १४ प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं। वे इस प्रकार हैं :

बीकानेर	११
लूणकरणसर	१
कोलायत	१
नोखा	१ कुल १४।

सरकार ने समस्त ज़िले में कुल ८२ सस्ते अनाज की दुकानें खोल रखी हैं।

(२) इस ज़िले की जनता गेहूं अत्यन्त कम मात्रा में उपयोग में लाती है क्योंकि यहां का मुख्य अनाज बाजरा है जो कि पर्याप्त मात्रा में १५) मन प्रति मन के भाव से उपलब्ध है इसलिये यह ठीक नहीं है कि ऊंची कीमत पर गेहूँ खरीदा जा रहा है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : किस जिले में १५ रुपया में उपलब्ध है ?

श्री रामकिशोर व्यास : वे अलग अलग जगहें हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : यह तो ठीक है अलग अलग जगहें हैं पर किस ज़िले में ? ज़िले का नाम पूछ रहा हूं।

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो बीकानेर की बात मैं कह रहा हूं।

श्री मुरलीधर व्यास : जो आपने कह दिया कि यह तो १५) में उपलब्ध है। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। बीकानेर तहसील में तो काल पड़ा था और आस पास में हर अनाज की कमी रही है। वहां तो अकाल की स्थिति है। अनाज मिलता ही कहां है।

श्री रामकिशोर व्यास : यह सूचना तो मेरे पास है नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने जो यह फरमाया कि १५) का भाव है यह किस आधार पर फरमाया ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो ऑफीशियल रिपोर्ट के आधार पर कहा है।

श्री मुरलीधर व्यास : यह रिपोर्ट गलत हो तो आप इसके लिये क्या करेंगे ? इस इलाके में तो काल पड़ा। तहसील लूणकरणसर में भी काल पड़ा वहां भी बाजरा नहीं मिलता, सस्ते दाम पर गेहूँ भी नहीं मिलता तो लोग क्या खावेंगे ? आप उस हालत से विपरीत यह बताते हैं कि १५) में उपलब्ध है। तो ये सारी बातें गलत हैं। लोग वहां बड़ी भारी दिक्कत में हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : आपने नई सूचना दी है। जानकारी करूंगा।

श्री भीमसेन : पिछले दो सालों से बीकानेर तहसील और लूणकरणसर तहसील में कहतसाली है। वहां अनाज मिल नहीं रहा है। बीकानेर शहर के लोगों को सरकारी, दुकानों से १४ रुपया कुछ आने मन के भाव पर गेहूं दे रहे हैं बाहर के लोगों के लिये क्या व्यवस्था करेंगे आप ? शहर में तो फिर भी मिल जाता है पर कहतसाली की वजह से बाहर तो गेहूं और बाजरा मिलता तक नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : यह प्रश्न बहुत महत्व का है।

श्री रामकिशोर व्यास : आपने यह सूचना दी, इसकी जानकारी करूंगा। मेरी सूचना के हिसाब से तो १५) मन में उपलब्ध है।

श्री मुरलीधर व्यास : १५) का भाव होगा कहां से ? दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आ नहीं सकता, वहां कहतसाली है। वहां तो मिलना ही दुर्लभ है फिर आप १५) रुपये की क्या बात करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कुमारी शन्नो देवी।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसका कोई जबाब नहीं दिया जा रहा है। सरकार ने दुकानें जो खोली वे ग्राम पंचायतों में खोली या अर्बन एरिया में खोली। आपने इतनी दुकानें खोलने की बात कही, इतनी कहां खोलीं, यह तो बताइये।

श्री रामकिशोर व्यास : आप सुन लीजिये।

श्री श्रीभानसिंह : आप कहें तो सुनूं।

(हंसी)

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो सवाल नहीं था, कहां कहां खुलीं, कितनी खुलीं यह सवाल था और इसका मैंने जवाब दे दिया कि ८२ खुली हैं।

श्री श्रीभानसिंह : पूछा है न कि किन किन पंचायतों की ओर से मांग की गई और इस पर क्या कार्यवाही सरकार ने की ?

श्री रामकिशोर व्यास : १० हजार से ऊपर की आबादी में ये दुकानें खोली हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर !!

श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी) : सवाल यह है कि पंचायतों को अनाज की दुकानें दी गई या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कहा न कि १० हज़ार की आबादी की जगह ये खोली गई हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : सिवाय बीकानेर के १० हज़ार से ऊपर की आबादी कहीं है नहीं, वहां तो। इससे तो दूसरे स्थानों पर आपने दुकानें खोली हैं यह बिलकुल गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री श्रीभानसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पूछा है कि सिवाय बीकानेर शहर के और कहीं दुकानें खुली नहीं हैं। इसका जवाब तो आना चाहिये।

श्री रामकिशोर व्यास : ज्यादातर कुछ बीकानेर में, कुछ नोखा में।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : आप आबादी की बात करते हैं, आवश्यकता नहीं देखते ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

बीदासर नगरपालिका की महिला कर्मचारियों का वेतन

५१७. कुमारी शन्नोदेवी (सुजानगढ़): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या नगरपालिका बीदासर तहसील सुजानगढ़ की महिला कर्मचारियों को पुरुषों की अपेक्षा कम वेतन मिलता है ? यदि हां, तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास स्वायत्त शासन मन्त्री की ओर से) : जी हां। मार्च, १९५२ में जो वेतन श्रम विभाग द्वारा निर्धारित किया गया था उनमें पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का वेतन कम रखा गया था और उसी के अनुसार बीदासर में उन लोगों को वेतन दिया जा रहा है।

प्रश्न संख्या ५१८

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

बीकानेर जिले की डिस्पेन्सरीज में चिकित्सकों का अभाव

५१९. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) बीकानेर ज़िले की कौन कौन सी डिस्पेन्सरियों में चिकित्सकों का कब से अभाव है ?

(२) क्या यह सही है कि इन डिस्पेन्सरियों में बीकानेर स्टेट के वक्त चिकित्सक नियुक्त थे ?

(३) सूरियां बास सेरेरां में फर्स्ट एड पोस्ट प्रारम्भ करने में क्या दिक्कतें महसूस की जा रही है ?

(४) कस्बा नापासर के राजकीय चिकित्सालय में मेटरनिटि केसेज़ को अटेन्ड करने के लिये क्या व्यवस्था है ? अगर कोई व्यवस्था नहीं है तो इसकी पूर्ति के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

गृह मंत्री (रामकिशोर व्यास) स्वास्थ्य मन्त्री की ओर से : (१) बीकानेर ज़िले की केसल पलाना डिस्पेन्सरी में दिनांक १-९-५८ से डॉक्टर नहीं है।

(२) जी हां।

(३) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केवल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाते हैं। डिस्पेन्सरी व एडपोस्ट खोलने के लिये कोई प्रावधान नहीं है।

(४) कोई व्यवस्था नहीं है। मिडवाईव्ज की इस समय कमी है और उनके उपलब्ध

(श्री रामकिशोर व्यास)

होने पर इस प्रश्न पर विचार किया जावेगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : यह जो महिलाओं के वेतन के बारे में....

श्री उपाध्यक्ष : We have come to the other question now. We have dealt with Shri Hari Shankarji and then we have now come to Shri Bhimsen.

श्री भीमसेन : उपाध्यक्ष महोदय, लूणकरणसर डिस्पेन्सरी में भी डॉक्टर नहीं है, गजनेर में था पहले, और अब नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास : मेरे पास तो पलाना की सूचना है। आपने फर्दर सूचना दी तो मैं जानकारी करूंगा।

श्री मुरलीधर व्यास : स्टेट के वक्त जिन स्थानों पर डॉक्टर नियुक्त थे अब उन पर नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास : इसके लिये पहले कई बार ज़िक्र आया था। करीब सौ दो सौ डॉक्टरों की राजस्थान में कमी है और वे जगहें खाली हैं। अब जैसे जैसे डॉक्टर उपलब्ध होते जाते हैं वैसे वैसे वे जगहें भरी जा रही हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : पहले वहां पर थे और अब नहीं है, यह बात कहां तक सही है, यह बताइये। हमने स्टेट का विकास किया तो आखिर कहां तक पहुंचे, यह मालूम तो पड़े।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने निवेदन किया न कि करीब २०० जगहें खाली हैं जैसे जैसे डॉक्टर आते जाते हैं हम उन जगहों को भरते जाते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : बीकानेर स्टेट में वहां पहले थे और अब नहीं हैं यह बात सही है क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : कहीं खास जगह के लिये पूछें तो जानकारी करके बता सकता हूं।

श्री मुरलीधर व्यास : जानकारी आप करते पहले। सवाल पूछा गया है कि किन किन डिस्पेन्सरियों में चिकित्सकों का अभाव है और इनमें बीकानेर स्टेट के वक्त नियुक्त थे क्या ? तो आप यह जानकारी देते कि इन इन जगहों पर पहले थे और अब नहीं हैं। यह प्रश्न तो हम आपसे पूछ रहे हैं। इसका जवाब आवे तो हम आगे सवाल करें और बतावें कि कहां नहीं हैं कहां हैं। तो मैंने कहा था कि स्टेट के वक्त थे और आज नहीं है वहां। यह बात तो सही है न ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट ?

प्रश्न संख्या ५२०

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

जिला जल बोर्ड, चूरू

५२१. श्री मोहरसिंह (चूरू) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) चुरू जिले में आज तक जल बोर्ड

Page No.20

(श्री मोहरसिंह)

के अन्तर्गत कुल कितनी रकम दी गई है।

(२) क्या यह सारी रकम सही ढंग से खर्च की जा चुकी है?

(३) यदि नहीं तो कहां कहां पर कितनी रकम सही ढंग से खर्च नहीं हुई है? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(४) जिन व्यक्तियों ने जल बोर्ड की रकम को दबाये रखा है उनसे वह रकम वापिस जमा कराने के अलावा सरकार और क्या कदम उठा रही है?

(५) क्या जल बोर्ड ज़िला चुरू का हिसाब ऑडिट हो चुका है? यदि हां, तो ऑडिट रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर प्रस्तुत करने की कृपा करें।

गृह मन्त्री (रामकिशोर व्यास) स्वायत्त शासन मंत्री की ओर से (१) ६,६१,२३१)।।। रुपये।

(२) आठ ग्रामों का हिसाब बोर्ड को प्राप्त नहीं हुआ है। बाकी रकम सही ढंग से खर्च की जा चुकी है।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) आठ ग्रामों का हिसाब अभी तक नहीं आया उन ग्रामों से रकम वसूली की कार्यवाही पब्लिक डिमान्ड रिकवरी एक्ट के तहत कलेक्टर चुरू द्वारा की जा रही है।

(५) ऑडिट का कार्य फरवरी, १९५९ में समाप्त हो चुका है तथा ऑडिट रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

श्री मोहरसिंह (चूरू) : आठ ग्राम कौन से हैं, नाम बता दीजिये।

श्री रामकिशोर व्यास : अमरसर, इदूसर, बीजाना, बरासर, सिद्धवास, बजरंगसर....

श्री मोहरसिंह : नींदराज़ और ढाणी का नाम नहीं आया है?

श्री रामकिशोर व्यास : जो नाम हैं वह मैंने बता दिये हैं?

श्री उपाध्यक्ष : वह नहीं हैं।

श्री मोहरसिंह : क्या वहां के मुताल्लिक आपके पास कोई शिकायत नहीं आई है?

श्री रामकिशोर व्यास : यह ८ ही गांवों के नाम हैं जो मैंने आपको अभी बताये।

श्री मोहरसिंह : इनके अलावा कालूवास और ढाणी का नाम नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास : उनका हिसाब आ गया।

श्री मोहरसिंह : क्या हिसाब आपकी दृष्टि में सही है?

श्री रामकिशोर व्यास : इन ८ गांवों के अलावा सब के हिसाब ठीक हैं। बाकी सभी गांवों के हिसाब आ गए।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : फरवरी ५९ से पहले कभी इसका ऑडिट हुआ था या नहीं?

श्री रामकिशोर व्यास : इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री अनोपसिंह : पी० डी० आर० के तहत कब से कार्यवाही चल रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास : डेट तो मेरे पास नहीं है कि कौनसी तारीख से आरम्भ हुई ?

श्री तनसिंह : क्या पहले कभी ऑडिट नहीं हुआ और जिसकी रिपोर्ट आपके पास प्रकाशित नहीं हुई है तो आप किस आधार पर कहते हैं कि सारा का सारा हिसाब सही है ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो चेक कर लिया है।

श्री मोहरसिंह : यह पी० डी० आर० के अन्तर्गत रिकवरी की कार्यवाही कब से चालू है ?

श्री रामकिशोर व्यास : तारीख मेरे पास नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन।

बीकानेर जिले की सड़कों का अर्थ वर्क

५२२. **श्री भीमसेन** (लूनकरणसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) सन् १६५८–५६ में अकाल के दौरान में बीकानेर ज़िले की किस किस सड़क पर अर्थ वर्क में कितनी धनराशि खर्च की गई ?

(२) क्या सरकार उन टुकड़ों को चालू वर्ष में पक्का बनाने का विचार रखतीहै ताकि अर्थ वर्क पर खर्च की गई राशि का उपयोग हो सके ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री : (श्री नाथूराम मिर्धा) (१)

(अ) बीकानेर डूंगरगढ़ पर २१४७८ रु०

(ब) बीकानेर भाप पर १३२४६ रु०

(स) कालू डूंगरगढ़ सड़क पर १४५४४ रु०

(२) जी नहीं।

श्री भीमसेन : यह अर्थ वर्क के काम को अभी इस समय पक्का नहीं बनाया जायेगा तो जितना भी खर्चा सरकार ने उस पर किया है वह वेस्ट जायेगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : उस पर अर्थ वर्क हुआ है और मिट्टी पड़ी हुई है। नम्बर १ और २ में तो जो सड़कें हैं वह इस साल में चालू नहीं करके दूसरे साल में कर रहे हैं। वैसे अभी पन्द्रह बीस दिन का ही मामला है, काम चालू हो जायेगा।

श्री भीमसेन : उपाध्यक्ष महोदय, चार मील का अर्थ वर्क हुआ है मगर उसको पक्का नहीं किया जायेगा तो सब खर्चा व्यर्थ जायेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : फेमिन में हम जितने काम शुरू कर सकते थे उतने किये हैं। अब पी०डब्ल्यू०डी० के पास पैसा नहीं है और फेमिन इस साल में नहीं हैं अब इसको कैसे कम्पलीट किया जाय तो इसके लिए कोई न कोई रास्ता निकालेंगे।

श्री भीमसेन : यह तो आपके सोचने की बात है। कोई खर्चा किया हुआ वेस्ट नहीं जाये इसलिये इसके लिए कोई न कोई तो होनी चाहिये ?

Page No.22

श्री नाथूराम मिर्धा : मिट्टी तो पड़ी है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : मिट्टी पड़ी नहीं रहती है उड़ जाती है।

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसी मिट्टी नहीं डाली है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामेश्वरदयाल।

कोटा–शिवपुरी सड़क

५२३. श्री रामेश्वरदयाल (कोटा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कोटा-शिवपुरी सड़क नेशनल हाईवे के अन्तर्गत आ गई है ?

(ख) क्या सरकार किशनगंज के पास पारवती नदी का पुल ऊंचा करने की योजना बना रही है जिससे यह मार्ग बरसात में भी चालू रह सके ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) अभी तक ऐसी कोई योजना नहीं है।

श्री रामेश्वरदयाल : What is the basis of declaring the national highway ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बेसिस तो स्टेट की तरफ से कुछ सड़कें जिनको मुख्य मार्ग माने जा सकते हैं और जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट को कनेक्ट करते हैं ऐसी सड़कों की लिस्ट हम भारत सरकार के सामने भेजते हैं सिफारिश करके कि इनको आप नेशनल हाईवे मानें। अब यह तो उनके फण्ड्स पर और ऑल इन्डिया स्टैंडर्ड को और दूसरी स्टेटों की डिमाण्ड्स को देखते हुए जिनको नेशनल हाईवे मान लेते हैं वही नेशनल हाईवे बनती हैं।

श्री रामेश्वरदयाल : I remind the Hon'ble Minister that this road also connects Ajmer which is in Rajasthan and Madhya Pradesh. So has the Government moved in the matter ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यों तो छोटे से छोटा सड़क का टुकड़ा हिन्दुस्तान के किसी भाग को जोड़ता है।

श्री रामेश्वरदयाल : It is about 300 miles.

श्री नाथूराम मिर्धा : आपको मैंने कहा कि सड़क का टुकड़ा चाहे वह कहीं भी बना हो हिन्दुस्तान के किसी भाग को जोड़ता है।

प्रश्न संख्या ५२४

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री मोहरसिंह

चूरू जिले की सहकारी समितियां

५२५. श्री मोहरसिंह (चूरू) : क्या मंत्री सहकारी विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) चूरू ज़िले में किस किस किस्म की कौन कौन सी सहकारी समितियां कब कब से बनी हुई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(श्री मोहरसिंह)

(ख) इन सहकारी समितियों को कितना कितना ऋण दिया हुआ है ?

(ग) इन समितियों के अकाउन्ट्स ऑडिट हुए या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों और यदि हां, तो कब कब ?

(घ) क्या किसी समिति के हिसाब में अनियमितताएं पाई गईं ? यदि हां, तो किस किस समिति के हिसाब में क्या क्या अनियमितताएं थीं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप मंत्री, सहकारी विभाग (श्री दौलतराम सारण) : (क) चूरू ज़िले में किस्मवार सहकारी समितियां कब कब से बनी हैं उनकी सूची परिशिष्ट 'क' सदन की मेज पर गई है।

(ख) जिन सहकारी समितियों को जितना जितना ऋण मिला हुआ है वह परिशिष्ट 'क' के कालम नम्बर ५ में दिया हुआ है।

(ग) ऑडिट का उल्लेख परिशिष्ट 'क' के कालम नम्बर ६ में कर दिया गया है।

(घ) अनियमितताओं के सम्बन्ध में सूची परिशिष्ट 'ख' सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(सूची अत्यधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री उपाध्यक्ष : श्री अर्जुनदास।

अभियुक्त पीरू, निवासी भाणा की गिरफ्तारी

४६२. श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम – श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) द्वारा पूछा गया): क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सब–डिविज़न राजसमन्द, तहसील राजसमन्द में अभियुक्त पीरू, निवासी भाणा को धारा ३०२ ताजीरात हिन्द के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया ?

(२) यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त अभियुक्त को २ महीने तक हिरासत में रखा गया ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त अभियुक्त के विरुद्ध स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल पर उसके पैरों के निशानात बरामद किये, उसके कब्जे से रक्त रंजित छुरी एवं उसके शरीर से रक्त रंजित कपड़ा बरामद किया एवं उक्त वाकयात के सम्बन्ध में अलग अलग पर्चे बनाये जाकर शहादत तैयार की गई ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त अभियुक्त पीरू से पुलिस डायरी में इकबाली बयान भी कराया गया ?

(५) क्या यह सही है कि उपरोक्त मामले में २ महीने के बाद असली अभियुक्त पकड़ा गया जिसके फलस्वरूप पुलिस द्वारा स्थानीय एस० डी० एम० के सम्मुख फाइनल रिपोर्ट पेश की गई ?

(६) क्या यह सही है कि फाइनल रिपोर्ट पर अभियुक्त को जमानत पर छोड़ते हुए स्थानीय एस०डी० एम० ने अपने निर्णय

(श्री अर्जुनदास)

में पुलिस की शहादत बनाने की प्रवृत्ति पर कुछ प्रकाश डाला है ?

(७) जब अभियुक्त पीरू नितांत निर्दोषी था तो ऐसी स्थिति में उसके विरुद्ध जो जाली शहादत पुलिस ने बनाई है, क्या सरकार ने उक्त आधार पर पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही आरम्भ की है ?

(८) अभियुक्त पीरू के विरुद्ध की जानेवाली तफतीश की ज़िम्मेदारी किन किन अधिकारियों पर रही है और उक्त वर्णित जाली शहादत बनाने में किनका हाथ रहा है ? क्या सरकार उपरोक्त मामले में बनाये गये पर्चेजात को सदन की मेज पर रखेगी ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : इसका जवाब अगले सप्ताह में दिया जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, क्या आपको इसकी सूचना पहले मिली है कि इस प्रश्न का उत्तर अगले सप्ताह में दिया जायेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो मैंने निवेदन कर दिया है।

श्री भैरोंसिंह : मगर उत्तर देने का कारण अगला सप्ताह क्यों है ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसका जवाब जो मेरे पास आया है उससे मुझे संतोष नहीं हुआ है इसलिए फर्दर पूछा है और अगले सप्ताह इसका जवाब दे दूँगा।

श्री भैरोंसिंह : आपको सन्तोष हुआ या नहीं मगर जो इनफॉर्मेशन अब तक आपके पास आई है वह हाउस को दी जानी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : We have not received any reply.

श्री भैरोंसिंह : मगर मन्त्री महोदय के पास असन्तोषजनक उत्तर है और उनके पजेशन में जैसी भी इनफॉर्मेशन है वह हाउस को दे दें। या फिर जितना सन्तोषजनक उत्तर है वह दे दें और बाकी का दूसरे सप्ताह में दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : दूसरी स्टेज़ में और भी अधिक सन्तोषप्रद जवाब आयेगा।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो अभी तक असन्तोष है वह आधा कम हो जायेगा। फिर नेक्सट वीक के लिए उनका भार हल्का भी हो जायेगा।

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो इन्कम्पलीट है।

श्री भैरोंसिंह : आप तो अपनी तरफ से बता दें कि फलां फलां पॉइन्ट इनकम्पलीट हैं और जिस स्टेज तक कम्पलीट हैं उस स्टेज तक कह दीजियेगा।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं अधूरा जवाब नहीं दे सकता।

श्री भैरोंसिंह : इस सम्बन्ध में आपको सूचना नहीं दी और जो भी रिप्लाई आया है अगर वह हाउस में नहीं दिया जाता है तो हाउस के प्रति डिस्रेस्पेक्ट है। हम तो तैयार होकर आये हैं और मन्त्री महोदय कहते हैं कि अगले सप्ताह उत्तर दे दिया जायेगा तो यह सदन में उचित परम्परा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : अब की बार दे दिया जायेगा ।

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले भी अध्यक्ष महोदय ने इस प्रकार की व्यवस्था दी थी कि अगर उत्तर नहीं देते हैं तो आपको इसके बारे में पहले सूचना दे दी जाये । मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार की इन्फॉर्मेशन उनके पास है वह दे दें ताकि हमें उत्तर मिल जाय और फिर अगर हमें असन्तोष है तो नेक्सट वीक में पूछने की आवश्यकता पड़े ।

श्री उपाध्यक्ष : Then I postpone it to a further date.

श्री मोहब्बतसिंह

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण वर्मा

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास

पुलिस विभाग के बजट में बढ़ोतरी

५००. मुरलीधर व्यास : (बीकानेर सिटी) क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

राज्य में पुलिस के बजट में सन् १६५० से १६५६ तक जो बढ़ोतरी हुई है इसका मूल कारण क्या है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : निम्न लिखित पुलिस के बजट में वृद्धि होने के मुख्य कारण हैं :

(१) राजस्थान आर्म्ड कॉन्सटेबिलेरी के पांच बटालियन का निर्माण सन् १६५०-५१ और १६५१-५२ ।

(२) यूनिफाइड पे स्केल्स में दिनांक १-४-५० से स्टेटों के प्रीमर्जर कर्मचारियों की वेतन का फिक्सेशन ।

(३) एग्ज़ीक्यूटिव सब-ऑर्डीनेट्स के अलॉउन्स दि० १-१०-५३ से सरकार द्वारा स्वीकार करना व ता० २१-१२-५७ से कुछ रियायतें जैसे मैस अलाउन्स ३रु० के बजाय ५ रु. माहवार, भर्ती सुदा मरीजों को मुफ्त खाना, यूनिफार्म अलॉउन्स में बढ़ोतरी, राजस्थान प्रान्त भर के पुलिस थानों में व चौकियों में तैनात सब इन्सपेक्टरों हैड कॉन्सटेबलों व कॉन्सटेबलों को फिक्स्ड टी० ए० देना ।

(४) वेतन दर का रिवीज़न जिससे २५० रु० माह से कम पानेवालों मुलाज़मानों की एक एडवान्स इन्क्रीमेंट दिनांक १-३-५७ से रेशनेलाइजेशन पे स्केल्स मंजूर होने पर देना ।

(५) केन्द्रीय सरकार की हिदायत के अनुसार गुप्तचर विभाग राजस्थान की सन् १६५७-५८ और १६५८-५६ में रीऑर्गेनाइजेशन स्कीम ।

(६) अजमेर, आबू और सूनेलटप्पा का दिनांक १-१०-५६ से प्रान्तों की रीऑर्गेनाइजेशन स्कीम के अनुसार राजस्थान में मिलना ।

(श्री रामकिशोर व्यास)

(७) दिनांक १-४-५७ से कम वेतन १०० रु० तक पानेवाले कर्मचारी को ५ रु० माहवार मंहगाई एडहोक इन्क्रीमेंट का मिलना।

(८) दिनांक १-१०-५८ से २५० रु० तक पानेवाले कर्मचारियों को ५ रु० माहवार मंहगाई एडहोक इन्क्रीमेंट का मिलना।

(६) साधारणतया सालाना इन्क्रीमेंट का मिलना ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इन सब कारणों के अतिरिक्त यह कारण नहीं है कि सन् ५१ के बाद में सन् ५७ तक सब-इन्सपेक्टर के ऊपर के जितने भी ऑफिसर्स थे इनमें भी वृद्धि की गई और वृद्धि भी काफी की गई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : हां, वृद्धि तो हुई है मगर काम भी तो बढ़ा है ।

श्री मुरलीधर व्यास : यह वृद्धि किस कारण से हुई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो बहुत लम्बा सवाल है ।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने कारण तो बताये ही नहीं कि वृद्धि का क्या कारण है जब कि और कारण बताये। यह सबसे पहला कारण तो बताया ही नहीं।

श्री रामकिशोर व्यास : ऑफिसरों की तनख्वाहों में वृद्धि हुई है यह तो बताया है।

श्री मुरलीधर व्यास : ऑफिसरों की तनख्वाह के अलावा यह बताना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट प्लेस है उसमें कितने एस० पी० हैं, कितने डी०एस० पी० हैं, कितने इन्स्पेक्टर्स और सब-इन्स्पेक्टर्स हैं इसकी आवश्यकता ज्यादा है ।

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो डिपार्टमेंट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है और फिर अजमेर से आये हैं इसलिए बढ़ा है ।

श्री मुरलीधर व्यास : इसके अतिरिक्त सन् ५१ में कितने सब-इन्स्पेक्टर्स थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो अलग से पूछें ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा ।

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल ।

जैतारण तहसील का सिंचाई विभाग

५०५. श्री शंकरलाल (रायपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि जैतारण तहसील का क्षेत्र सिंचाई विभाग के अन्तर्गत जोधपुर असिस्टेन्ट इंजीनियर सर्वे के आधीन रखा हुआ है जब कि इस तहसील का प्रत्येक कार्य पाली ज़िले के आधीन किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(ख) क्या यह सही है कि जोधपुर असिस्टेन्ट इन्जीनियर सर्वे द्वारा जैतारण तहसील की योजनाओं का सर्वे अभी तक

Page No.27

(श्री शंकरलाल)

इसलिये नहीं किया गया कि जैतारण तहसील पाली ज़िले का अंग है ?

(ग) क्या सरकार जैतारण तहसील पर सिंचाई सर्वे कार्य के लिये पाली ज़िले के असिस्टेन्ट इन्जीनियर का अधिकार क्षेत्र घोषित करने का विचार रखती है ?

मन्त्री, सिंचाई विभाग (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जैतारण तहसील का क्षेत्र सिंचाई विभाग के अन्तर्गत जोधपुर असिस्टेन्ट इन्जीनियर सर्वे के आधीन रखा हुआ है जो पाली, जोधपुर, जैसलमेर, नागोर ज़िले का कार्य देखता है। विशेष पाली ज़िले में सर्वे के लिये कोई असिस्टेन्ट इन्जीनियर नहीं है

(ख) नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वलीमोहम्मद।

तहसील पंचायत बाड़मेर में हड्डियां उठाने का ठेका

५०६. श्री वलीमोहम्मद (चोहटन) : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या तहसील पंचायत बाड़मेर द्वारा हड्डियों का ठेका दिये जाने के बाद पंचायत के क्षेत्र से अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा हड्डियां उठाने के विषय में तहसील पंचायत बाड़मेर द्वारा स्थानीय पुलिस थाना बाड़मेर में दिनांक १६–७–५८ को कोई रिपोर्ट हड्डियों की रोक के विषय में हुई थी ?

(२) यदि हां, तो पुलिस ने उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

(३) यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) दिनांक १६–७–५८ को तहसील पंचायत बाड़मेर से थाने में कोई रिपोर्ट या शिकायत नहीं आई।

(२) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(३) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लच्छूराम।

(अनुपस्थित)

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री

(अनुपस्थित)

डॉ० चन्द्रकला : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : कौन सा प्रश्न ?

डॉ० चन्द्रकला : ५१८, श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री वाला।

जयपुर से चौमू तक बिजली

५१८. श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री (आमेर–सु०–डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) द्वारा पूछा गया) : । क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

जयपुर से चौमू तक बिजली ले जाने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई ?

Page No.28

मन्त्री विद्युत विभाग (श्री रामकिशोर व्यास) : जयपुर और रींगस के बीच ३६ मील लम्बी लाइन में १६ मील तक खम्बे लग चुके हैं। लाइन का काम पूरा करने के लिए ज़्यादातर सामान मिल चुका है।

डॉ० चन्द्रकला : चौमू में बिजली कब से मिलने लग जायगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : जल्दी ही, ऐसी आशा है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : खम्बे कब से लगे हुए हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : बहुत पहले से लगे हुए हैं।

डॉ० चन्द्रकला : नया टर्बाइन आ गया है जयपुर में इससे चौमू को बिजली मिलने पर असर पड़ेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : जयपुर में कोई टर्बाइन नहीं लग रहा है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह सही है कि कई जगह बिजली तो आ गई है लेकिन खम्बे नहीं होने के कारण बिजली नहीं पहुँच रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास : कहां ?

श्री मुरलीधर व्यास : जैसे कि राजगढ़ के एरिया की तरफ खम्बों की कमी की वजह से बिजली आगे नहीं दी जा रही है।

श्री रामकिशोर व्यास : खम्भे नहीं लगे इसलिए बिजली नहीं दी गई है।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या यह सही है कि खम्भे चौमू से आगे रींगस तक नहीं ले जाये गये हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : आगे नहीं गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : जयपुर से रींगस तक खम्भों का काम बन्द कैसे हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : बन्द हुए अर्सा हो गया। दूसरा टर्बाइन जयपुर में इरेक्ट हो जायगा उसके बाद में बिजली दी जायगी।

डॉ० चंद्रकला : पहले से लगे हुए हैं तो बिजली देने की तैयारी होगी।

श्री भैरोंसिंह : जब पहले से खम्भे लगे थे तो सरकार को इस बात की सम्भावना थी कि बिजली का जल्दी हल मिल जायगा।

श्री रामकिशोर व्यास : शहर में डिमान्ड बहुत बढ़ गई इसलिए नहीं दी जा सकी।

डॉ० चंद्रकला : जब खम्भे लगे तो उस वक्त शहर में बिजली की डिमान्ड बढ़ने की संभावना थी उस पर चौमू और रींगस को बिजली देने की बात थी।

श्री रामकिशोर व्यास : इतनी डिमांड बढ़ जायगी, यह खयाल नहीं था।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह माना जाय कि जब खम्भे लगाने का निर्णय लिया गया था उस समय यह एन्टीसिपेट नहीं किया गया था कि जयपुर शहर में कन्ज़म्शन ज़्यादा बढ़ सकता है और बिजली जयपुर पॉवर हाउस से नहीं दे सकते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : जयपुर पॉवर हाउस नहीं दे सकता है यह कोई पॉइन्ट नहीं है। पहले से लगा कर खड़े कर देने से क्या फायदा? बिजली की कम्पलीट तैयारी हो जाय उसके बाद लगाना चाहिये।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : ऐसा तो नहीं था कि उस समय ईलेक्शन का टाइम था?

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

बांकली-खिबान्दी बान्ध तहसील बाली

५२०. श्री मूलचन्द डागा (पाली-श्री बेनाराम गहलोत (खारची) द्वारा पूछा गया): क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) तहसील बाली में बांकली-खिवान्दी बन्ध लघु सिंचाई योजना में कब बनाया गया और उस पर सरकार का कितना खर्चा हुआ?

(ख) क्या यह सत्य है कि उसमें जितना पानी आया उतना सीपेज द्वारा निकल गया और उससे कोई आबपाशी पिछले तीन वर्षों में नहीं हो सकी? क्या यह भी सही है कि इसका ओटा (ओवरफ्लो) निश्चित ऊंचाई से अभी तक कम है?

मन्त्री, सिंचाई विभाग (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) खिवान्दी-बांकली बांध का अधिकांश कार्य ५६-५७ में सम्पूर्ण हुआ और अब तक उस पर करीबन ३,२३,६००) रु० खर्च हुए हैं।

(ख) नहीं, इस बान्ध के पेटे की ज़मीन रेतीली होने के कारण कुछ सीपेज जरूर होता है और जो भी पानी आया वह एक पाण सप्लाई करा कर समाप्त कर दिया गया।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : इसका ओटा कम है या नहीं इसका जवाब नहीं दिया है।

श्री रामकिशोर व्यास : ओवरफ्लो नही होता है।

श्री शंकरलाल : फिर सर्वे कराके ऊंचा रखने का विचार था उस हद तक न लेकर नीचे रखा गया है। क्या सरकार निश्चित ऊंचाई तक उसको लाने की कोशिश करेगी?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं जानकारी कर लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

डॉ० चंद्रकला : ५२४ का उत्तर दिला दें।

अस्पतालों में इमर्जेन्सी में औषधियों की खरीद

५२४. श्री मूलचन्द डागा (पाली-(डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) द्वारा पूछा गया): क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि अस्पतालों के इन्चार्ज चिकित्सक इमर्जेन्सी में भी आवश्यक औषधियां नहीं खरीद सकते हैं?

(ख) अगर हां, तो जनता के निर्धन वर्ग को आवश्यक औषधियों से वंचित न

(श्री मूलचन्द डागा)

रखने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है।

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास- स्वास्थ्य मन्त्री की ओर से) : (क) जी हां। परन्तु इस विभाग के प्रशासी अधिकारी इमर्जेन्सी में दवाइयां खरीद सकते हैं जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : इमर्जेन्सी के लिए कितना कोटा रखा जाता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : बजट में प्रोविज़न है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज़।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए। डिमांड्स।

११.५८ म० प०

मांग एवं अनुदान

मांग संख्या २६, विविध.

श्री नाथूराम मिर्धा (यातायात मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ५७ विविध के संबंध में ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जानेवाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,६६,३०,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

उपरोक्त मांग पर निम्न लिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

श्री रामेश्वरदयाल प्रस्ताव करेंगे कि : Demand No. 29, Major head 57 Miscellaneous be reduced by Re. 1/- (to discuss the question of the Reorganisation of Panchayat Deptt.)"

"Demand No. 29, Major head 57 Miscellaneous be reduced by Re. 1/- (to discuss the rehabilitation of displaced persons.)"

श्री जगदीशप्रसाद माथुर प्रस्ताव करेंगे कि : "मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ५७ विविध में से १००)रु० मात्र की कटौती की जावे (राजस्थान की अकाउन्ट्स सेवा में दी जानेवाली ट्रेनिंग में अव्यवस्था पर विचार करने के लिये)"

"मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ५७ विविध में से१००)रु० मात्र की कटौती की जावे (पब्लिसिटी बोर्ड की अव्यवस्था पर विचार करने के लिए)"

"मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ५७ विविध में से१००)रु० मात्र की कटौती की जावे (Low Income Group Housing Scheme में अव्यवस्था पर विचार करने के लिए)"

"मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ५७ विविध में से १००) रु० मात्र की कटौती की जावे (भारत सेवक समाज को दी गई सहायता के सम्बन्ध में विचार करने हेतु)"

श्री भीमसेन प्रस्ताव करेंगे कि : "मांग संख्या२६, मुख्य शीर्षक ५७ विविध में से १) रु० मात्र की कटौती की जावे (पंचायत विभाग के पुनर्गठन के प्रश्न पर बहस करने के लिये)"

Page No.31

(श्री भीमसेन)

"मांग संख्या २९, मुख्य शीर्षक ५७ विविध में से १)रु० मात्र की कटौती की जावे (नगरपालिकाओं को आर्थिक सहायता पर बहस करने के लिये)"

"मांग संख्या २९, मुख्य शीर्षक ५७ विविध में से १) रु० मात्र की कटौती की जावे (ग्राम पंचायतों को राजस्व-वसूली के अधिकार देने के प्रश्न पर बहस करने के लिए)"

"मांग संख्या २९, मुख्य शीर्षक ५७ विविध में से १)रु० मात्र की कटौती की जावे (जिला बोर्ड बीकानेर को उसकी भवन योजनाओं व अन्य जनहितकारी योजनाओं के लिये आर्थिक सहायता पर बहस करने के लिए)"

"मांग संख्या २९, मुख्य शीर्षक ५७ विविध में से १) रु० मात्र की कटौती की जावे (पंचायतों को आर्थिक सहायता देने के प्रश्न पर बहस करने के लिए)"

डॉ० बहादुरसिंह प्रस्ताव करेंगे कि :

"मांग संख्या २९, मुख्य शीर्षक ५७ विविध में से १)रु० मात्र की कटौती की जावे (पत्रों में विज्ञापन देने के सम्बन्ध में बहस करने के लिये)"

"मांग संख्या २९, मुख्य शीर्षक ५७ विविध में से १) रु० मात्र की कटौती की जावे (रोजगार दफ्तर के संबंध में वाद-विवाद करने हेतु)"

श्री सोहनलाल भटनागर प्रस्ताव करेंगे :

कि "Demand No. 29, Major Head 57 Miscellaneous be reduced by Re. 1/-(to discuss the failure of Govt. to start Low Income Housing Scheme in all Municipal Towns of Rajasthan)"

"Demand No. XXIX, Major Head 57 Miscellaneous be reduced by Re. 1/-(to discuss the failure of the Govt. to provide sufficient funds for Tehsil Panchayats)"

"Demand No. 29, Major Head 57 Miscellaneous be reduced by Re. 1/-(to discuss apathy shown towards the Rural Housing)"

श्री शिवनाथसिंह प्रस्ताव करेंगे कि :

"मांग संख्या २९, मुख्य शीर्षक ५७ विविध में से १)रु० मात्र की कटौती की जावे (पंचायतों को दी जानेवाली Grant-in-Aid पर बहस करने के लिये)"

"मांग संख्या २९, मुख्य शीर्षक ५७ विविध में से १) रु० मात्र की कटौती की जावे (झुंझुनू जिले में Employment Exchange का दफ्तर खोलने पर विचार करने हेतु)"

डॉ० चन्द्रकला प्रस्ताव करेंगी कि :

"मांग संख्या २९ मुख्य शीर्षक ५७ विविध में से १) रु० मात्र की कटौती की जावे (नगर सुधार मंडल की मार्फत संपादित निर्माण कार्य के सम्बन्ध में वाद-विवाद करने हेतु)"

"मांग संख्या २९, मुख्य शीर्षक ५७ विविध में से १) रु० मात्र की कटौती की जावे (विस्थापित व्यक्तियों को मकान बनाने के लिये अनुदान देने के सम्बन्ध में विचार करने हेतु)"

(डॉ० चन्द्रकला)

"मांग संख्या २९, मुख्य शीर्षक ५७ विविध में से १) रु० मात्र की कटौती की जावे (राजकीय समारोह सम्बन्धी व्यय कम किया जाय इस सम्बन्ध में वाद विवाद करने हेतु)"

"मांग संख्या २९, मुख्य शीर्षक ५७ विविध में से १) रु० मात्र की कटौती की जावे (अल्प आय वर्ग गृह योजना के सम्बन्ध में विचार करने के लिये)"

"मांग संख्या २९, मुख्य शीर्षक ५७ विविध में से १) रु० मात्र की कटौती की जावे (गन्दी बस्तियों की सफाई योजना को क्रियान्वित करने की ओर सरकार का कोई लक्ष्य नहीं है, पर बहस करने के लिये)"

"मांग संख्या २९, मुख्य शीर्षक ५७ विविध में से १) रु० मात्र की कटौती की जावे (निराश्रित स्त्रियों और बच्चों के लिए गृह के सम्बन्ध में विचार करने हेतु)"

रावराजा श्री सरदारसिंह प्रस्ताव करेंगे कि: "मांग संख्या २९, मुख्य शीर्षक ५७ में से १)रु० मात्र की कटौती कर दी जावे (पंचायतों में हो रहे भ्रष्टाचार पर विचार करने हेतु)"

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी प्रस्ताव करेंगे कि : "मांग संख्या २९, मुख्य शीर्षक ५७ विविध में से १) रु० मात्र की कटौती की जावे (पंचायतों के कार्य संचालन में अव्यवस्था पर बहस करने के लिए)"

श्री लक्ष्मण हीरात प्रस्ताव करेंगे कि :

"मांग संख्या २९, मुख्य शीर्षक ५७ विविध में से १)रु० मात्र की कटौती की जावे (राज्य सरकार तहसील पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों को अधिक सहायता दें इस पर वाद-विवाद करने हेतु)"

श्री सम्पतराज जैन प्रस्ताव करेंगे कि : "मांग संख्या २९, मुख्य शीर्षक ५७ विविध में से १)रु० मात्र की कटौती की जावे (ग्राम पंचायतों को अधिक आर्थिक सहायता प्रदान करने पर बहस करने के लिये)"

श्री मुरलीधर व्यास प्रस्ताव करेंगे कि : "मांग संख्या २९, मुख्य शीर्षक ५७ विविध में से १) रु० मात्र की कटौती की जावे (विभाग द्वारा किये जाने वाले प्रचार (Publicity) पर बहस करने हेतु)"

श्री भंवरलाल शर्मा प्रस्ताव करेंगे कि : "मांग संख्या २९, मुख्य शीर्षक ५७ विविध में से १) रु० मात्र की कटौती की जावे (ग्राम पंचायतों में हरिजन सदस्य नामजद नहीं करने पर बहस करने के लिये)"

श्री मोहरसिंह प्रस्ताव करेंगे कि : "मांग संख्या २९, मुख्य शीर्षक ५७ विविध में से १००) रु० मात्र की कटौती की जावे (पंचायत सर्किल्स का छोटा बनाया जाना आवश्यक है इस हेतु विचार करने के लिये)"

"मांग संख्या २९, मुख्य शीर्षक ५७ विविध में से १)रु० मात्र की कटौती की जावे (तहसील राजगढ़ (जिला चूरू) की पंचायतों में कार्य में बरती जाने वाली अनियमितताओं पर बहस करने हेतु)"

श्री पी० के० चौधरी ।
(अनुपस्थित)

श्री मोहरसिंह ।
(अनुपस्थित)

श्री रामेश्वरदयाल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, My cutmotions are also there.

श्री उपाध्यक्ष : You mean you have preference over others.

श्री नाथूराम मिर्धा : लास्ट नम्बर में नाम जोड़ दिया।

श्री रामेश्वरदयाल : No. 7 and 8-they are my cut-motions and my name was first omitted and so...

श्री उपाध्यक्ष : You want to have preference over other numbers.

श्री रामेश्वरदयाल : My submission is that cutmotions nos. 7 and 8; they have been sent by me but unfortunately my name was omitted by mistake. I brought it to the notice of the authorities and they have amended it.

श्री उपाध्यक्ष : You will please move it.

श्री रामेश्वरदयाल: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने दो कटौती प्रस्ताव सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करता हूँ।

मेरा पहला कटौती का प्रस्ताव पंचायत विभाग के पुनर्गठन के संबंध में है और इसके द्वारा मैं राज्य सरकार का ध्यान उस अवैधानिकता और अनियमितता की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जो इस विभाग के गठन में पंचायत विभाग द्वारा या सरकार द्वारा बरती गई है। माननीय उपाध्यक्ष, वैसे तो पचायत विभाग की अनियमितता और चुनाव से संबंध रखनेवाले अन्य मामले सदन के सामने प्रश्नोत्तर काल और वैसे भी अक्सर आया करते हैं लेकिन यह विषय कि किस प्रकार से कानून का उल्लंघन करके और कानून को बलाये ताक रख कर हाल ही में इस विभाग का पुनर्गठन किया गया है यह इस अवैधानिकता का एक ज्वलन्त प्रमाण है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 'श्री बलवन्तराय मेहता कमेटी' की सिफारिश को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार ने पंचायत समितियों के निर्माण का निश्चय किया और साथ ही ज़िला परिषद् बनाने और पंचायतों को अधिक से अधिक अधिकार देने का और इस कुल योजना को क्रियान्वित कराने के लिए इस विभाग को व्यापक एवं प्रभावशाली रूप देने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। इस संबंध में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहूँगा कि एक ओर तो सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात कही जाती है, माननीय राज्य पाल महोदय ने भी अपने अभिभाषण में कहा था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जायगा और पंचायतों को अधिक से अधिक अधिकार दिये जायेंगे।

१२ म० प०

इस बात को माननीय वित्त मंत्रीजी ने भी अपने भाषण में दोहराया था। लेकिन इस अभिभाषण के बाद ही एक ऐसी घटना हुई जिसमे इस विकेन्द्रीकरण के बारे में कुछ संदेह होता है और वह घटना यह है कि राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसके द्वारा पंचायतों को रोका गया उनके अधिकार क्षेत्र में ज़मीन बेचने से। इस सम्बन्ध में एक प्रश्न भी इस सदन में पूछा गया था और उसका उत्तर यह दिया गया था कि ज़मीन के बिक्री के विषय में नियम बनाने के

(श्री रामेश्वरदयाल)

लिये इस प्रकार की कार्यवाही की गई है। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो ठीक है लेकिन ज़मीन के बेचने के संबंध में कोई अधिकृत संख्या हो सकती है तो वह पंचायत है। राज्य सरकार राजस्थान भर के लिये एक नियम बनाना चाहती है जब कि गांव गांव की परिस्थिति अलग अलग है, जब गांवों की हालत अलग अलग है तब यदि एक ही से नियम बना कर तमाम स्थितियों में जो कि हर प्रकार से विषम है, जिनमें भिन्नता है उनका इस प्रकार से एकीकरण किया जाय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो यह दलील जो है राज्य सरकार की न्यायोचित प्रतीत नहीं होती। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उक्त उद्देश्य को पूरा करने के लिये और आनेवाले सुधारों को ज़िला परिषद और दूसरी बातों के रुप में पूरा करने के लिये इस विभाग के पुनर्गठन की आवश्यकता सरकार को पड़ी। जहां तक पंचायत विभाग के पुनर्गठन के प्रश्न का संबंध है मैं इसका स्वागत करता हूँ। यह एक बहुत अच्छी चीज़ है। ज़िला-परिषद, बनेंगी, पंचायत समितियां बनेंगी और पंचायतों को अधिक से अधिक अधिकार मिलेंगे यह सब कुछ अच्छा है, इसका पुनर्गठन होना चाहिये था और होना ही था। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बात अखरती है वह यह है कि जिस प्रकार से इस विभाग का पुनर्गठन किया गया, जिस प्रकार से इसको एक नये ढांचे में ढ़ाला गया वह आपत्तिजनक है क्योंकि इस प्रकार की कार्यवाही में सरकार की ओर से कानून की सरासर अवहेलना की गई है, कानून का उल्लंघन किया गया है। यदि कानून को ध्यान में रखते हुए कानून के अनुरुप कोई पुनर्गठन होता तो वह एक अच्छी बात होती। इस प्रकार की उसे कानूनी कार्यवाही से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के ऊपर लाखों के दावे हो सकते हैं, सरकार के ऊपर कोई रिट हो सकती है जिनके भयानक परिणाम हो सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब इस प्रकार से राज्य सरकार की ओर से कानून की अवहेलना की जाय तो यह आवश्यक हो जाता है कि सदन इस बात पर विचार करें कि यह पुनर्गठन किस प्रकार से और क्यों कानून की अवहेलना करके किया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पंचायत विभाग का पुनर्गठन होने से पहले इस विभाग का जो ढांचा था वह इस प्रकार से था। केन्द्र में एक चीफ पंचायत ऑफिसर था, स्टाफ था और डिविजनल हैड क्वार्टर्स पर डिविजिनल पंचायत ऑफिसर और उनका स्टाफ था और उसके बाद ज़िलों में इन्स्पेक्टर्स थे। इस प्रकार का माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विभाग का ढांचा था पुनर्गठन के पहले। अब यह ढांचा बदल गया है और इस ढांचे के बदले का जो स्वरुप आया है वह इस प्रकार है। केन्द्र में डाइरेक्टर ऑफ पंचायत्स होंगे और उनके नीचे डिप्टी डाइरेक्टर ऑफ पंचायत्स होंगे और उनकी सहायता के लिये दो असिस्टेन्ट डाइरेक्टर्स होंगे और हर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर्स और एक्सटेन्शन ऑफिसर्स और यू. डी. सी. व एल. डी. सी. होंगे। इस प्रकार की नई व्यवस्था की गई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछला जो ढांचा पंचायत विभाग में था वह इस कानून के अनुसार पंचायत अधिनियम १९५३ के अनुसार बनाया गया था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अधिनियम की धारा ७४ में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया था

(श्री रामेश्वरदयाल)

कि वह इस विभाग का संचालन करने के लिये चीफ पंचायत ऑफिसर को नियुक्त करे और डिविज़नल पंचायत ऑफिसर्स को नियुक्त करे और दूसरा स्टाफ नियुक्त करे, इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी। इस अधिनियम व नियमों के अंतर्गत उन डिविजनल पंचायत ऑफिसर्स और चीफ पंचायत ऑफिसर्स को अधिकार दिया गया था, उन पर ज़िम्मेदारियां डाली गई थीं पंचायतों पर नियंत्रण रखने के लिये, उनकी कार्य प्रणाली देखने के लिये और उनका मार्ग दर्शन करने के लिये और चुनाव संबंधी मामलों में आदेश देने के लिये उसमें व्यवस्था रखी गई थी। पंचायत अधिनियम अब भी वैसा का वैसा बिना किसी संशोधन के उसी रूप में मौजूद है लेकिन वह ढांचा नहीं रहा. अधिनियम मौजूद है लेकिन इस अधिनियम ने जो ढांचा निर्धारित किया था वह ढांचा समाप्त कर दिया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो नया ढांचा आया है डाइरेक्टर ऑफ पंचायत की अध्यक्षता में उसका इस अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाये नियमों में कोई इसका प्रावधान नहीं है। अब भी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत विभाग के सामने जो साइन बोर्ड लगे हुए हैं उन पर लिखा है चीफ पंचायत ऑफिसर लेकिन कार्यालय है डाइरेक्टर पंचायत का। मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं है कि उनके डेज़िगनेशन को क्यों बदला गया। डाइरेक्टर ऑफ पंचायत बनाया गया यह खुशी की बात है, यदि इससे भी बड़ा ओहदा दिया होता या डाइरेक्टर जनरल बना दिया गया होता तो भी मुझे आपत्ति नहीं थी लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से यह व्यवस्था की गई, इस विभाग का पुनर्गठन किया गया उस बारे में मुझे कानूनन आपत्ति है। यह जो कुछ किया गया वह पंचायत अधिनियम के खिलाफ किया गया और उस अधिनियम की अवहेलना की गई। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज स्थिति यह है जो राज्य सरकार के लिये विचारणीय है कि पुराना ढांचा जो कि राज्य सरकार और पंचायतों के बीच में दो महत्वपूर्ण कड़ियों के रूप में गैरकानूनी तरीके से थीं, नष्ट कर दिया गया। उधर ग्राम पंचायतें और तहसील पंचायतें थीं उनके बीच में डिविजनल पंचायत ऑफिसर और चीफ पंचायत ऑफिसर ये दो कड़ियां थीं राज्य सरकार और पंचायतों के बीच में। अब ये दो कड़ियें इस पंचायत विभाग के प्रशासन में से टूट गई हैं। वे दो कड़ियां टूट गई, अब पंचायतों का राज्य सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं रहा। अब पंचायत विभाग में अराजकता की स्थिति हो गई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी मुझे क्षमा करेंगे क्योंकि आज कोई स्थिति पैदा होती है, यदि आज चुनाव का प्रश्न पैदा होता है, किस जगह कब चुनाव कराया जाय तो डाइरेक्टर ऑफ पंचायत को उस बारे में कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार से पंचायतों पर नियंत्रण रखने के लिये, उनके काम को देखने के लिये डाइरेक्टर ऑफ पंचायत जैसा कोई पद इस अधिनियम में नहीं है। पहले चीफ पंचायत ऑफिसर या डिविज़नल पंचायत ऑफिसर उनके काम को देखा करते थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस अधिकार को चीफ पंचायत ऑफिसर स्वयं भी इस्तेमाल किया करते हैं या डिविजनल पंचायत अधिकारी के द्वारा?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन आज स्थिति यह है कि पंचायतें वैसी की वैसी मौजूद हैं, पंचायतों को खत्म नहीं किया गया। तहसील पंचा

(श्री रामेश्वरदयाल)

यत वैसी की वैसी बनी हुई है लेकिन उनपर नियंत्रण रखनेवाली एजेन्सी सरकार की माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समाप्त हो गई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज कानूनी पेचीदगियां खड़ी हो सकती हैं, आज, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर पंचायत सेकेट्री मुकर्रर करना चाहती है तो अधिनियम में प्रावधान है कि चीफ पंचायत ऑफिसर की कॉन्करेन्स से करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज चीफ पंचायत ऑफिसर नहीं हैं, आज डाइरेक्टर पंचायत हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत किस प्रकार सेक्रेट्री नियुक्त करेगी। पंचायत किस प्रकार अपने अधिकार को काम में लायेगी यह एक गम्भीर समस्या पैदा हो गई, इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रशासन में अराजकता आ गई है, अनारकी आ गई है और गम्भीर और विषम परिस्थिति हो गई है जिससे इस विभाग में कानून का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस प्रकार की गम्भीर स्थिति है और इसके बारे में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो यह कहा जाता है कि चीफ पंचायत ऑफिसर के नाम के साथ एक डाइरेक्टर पंचायत और बढ़ा दिया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह बात मान भी ली जाय तो प्रश्न पैदा होता है कि चीफ पंचायत ऑफिसर-कम डाइरेक्टर पंचायत और डाइरेक्टर पंचायत जो भी हो इस चीज़ का प्रावधान पंचायत अधिनियम की दफा ७४ के अन्दर अथवा दफा ७५ के अन्दर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नहीं है। आज इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हो गई है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस प्रकार की जब परिस्थिति है और इस विषम परिस्थिति को समाप्त करने के लिये आज तक सरकार ने कदम नहीं उठाया है। इस सदन की बैठक होते हुए भी काफी दिन हो गये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज तक भी पंचायत अधिनियम में संशोधन नहीं लाया गया है ताकि पंचायत विभाग में जो डाइरेक्टर पंचायत बनाया गया है और दूसरे ऑफिसर बनाये गये हैं वे ठीक प्रकार से काम कर सकें और उनके आदेशों के पीछे, उनकी कार्यवाहियों के पीछे कोई कानूनी संरक्षण हो। ऐसी व्यवस्था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज तक नहीं की गई है और इस अवैधानिकता को, इस अनियमितता को सरकार अब तक बर्दाश्त कर रही है। यह, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत विचारणीय प्रश्न है जिसकी ओर मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यह मामला बहुत गम्भीर है और इसका बड़े से बड़ा और भयंकर से भयंकर परिणाम हो सकता है जिसके लिए सरकार को तत्काल कोई न कोई कार्यवाही करनी चाहिए और इसमें आवश्यक संशोधन लाकर जो एक विषम स्थिति पैदा हो गई है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विषम स्थिति को समाप्त करके जो कड़ी टूट गई है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चेन की उसको उन कड़ियों को, फिट करने की जरूरत है, वर्ना हमारा पंचायत प्रशासन अधिनियम के विपरीत हो जायेगा। यह एक बहुत बड़ा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न है और इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह कटौती का प्रस्ताव रखा है। जब कानून की सरासर अवहेलना होती हो, कानून के मुताबिक काम नहीं होता हो, इस प्रकार की गैर कानूनी कार्यवाही हो रही हो, जब कानूनी गड़बड़ी पैदा

(श्री रामेश्वरदयाल)

हो रही हो और कानूनी उलझनें पैदा हो रही हों तो इस सदन के माननीय सदस्यों का कर्त्तव्य है कि वे सरकार को कहें कि वह इसमें जल्दी से जल्दी कदम उठाये और इस बिगड़ी हुई स्थिति को सम्भालने की कोशिश करें और गतिरोध को दूर किया जाय।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): मेरा भी कट मोशन इसके ऊपर है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

श्री रामेश्वरदयाल : मैंने अभी एक ही कट मोशन रखा है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : कट मोशन काफी हैं, थोड़ा समय का ध्यान रखा जाय।

श्री रामेश्वरदयाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार का ध्यान कुछ कानून की धाराओं की तरफ आकर्षित करूंगा इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि जो कुछ मैंने कहा है उसके पीछे बहुत सच्चाई है यद्यपि इसमें कटुता जरूर है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत अधिनियम की धारा २, सब क्लॉज़ ६ में चीफ पंचायत ऑफिसर की परिभाषा दी गई है और इसमें बतलाया गया है:

"Chief Panchayat Officer' means the person appointed by the State Government under Section 74 to be the Chief Panchayat Officer of Panchayats and includes Divisional Panchayat Officers appointed under that section." अब इसमें, सेक्शन ७४ में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह चीफ पंचायत ऑफिसर की नियुक्ति करे। सेक्शन ७४ है : "The State Government may appoint a Chief Panchayat Officer of Panchayats, Divisional Panchayat Officers and such other staff as it may deem necessary, to discharge such functions as may be prescribed." प्रेसक्राइब को डिफाइन किया है, सेक्शन २ के तहत। वहां प्रेसक्राइब किया है : "Prescribed by the Act or by the Rules framed there under."

Prescribed in regard to administration of Panchayats.

तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सेक्शन ७४ और सेक्शन २, सब क्लॉज़ ६ इनको ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष स्पष्ट है कि जो अधिकार और जो कर्त्तव्य इस पंचायत अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत इन अधिकारियों को दिये गये हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सेक्शन १६ के तहत में अधिकार दिया गया है कि वे पंचायत के सरपंचों को अलहदा कर सकते हैं। सेक्शन १८, सेक्शन १५, सेक्शन २३, सेक्शन ६८, सेक्शन ६८ के तहत, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन अधिकारियों को अधिकार दिया गया है पंचायत के बजट के सम्बन्ध में। तो इस प्रकार के जो अधिकार दिये गये हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन अधिकारियों को उन अधिकारों को बरतने के लिए, उनको काम में लाने के लिए आज कोई ऐसी एजेन्सी नहीं रही और एक वेक्यूम पैदा हो गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस

Page No.38

(श्री रामेश्वरदयाल)

वेक्यूम की पूर्ति अभी तक नहीं हुई है। इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव के द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस वेक्यूम को जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश की जाय और पंचायत विभाग का गठन न्यायोचित तरीके पर किया जावे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा कटौती का प्रस्ताव विस्थापितों के सम्बन्ध में है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो बात ठीक है कि विस्थापितों की समस्या बहुत कुछ हद तक राज्य सरकार और भारत सरकार ने दूर कर दी है। आज अगर उस स्थिति का ख्याल करें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस स्थिति के अन्दर हमारे देश का विभाजन होने के बाद विस्थापित लोग पश्चिमी पाकिस्तान से और पूर्वी पाकिस्तान से हमारे इस भाग में आये थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम उस स्थिति का पूरा ध्यान करें तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे हृदय के अन्दर एक बहुत बड़ी वेदना होती है, हृदय पर बड़ा आघात होता है कि किस दयनीय और किस चिन्तनीय स्थिति के अन्दर ये लोग अपने इस राज्य के अन्दर आये थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके आने के बाद इनके पुनर्वास के लिए सरकार की ओर से बहुत कुछ किया गया लेकिन अगर यह कहा जाय कि इन विस्थापितों की समस्या आज समाप्त हो गई है और अब इनके लिए कुछ करने को बाकी नहीं है राज्य सरकार के लिए तो मैं समझता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह इनके साथ अन्याय करना होगा। आज भी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनकी ऐसी स्थिति है कि आज भी राज्य सरकार का कर्तव्य है और इनके लिए खास तौर से, इनके अन्दर फैली हुई गरीबी को दूर करने के लिए, बेकारी को दूर करने के लिए आज भी राज्य सरकार के लिए बहुत कुछ करना बाकी है।

माननीय उपाध्यक्ष, इन विस्थापितों को कर्ज देकर या मकानों के लिये कुछ आर्थिक सहायता देकर उनको बसा देने से यह नहीं कहा जा सकता कि विस्थापितों की समस्या पूर्णरूपेण हल हो गई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सबसे बड़े महत्व की बात है, यह ठीक है कि मकान बनाना भी जरूरी है और इसके लिये कर्ज देना भी जरुरी है पर सबसे बड़ी बात है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो जीवन का आधार है और जिसके बिना जीवन नीरस है और जिसके बिना जीवन निरर्थक और बेकार है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह है जीवन के रोजगार का प्रश्न, जीवन के अन्दर नौकरी का प्रश्न, जीवन के अन्दर ऐसे साधनों का प्रश्न जिनके द्वारा विस्थापित अपना रोज़गार कमा सकें, दो पैसे कमा सकें और उन पैसों से अपनी, अपने बच्चों की और अपने परिवार की उदरपूर्ति कर सकें। माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह नहीं कहता कि सभी विस्थापित इस श्रेणी में आते हैं। जिन विस्थापितों के पास लाखों की जायदाद थी, पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान में जिनकी बड़ी बड़ी हवेलियां थीं, जिनके बड़े बड़े धन्धे थे, जिनके बड़े बड़े कारखाने थे वे किसी कारण से, राजनैतिक कारण कहिये या कोई भी बात समझियेगा उपाध्यक्ष महोदय, जब देश के विभाजन के बाद उस हिस्से से देश के इस हिस्से में आये, इतनी बड़ी कुर्बानी करने के बाद तो समुचित रूप से जीवन निर्वाह का उनका

(श्री रामेश्वरदयाल)

अधिकार है। मैं तो कहूंगा कि इस आज़ादी के अन्दर कोई सच्ची कुर्बानी है, त्याग है तो इन्हीं विस्थापितों का है माननीय उपाध्यक्ष, जिन्होंने अपने आपको देश के लिये बर्बाद करके, अपना सब कुछ छोड़ कर, इतनी मुसीबतें परेशानियां उठाकर यहां आये। अब राज्य सरकार यह कह कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाय कि इन विस्थापितों के लिये सब कुछ कर दिया है, अब विस्थापितों की समस्या समाप्त हो गई है, इनकी कोई समस्या नहीं रही, यह माननीय उपाध्यक्ष, मेरी समझ में नहीं आता। इनकी जो वास्तविक समस्या है रोज़गार की वह तो वैसी की वैसी बनी हुई है। एक उदाहरण देता हूं, क्योंकि समय बहुत कम है माननीय उपाध्यक्ष, कोटा में वल्लभनगर कॉलोनी है और वह भारत सरकार ने बनाई थी और उसके अन्दर अब भी दस बारह हजार विस्थापित लोग रहते हैं। पर आज जो स्थिति उन विस्थापितों की है उसको देख कर शर्म आती है, शर्म के मारे सिर झुक जाता है माननीय उपाध्यक्ष, उनमें अधिकतर बेकार हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है। अनुसूचित व जन-जातियों के लिये माननीय उपाध्यक्ष, रिज़र्वेशन है। मैं रिज़र्वेशन का विरोध नहीं करता पर इन लोगों के लिये रिज़र्वेशन नहीं है तो इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिये कि विस्थापितों को यथा संभव राज्य सेवाओं के अन्दर स्थान दिया जाना चाहिये। आज विस्थापित यह समझते हैं कि उनके साथ हमदर्दी रखनेवाला कोई नहीं है। सरकारी नौकरियों में उनके बच्चों को, नौजवानों को समान रूप में स्थान नहीं दिया जाता और न उनकी बस्तियों में उद्योग धंधों की ओर ही ध्यान दिया जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस वल्लभनगर कॉलोनी के लिये कोई न कोई उद्योग धंधा खोलने के लिये राज्य सरकार को प्रयत्न करना चाहिये। इन विस्थापितों के मन्त्री, अध्यक्ष और कार्यकर्ता लोग राजस्थान सरकार के मन्त्रियों से मिले, कई आवेदन पत्र दिये पर माननीय उपाध्यक्ष....

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ प्रिविलेज़, सर, माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्य ने 'माननीय उपाध्यक्ष (शब्दों) को डबल सैन्चुरी जितना कह दिया है इसलिये इनके साथ स्पेशल कन्सीडरेशन कर लिया है जो १० मिनट का टाइम ज्यादा दे दिया।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : अभी तक तो १०२ बार ही कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : That shows my individual relationship with him.

श्री रामेश्वरदयाल : Just to draw the attention of the Hon'ble Deputy Speaker and also to remind you...

श्री उपाध्यक्ष : We could have saved atleast 5 minutes if it had not been repeated several times.

श्री रामेश्वरदयाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतनी सी बात और कहना चाहता हूँ कि वहां कोई उद्योग धंधा खोलने के लिये जो इन बस्तियों की ओर से और प्रतिनिधियों की ओर से मांग की गई थी उस मांग को अब तक स्वी-

(श्री रामेश्वरदयाल)

कार नहीं किया गया है. जब कि दूसरी बस्तियों के अन्दर उद्योग धन्धों की ओर ध्यान दिया गया है। माननीय····

(हंसी)

१६५८–५६ में एक लाख रुपया इन बस्तियों में उद्योग धन्धों को शुरू करने के लिये भारत सरकार की ओर से दिया गया था। ७२ हज़ार रुपया आर्थिक सहायता उद्योग धन्धों के लिये देना भारत सरकार की ओर से स्वीकार किया गया था और यह धन-राशि राजस्थान सरकार को मिली पर जिस तरह इसका वितरण किया गया कि इस धन राशि को ४ बस्तियों में बांट दिया, जयपुर, जोधपुर, अलवर और उदयपुर के अन्दर। लेकिन वल्लभनगर की बस्ती जो कि राजस्थान में बहुत बड़ी बस्ती है जिसकी ओर से मांग चली आ रही थी अर्से से, जिसके लिये मांग चली आ रही थी उसको एक पैसा भी नहीं दिया, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है।

आज उस बस्ती के अन्दर न तो कोई उत्पादन कम प्रशिक्षण केन्द्र है न उद्योगों के लिये कोई किसी प्रकार का ज़रिया है जिससे कि वे कोई मज़दूरी धन्धा करके अपना गुज़र चला सकें, इस प्रकार की कोई व्यवस्था वहां नहीं है। इस प्रकार से उस बस्ती के लिये, और भी कुटीर उद्योगों के लिये, छोटे मोटे उद्योग धन्धों को चलाने के लिये, सिलाई का एक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के लिये कई बार मांग की गई, कहा गया लेकिन आज तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया।

आज उनकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण समस्या रोज़गार, बेकारी, भुखमरी की वह आज भी वैसी की वैसी ही खड़ी है और जब तक राजस्थान सरकार इस समस्या का समुचित रूप से समाधान नहीं करती तब तक यह कहना कि विस्थापितों की समस्या हल हो गई है, उचित नहीं है।

इसी प्रकार से ईस्ट पाकिस्तान से आये हुए लोग थे उनको किशनगंज, कोटा में बसाया गया है, उनके लिये टिनों के मकान बनाये गये पर जो उनकी असली समस्या है रोज़गार की, जिसके आधार पर वे दुनियां में जिन्दा रह सकें और अपने बच्चों को जिन्दा रख सकें उस ओर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है और न दिया जा रहा है। केवल मकानों के बनाने से उनको रोजगार नहीं मिलेगा, उनकी गरीबी बेकारी दूर नहीं होगी। जब तक गरीबी और बेकारी को दूर करने के लिये, उद्योग धन्धों के लिये प्रभावशाली कदम नहीं उठाया जाता तब तक यह समस्या यथावत् रहेगी। किशनगंज में जब उन्हें दो साल पहले लाया गया तो उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उनको ज़मीनें दी जायेंगी और ज़मीनों की सिंचाई होगी, तालाब बनाने के बाद वहां चावल होंगे, तालाब में उनको मछली मिलेगी, उन विस्थापितों को जो कि बंगाल से आये हैं, लेकिन आज स्थिति यह है कि दो साल हो गये, न कोई तालाब का निर्माण हुआ है न मछली कहीं नज़र आती है और न चावल ही नज़र आता है। और आज भी स्थिति वैसी की वैसी है। न मालूम किस दिन वे ज़मीनें काश्त के योग्य होंगी, किस दिन उस ज़मीन में काश्त होकर पैदावार खड़ी होगी और उस पैदावार को काट कर वे लोग किस दिन फ़ायदा उठा सकेंगे।

Page No.41

(श्री रामेश्वरदयाल)

तो आज सबसे बड़ी समस्या विस्थापितों की, रोजगार की, उद्योग धन्धों की, उनको काम देने की और उनके लिये काम की व्यवस्था करने की है। इस ओर राज्य सरकार को ज्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिये और इसके लिए भरसक प्रयत्न किया जाना चाहिये और यह प्रयास होना चाहिये। विस्थापितों के लिये छः महीने के अन्दर अन्दर ठीक प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिये, खेती के लिये व्यवस्था की जाय जिससे वे खेती कर सकें और अपने पांवों पर खड़े हो सकें, उद्योग धन्धों को प्रोत्साहन दिया जावे सरकारी नौकरियों में जगह दी जावे यह संभव नहीं है और न ऐसा हो रहा है क्योंकि इसमें फर्क आता है कि राज्य सरकार सदैव उनकी उदर पूर्ति के लिए उनको खाने को दे सके, गल्ला दे सके या दूसरी चीजें दे सकें। इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान इस मौलिक समस्या की ओर जाना चाहिये और यही विस्थापितों की बुनियादी समस्या है, उनके पुनर्वास की समस्या है, रिहेबिलिटेशन का असली सवाल है व उसी वक्त पूरा होगा जब कि सरकार इस काम को सम्पन्न कर लेती है। इसलिए मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करके निवेदन करना चाहूंगा कि अधिक से अधिक महत्व दिया जाय, प्राथमिकता दी जाय और जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा कराया जाकर इन विस्थापितों के साथ जो बल्लभनगर कॉलोनी और किशनगंज में है, न्याय किया जाय। रोज़गार और उद्योगों की दृष्टि से उनको समान अवसर दिया जाय, और उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपने दोनों कटौती प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (सीकर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे चार कटौती प्रस्ताव हैं जिनको मैं एक साथ प्रस्तुत करता हूं। सबसे पहला मेरा कटौती प्रस्ताव है भारत सेवक समाज के विषय में जिस पर मैं अपने विचार रखता हूं। देश की आज़ादी के पहले हमारे देश में एक संस्था बनी थी और अब तक भी चालू है, वह सर्वेन्ट्स ऑफ इन्डिया सोसाइटी नाम की संस्था थी। संस्था का मुख्य उद्देश्य इस देश की गरीब जनता की गरीबी को मिटाना एवं सामाजिक कुरीतियों का निवारण करना था। देश के बड़े बड़े नेता इस संस्था के सदस्य थे। इससे प्रेरणा प्राप्त कर जब देश आज़ाद हुआ और देश का स्वरूप बनाने का प्रश्न आया, यह प्रश्न आया कि योजनाओं के लिए जन सहयोग किस प्रकार से लिया जाय तो उसके लिए भारत सेवक समाज नामकी एक संस्था कायम की गई। जिसका क्षेत्र राजनीति से दूर सामाजिक ही रखा गया। उन सब लोगों को इस संस्था में लिया जा सकता है जिनकी राजनैतिक विचारधारा अलग होते हुए भी जहां तक देश के निर्माण का सम्बन्ध है, उसके उत्थान का सम्बन्ध है, सब एक साथ लोग आ सकें और देश के निर्माण में और उसकी उन्नति में भरसक सहयोग प्रदान कर सकें। अभी अभी पांच सात दिन पहले प्रान्त में एक बहुत बड़ा तमाशा हुआ था उसको देखने से पता लगता है कि उद्देश्य

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

को लेकर यह संस्था, भारत सेवक समाज नाम की संस्था, कायम की गई थी वह उद्देश्य बिलकुल लोप हो गया है, जहां समाज सेवकों का सम्मेलन होना चाहिये था वहां जिन लोगों ने इसको देखा है वह यह कहने लगे हैं कि इस सम्मेलन ने तो कांग्रेस के अधिवेशन को ही मात दे दी है। लगभग १२ लाख रुपया इस सम्मेलन में खर्च हुआ नई दुल्हन की तरह भीलवाड़ा शहर को सजाया गया, माननीय प्रधान मंत्रीजी आ रहे हैं इसलिए उनके लिए अलग एक एरोड्रोम बनाया गया जिसमें ३० हज़ार रुपया खर्च हुआ। सारी सड़कों को चौड़ा किया गया और सारे शहर को पोता गया और एक नया रूप रंग दिया गया। जब पहले किसी राजा के लड़की की शादी होती थी तो सब को झाड़ू बुहारा देकर शहर को सजाना पड़ता था उसी प्रकार से इस सम्मेलन का आयोजन हुआ। मैंने आपको बताया था कि सर्वेन्ट्स ऑफ इन्डिया सोसाइटी चलती थी जिसमें देश के बड़े बड़े आदमी काम करते थे और उसके सदस्य थे यदि उसका हिन्दी अनुवाद लेते हैं तो भारत सेवक समाज ही हो सकता है। यदि भारत सेवक की शान और शौकत को देखते हैं, जिस शान और शौकत से काम होता है तो यह अवश्य दिखाई देता है कि जिस उद्देश्य को लेकर इस संस्था का निर्माण किया गया था वह उद्देश्य समाप्त हो गया है। इसके उद्देश्यों में यह बताया गया कि अन्यान्य दलों से भी सहयोग लिया जायगा। लेकिन कुछ दिनों पहले सदन में एक सूची रखी गई थी इस बात कि भारत सेवक समाज में कौन कौन सदस्य हैं। आपको मालूम होगा कि सिवाय कांग्रेस के व्यक्तियों के अन्य कोई दूसरा व्यक्ति इसमें नहीं है। सरकारी व्यक्ति भी केवल मंडन मिश्र होंगे जिनको दूसरे डिपार्टमेंट से डेप्युट किया गया है। इसमें इस प्रकार की योजना थी जिनको पेन्शन मिल गई, बाकी का कोई काम नहीं है, भगवान का भजन करते हुए उनसे काम करवाना है, राजनीति के क्षेत्र में वे आ नहीं सके, उनको इस क्षेत्र में लिया जाय वे पेन्सनर, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन से पेन्शन मिल गई, जो मंत्री मंडल में नहीं आ सके और सबसे ज्यादा पेन्शन शुदा माणिकलालजी वर्मा हैं, जिनके लिए केबिनेट में स्थान नहीं, पहले पार्लियामेंट के लिए हार गये थे उनको क्या पुरस्कार दिया जाय इसलिए उनको भारत सेवक समाज का कन्वीनर बना दिया। मैंने अखबार में पढ़ा था पं० जवाहरलालजी नेहरू ने कहा था कि कन्वीनर नियुक्त करने में सतर्क रहना चाहिये। प्रान्त में ज़िले के अन्दर, नगर के अन्दर कन्वीनर नियुक्त करते हैं तो हमको सतर्क रहना चाहिये कि इस प्रकार के व्यक्ति जो राजनीति के अन्दर हैं, उनका उद्देश्य अपनी पार्टी को पुष्ट करना है, उनका उद्देश्य अपने व्यक्तियों और अपने घर को कैसे पुष्ट किया जाय यह रहता है, उनको इस में नहीं आने देना चाहिये। भारत सेवक समाज में इसी प्रश्न को लेकर एक बड़ा रिफ्ट हो गया है। श्री रामनारायणजी चौधरी, जो भारत सेवक समाज के अच्छे कार्य कर्ता हैं, ने अपने तीन सौ साथियों के साथ इस का बहिष्कार किया। इसके अकॉउन्ट्स नहीं मिलते, जिनको शासन सत्ता सौंप रखी है, जन सहयोग लेना चाहिये ले नहीं सकते। भारत सेवक समाज का एक पवित्र उद्देश्य है, पंचवर्षीय योजना में जन सहयोग लाने के लिए उसका निर्माण किया गया था, उसमें

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

एक बहुत बड़ी फूट पैदा हो गई है। इस संस्था के द्वारा बहुत बड़े काम करवाना चाहते हैं। शायद मैं गलत नहीं होऊं तो ५ करोड़ रुपयों की धन राशि इस भारत सेवक समाज को देने वाले हैं, सिंचाई के बड़े बड़े काम हैं वे भारत सेवक समाज से कराये जायं। अब तक कितने काम किये हैं, किस रूप में वे काम हुए हैं किस ढंग से वे काम किये गये हैं ठेके ले कर यह सब माननीय सदस्यों को पता है। हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्री के इस विभाग की सबसे बड़ी आलोचना इस-लिए होती है कि ठेके दिये जाते हैं, ठेकों में बेईमानी होती है, निर्माण के कार्यों में ठेके-दार और बड़े २ अफसरों के पर्सेन्टेज़ बन्धे रहते हैं। उस आलोचना से बचने के लिए एक तरीका निकाला गया है कि भारत सेवक समाज को ठेका देंगे और उसे ठेका देने का मतलब यह है कि चाहे ईमानदार हो उनमें दूसरी पार्टी के ठेकेदारों को उसमें नहीं लिया जावेगा। उन्हीं को लिया जायेगा जो एक ही पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, व्यक्ति हों। जितने ठेकेदार भारत सेवक समाज में जावेंगे और ठेका लेंगे। पांच करोड़ रुपया दिया जा रहा है उस पर पहले विचार करना चाहिये कि संगठन किस प्रकार का है।

यह संगठन किस प्रकार का है किन व्यक्तियों के हाथ में है, इसका सही प्रकार से निर्माण हो गया है या नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर की एक घटना आपको बताऊं। माननीय मंत्री महोदय कहेंगे कि इसके दरवाज़े सब के लिये समान रूप से खुले हैं उसके लिये मैं आपको यहीं का उदाहरण देता हूं। जिस समय पहले पहल भारत सेवक समाज का यहां निर्माण हुआ था उस समय उसमें आज की तरह से नियुक्ति नहीं हुआ करती थी। जब किसी संस्था का चुनाव होता है उसमें यह भी हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति भी जीत सकता है। यहां जिस समय भारत सेवक समाज का चुनाव हुआ उस समय हमारी पार्टी ने भी तय किया था कि इसका चुनाव लड़ा जाय। उस पर हमारे इसी सदन के एक माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्र जी उस चुनाव में जीत गये और इसी प्रकार श्री चिरन्जीलाल जी मिश्र जिनका स्वर्गवास हो चुका है जो उस समय यहां के जनसंग के प्रेसीडेन्ट थे वे भी चुनाव में आ गये। वैसी हालत देखकर हमारे सत्ताधारी गुट के जो लोग थे उन्होंने विचार किया कि अगर इसी तरह से रहा तो हमारा आना मुश्किल हो जायगा। उन्होंने देखा इस तरह से दूसरी पार्टी के लोग इस भारत सेवक समाज में आ गये तो जो रुपया हम इनको देना चाहते हैं उसका उपयोग हमारे लिये नही हो सकेगा। इसलिये उस एडहॉक कमेटी को भंग किया गया और फिर किसी को चुनाव में भाग लेने नहीं दिया गया। बाद में यह तय कर दिया गया प्रान्तीय कनवीनर जो है वही नियुक्ति करेगा और उसी के आदेश पर कमिटी का निर्माण होगा। आप फिर यह कहते हैं कि सहयोग देते नहीं सहयोग कैसे दिया जाय दूसरी पार्टी के लोग आ जाते हैं तो आप उनको आने देते नहीं, उनको काम करने देते नहीं। यही हालत हमारे केन्द्र में जो भारत सेवक समाज है उनकी भी है। उसमें भी जिस समय यह संस्था बनी थी उस समय आचार्य कृपलानी और डॉ० श्यामाप्रसाद मुकर्जी जैसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने उनकी मिटिंगों में भाग लिया था लेकिन जब उन्होंने देखा कि

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

यहां भी पक्षपात हो रहा है तो वे वहां से निकल आये। वहां भी इसी प्रकार का पक्षपात होता है जैसा कि यहां पर। उन जैसी विभूतियों को भी पक्षपात के कारण उस संस्था से त्यागपत्र देना पड़ा। आज जिस प्रकार का इस भारत सेवक समाज का ढांचा है, जो वातावरण आज इस संस्था में बना हुआ है उससे तो ऐसा लगता है कि जिस पवित्र धारणा के साथ इस समाज का निर्माण किया गया था वह पवित्र नाम की वस्तु इसमें है ही नहीं। । मैं तो इस संस्था को इन लोगों की संस्था मानता हूं जो कांग्रेस के डिस्प्लेस्ड परसन्स हैं। जिनको ऑर्गेनाइज़ेशन में कोई स्थान प्राप्त नहीं उन डिसप्लेस्ड परसन्स का यह गढ़ है। कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा था कि कांग्रेस के ऐसे ऐसे लोग हैं सक्रिय कार्यकर्ता है जिनको किसी प्रकार काम नहीं मिलता मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं यह भारत सेवक समाज, खादी बोर्ड, जल बोर्ड, ये सब किसके लिये, ये उन्हीं डिसप्लेस्ड परसन्स के लिये है जिन्हें कांग्रेस संस्था में अट्रेक्टिव पोस्ट्स नहीं मिलती वे इसमें आकर अपना काम कर सकते हैं। उससे भी ज्यादा सर्वोदय है खादी संस्थायें, हैन्ड लूम बोर्ड, ये सब इसीलिये तो खोल रक्खें हैं जिनको हमारी सरकार एड के रूप में सहायता देती है। वह इसी लिये देती है कि अगर आप कांग्रेस संस्था से डिस्प्लेस्ड हो गये, कोई खास पोस्ट आपको नहीं मिलने वाली है आपको डाइरेक्ट कुछ दे नहीं सकते, तो उनको ग्रान्ट इन एड के रूप में दिया जाता है। और वह सबसिडी भारत सेवक समाज को जाती है। अपनी पिछलग्गू संस्थाओं को इस प्रकार की सहायता देकर, जिनका समाज में कोई स्थान नहीं, वैसी संस्थाओं को सहायता देकर हमारे समाज को शोषण क्यों किया जा रहा है। आज कहा यह जाता है कि समाज का शोषण पूंजी पतियों द्वारा हो रहा है लेकिन वास्तव में देखा जाय तो पूंजीपति तो शोषण करते होंगे तो वह दूसरी तरह का शोषण है किन्तु हमारी इस प्रकार की संस्थायें जिनको पब्लिक पर टैक्स लगाकर पैसा वसूल करके उनको दिया जाता है और उसमें ऐसे कार्यकर्ता जिनका एक्ट वली समाज में कोई स्थान नहीं उन लोगों को जनता से प्राप्त टैक्स का पैसा सौंपना यह उस शोषण से भी बदतर है। भीलवाड़ा के अन्दर बारह लाख रूपया राज्य सरकार ने खर्च किया था, बड़ा भारी प्रदर्शन किया गया, वह किस पैसे से राज्य की जनता की गाढ़ी कमायी का प्रदर्शन केवल चन्द लोगों के स्वार्थ के लिये किया गया था। मुख्य मंत्री महोदय ने अभी कुछ दिन पहले गवर्नर महोदय के भाषण का उत्तर देते हुए कहा था बिना विकास योजनाओं के काम नहीं चल सकता, भाखरा नांगल पर हमारा बहुत खर्चा हो रहा है, चम्बल बांध पर हम बहुत खर्चा कर रहे हैं। खर्चा आपका हो क्यों नहीं आपने चंबल बान्ध पर काम करने का ठेका भारत सेवक समाज को दिया है और उसका सारा पैसा मानिकलाल वर्मा के जेब में जाता है और इसीलिये आप चाहते हैं कि जनता पर टैक्स लगाये ताकि इस प्रकार के व्यक्तियों को लाभ मिले।

श्री रामकिशोर व्यास (गृहमंत्री) :

(श्री रामकिशोर व्यास)

माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्य का यह ऑब्ज़र्वेशन है कि यह पैसा माणिकलाल वर्मा की जेब में जाता है यह गलत है। इस प्रकार की बात किसी आदमी के बारे में, जो इस हाउस में नहीं कहनी चाहिये उचित नहीं है । अतः इन शब्दों को प्रोसीडिंग में से एक्सपन्ज करा दिया जाय ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या वे भारत सेवक समाज के कन्वीनर नहीं हैं, कहिये....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि जो एक्सप्रेशन आपने किया है उसको फिर न दोहरायें।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : (जारी) उपाध्यक्ष महोदय, यह तो मैं अवश्य निवेदन करूंगा कि इतना जो रूपया मिला है उसमें उनका दुरूपयोग होता है । अभी भीलवाड़ा में जो तमाशा हुआ वह क्या दुरूपयोग नहीं। साधु संस्था जिसका उद्देश्य और नीति बहुत पवित्र उसके लिये इतनी टीम टाम की क्या आवश्यकता । इस दृष्टि से भारत सेवक समाज को कार्य सम्पादन के लिये जो धनराशि दी जाती है उसके लिये मुझे आपत्ति है । इस संस्था का उद्देश्य केवल यही है कि इनका योजना के अन्दर सहयोग लेना न कि इनके हाथ में पैसे सौंपना। अगर पैसे उनके पास जाते हैं तो उसका दुरूपयोग हुये बिना नहीं रहता। इसलिये भारत सेवक समाज को जो ग्रान्ट इन एड के रूप में राज्य सरकार दे रही है वह न दी जाय इसके लिये जो प्रावधान इस बजट में रखा गया है उसको समाप्त कर दिया जाना चाहिये ।

दूसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव है लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम के सम्बन्ध में। यह एक बहुत अच्छी स्कीम है और यह उन लोगों के लिये चालू की गई जिनकी कम आमदनी है या जो अपने, पैसे से मकान न बना सकते हों, उन लोगों की सहायता के लिये हमारी सरकार ने यह स्कीम चालू की है । जिस ढंग से इस स्कीम के अन्तर्गत रूपया दिया जाता है और जिन व्यक्तियों को दिया जाता है वह वास्तव में ज़रूर सोचने लायक चीज़ है। आज तक जिन जिन लोगों को पैसा दिया गया है उनकी लिस्ट अगर आप उठा कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनमें से कितने व्यक्तियों के मकान किराये पर चल रहे हैं । उसमें यह शर्त है कि रूपया उस हालत में दिया जावे जिससे अपने रहने के लिये मकान बनाया जाय।लेकिन जिन जिन लोगों ने रूपया लिया है वेमकान बना बनाकर किराये पर चला रहे हैं। आपसीकर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का ही मकान देख लीजिये जिन्होंने कर्ज़ा लिया है लेकिन मकान किराये पर दे रखा है। इतनी बड़ी रकम जो मकान बनाने के लिये दी उसके उपरान्त भी किराया लोग उठा रहे हैं। जिस दृष्टिकोण से यह रूपया दिया गया उसके आधार पर यह गलत है। जयपुर में जिन लोगों ने पैसा लेकर मकान बनाया उन्हीं को भी आप देख लीजिये । इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, जितना रूपया दिया गया वह ज्यादातर सरकारी कर्मचारियों को ही दिया गया जब कि अन्य लोग भी उसके लिये उम्मेदवार हैं लेकिन तरज़ीह उनको दी जाती है मेरा तो यह निवेदन है

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

कि जिन लोगों ने सरकार से लो इन्कम ग्रुप से रुपया लेकर मकान बनावाया है और किराये के लिये दे दिया है उनसे तुरन्त वसूल कर लेना चाहिये। आपने जो कर्ज़ा दिया है उनकी लिस्ट आप उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर सरकारी कर्मचारी है। क्या सरकारी कर्मचारी के अलावा दूसरे लोगों को इस प्रकार के लोन की जरूरत नहीं है? क्या सरकारी सर्विस में आने वालों के अलावा सब मालदार ही मालदार नजर आते हैं? मेरा यह निवेदन है कि इस स्कीम को जहां आपने कुछ शहरों तक ही सीमित रखा है उस स्कीम को आप गांवों तक भी ले जाइये। वहां के लोगों को इस प्रकार की सुविधा दीजिये इस तरह से इस स्कीम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कुल ५ कटौती प्रस्ताव हैं। सबसे पहले मैं पंचायत वाले पर बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान में कुल ३॥हज़ार ग्राम पंचायतें काम कर रही हैं और इसके साथ ही साथ २१२ तहसील पंचायतें काम कर रही हैं। उनको अपने विकास के काम को आगे बढ़ाने के लिये पैसों की आवश्यकता रहती है। पर अधिकांश ग्राम पंचायतें ऐसी हैं कि अपने स्टाफ का पैसा भी नहीं दे सकती, विकास का काम तो दूर रहा।

यह हमारी यहां की स्थिति है उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरे राज्यों की इस बारे में क्या व्यवस्था है यह निवेदन करना चाहता हूं। बम्बई में पंचायतों को टोटल लैंड रेवेन्यू का ४० पर्सेन्ट सहायता के तौर पर दिया जाता है जो कि वहां के सेक्रेटरी और दूसरे स्टाफ और विकास कार्यों के लिये काम में लिया जाता है। मद्रास में १५ पर्सेन्ट और यू.पी. में भी इतना ही लैंड रेवेन्यू का विकास कार्यों पर खर्च करने को दिया जाता है।

इसके साथ ही बिहार गवर्नमेंट की एक पुस्तक मेरे पास है पंचायतस एट ए ग्लांस जिसमें पंचायतों के सेट अप के बारे में और उनको क्या क्या एड मिलती है, ये दिया हुआ है। हाल ही में पंचायत राज एक्ट अमेंड किया है और उसमें प्रावधान रखा है कि टोटल राजस्व का ६। पंचायतों के विकास काम में खर्च किया जायगा। और राजस्थान में क्या हालत है इसके लिए मैं निवेदन करूं कि राजस्थान में कुल २७ लाख ऐसे आदमी हैं जो टाउन और सिटी एरिया में रहते हैं, और इसके अलावा हमारे डेढ़ करोड़ की जन संख्या में से १,२३ लाख की आबादी हमारे ग्राम पचायतों की एरिया में रहते हैं। राज्य सरकार ने पिछले ३ साल में क्या सहायता दी है उसके लिये मैं निवेदन करूंगा। सन् १९५७–५८ में म्युनिसिपिल एरिया में १६ लाख रुपये सबसिडी के रूप में दिये गये और पंचायतों को केवल २३ लाख रुपये दिये गये। इस प्रकार १९५८–५९ में म्युनिसिपल एरियाज़ में १८ लाख रुपये और पंचायतों को २५ लाख रुपये दिये गये, और इस साल की बजट में २१ लाख रुपये टाउन और सिटी म्युनिसिपेलिटीज़ को सबसिडी के रूप में देने का प्रावधान है लेकिन इसके विपरीत पंचायतों को केवल कुछ लाख रु० देने का प्रावधान है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि म्युनिसिपल एरियाज़ में जो आबादी है और तह-

(श्री भीमसेन)

सील और पंचायत क्षेत्र में जो आबादी है उनको देखते हुए जितनी सहायता पंचायत क्षेत्र वालों को मिलनी चाहिये उतनी नहीं मिल रही है। हम कहते हैं कि पंचायतों को अधिकार दे रहे हैं लेकिन अधिकारों के साथ साथ उचित मात्रा में धन की व्यवस्था नहीं होगी तो वे किस प्रकार से काम कर पायेंगे, मैं नहीं समझ सकता।

इसी प्रकार ही दूसरे राज्यों में भी कुछ प्रतिशत विकास कार्य के लिये दिया जाता है और राजस्थान में भी देना चाहिये। यह कहा जाता कि हमने एक रुपये के बजाय दो रुपये लैंड रेवेन्यू का कुछ प्रतिशत राजस्थान में नियुक्त किया है, परन्तु आबादी के अनुपात को देख कर, जिस प्रकार म्युनिसिपलिटीज़ पर खर्च किया जा रहा है, उनको जो लोन दिया जा रहा है उसका मैंने अभी ज़िकर नहीं किया, तो पंचायतों पर खर्चा जो किया जा रहा है उसका अनुपात बहुत कम है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि पंचायतों के विकास कार्य के लिये स्टेट लेवल पर एक कॉमन पूल होना चाहिये और उस पूल में से हरएक पंचायत को अपने विकास कार्य के लिये जितनी उनकी आवश्यकता हो उसके अनुसार उनको पैसा देना चाहिये, तो यह व्यवस्था उचित रहेगी।

दूसरा मेरा प्रस्ताव है ग्राम पंचायतों को राजस्व वसूली के अधिकार देने के बारे में। उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायतों को राजस्व वसूली के अधिकार देने चाहिये या नहीं, इस प्रश्न पर हमारे राज्य में कई वर्षों से विचार चल रहा है लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। दूसरी स्टेट्स में, बाम्बे, मध्य प्रदेश और बिहार, इन तीन स्टेट्स में पंचायतों को लगान वसूली के अधिकार दिये गये हैं। लेकिन हमारे यहां अभी तक इस सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं हुई। सन् १६५६ में शिमला में लोकल सेल्फ मन्त्रियों की कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें यह निर्णय हुआ कि धीरे धीरे पंचायतों को लगान वसूली के अधिकार दिये जायें, लेकिन आज तक हमारे राजस्थान में इस सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं हुई है। मैं निवेदन करूंगा कि लगान वसूली का कार्य अगर पंचायतों को दिया जाय तो जहां तक वसूली का सवाल है वह अच्छा होगा ही, लेकिन साथ साथ पंचायतों को मदद भी मिलेगी। राजस्थान में लैंड रेवेन्यू का ५ प्रतिशत कमिशन के रूप में पटेलों, नम्बरदारों और चौधरियों को दिया जाता है और वह कुल मिला कर मैं समझता हूँ ८ या १० लाख होता है। अगर इतने फंड्स पंचायतों को लैंड रेवेन्यू से मिलें तो ये पैसे जो प्राइवेट आदमियों को दिये जा रहे हैं वे गावों के विकास के लिये काम आते और यह बहुत उचित व्यवस्था होती।

तीसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बीकानेर को आर्थिक सहायता देने के बारे में है। उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड राजस्थान में सब से पुराना डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है और सन् १६३० से यह काम करता आ रहा है और काफी अच्छे काम किये हैं लेकिन आज तक इस बोर्ड ने सरकार से सबसिडी या लोन के रूप में एक पैसा नहीं लिया। सन् १६५६-६० के बजट में इस बोर्ड ने १ लाख रुपये की योजना सरकार के सामने प्रस्तुत की है जिसमें कुछ स्कूल, औषधालय और सड़कें बनाने का प्रोग्राम है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट की धारा

(श्री भीमसेन)
१५७ में यह प्रावधान है कि ऐसी जन हितकारी योजनाओं के लिये सरकार ३-४ हिस्सा ग्रान्ट देती है और १।४ हिस्सा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड खर्चा करता है तो इस साल की बजट में २५ हजार रुपये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पब्लिक कांट्रीब्यूशन आदि से खर्च करेगा और सरकार को ७५ हज़ार रुपये देने चाहिये। तो मैंने यह प्रस्ताव डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को सहायता देने के बारे में प्रस्तुत किया है।

एक कटौती प्रस्ताव मेरा पंचायत विभाग के पुनर्गठन के प्रश्न पर विचार करने लिये है। उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत विभाग के पुनर्गठन को लेकर अभी एक कटौती का प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ और उसके संबंध में उन्होंने काफी विचार व्यक्त किये। मैं भी इस सम्बन्ध में दो चार शब्द निवेदन करना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत विभाग का पुनर्गठन जिस जल्दीबाज़ी से और जिस छिपे तौर पर किया गया उसमें हमें कुछ शंका होती है। जिस प्रकार से पंचायत विभाग का सैटअप नया सैट-अप बैठाया गया उसमें उन्होंने पंचायत एक्सटेन्शन ऑफिसर्स रखे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर रखा है और स्टेट लेविल पर चार असिस्टेन्ट डाइरेक्टर्स रखे हैं, एक डिप्टी डाइरेक्टर और एक डाइरेक्टर की पोस्ट रखी है। लेकिन इस पुनर्गठन के सम्बन्ध में जो अव्यवस्थायें और जैसा तानाशाही रवैया अख्तियार किया गया उसके सम्बन्ध में मैं दो चार शब्द निवेदन करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इस डिपार्टमेंट की इन्स्पेक्टर्स की सीनियोरिटी लिस्ट १५-४-५७ को राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित की गई। उस सीनियोरिटी लिस्ट को देखते हुए और जिस प्रकार से अभी पंचायत एक्सटेन्शन ऑफिसर का रिक्रूटमेंट किया गया और डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट किया गया उसमें किसी तरह के नियमों का पालन नहीं किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मैं दो चार इन्स्टेन्सेज़ कोट करना चाहता हूँ जिससे यह ज़ाहिर होगा कि किसी भी नियम या किसी भी रूल्ज़ का पालन नहीं किया गया। अगर हम यह देखें कि क्वालिफिकेशन्स के आधार पर किसी तरह का रिक्रूटमेंट होता है या मैरिट्स के आधार पर किसी तरह का रिक्रूटमेंट होता है तो उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्बन्ध में जो रिक्रूटमेंट किये गये हैं और मैरिट्स के दृष्टिकोण को लेकर चलें, तो उपाध्यक्ष महोदय, हमें निराश होना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं कि एक चीफ पंचायत ऑफिसर तो ऐसा है कि जो नान मिडिल है जिसको कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर बनाया गया है। अगर इस डिपार्टमेंट की सीनियोरिटी के हिसाब से देखें तो भी हमें निराश होना पड़ेगा। इस डिपार्टमेंट में कुल २७ डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्टर्स थे। डी० पी० ओज़ की पोस्ट के लिए नवम्बर १ से १२ तक और फिर १८ से २० नवम्बर तक इन्टरव्यू के लिए बुलाया गया और उसके साथ साथ केवल ६ आदमी पंचायत एक्सटेन्शन ऑफिसर्स जो थे उनको कॉल किया गया और इसके साथ ही साथ कुछ नायब तहसीलदार और तहसीलदारों को भी डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर बनाने के लिए सिफारिशें की गई। मेरी समझ में नहीं आता कि किस प्रकार जो ऑलरेडी इन्स्पेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स थे और जो काम कर रहे थे और जो सीनियर भी थे और जो इस डिपार्टमेन्ट के कामों से पूर्णतः परिचित थे उनको इग्नोर किया गया और इग्नोर करके ऐसे आदमियों को लिया गया जो इस डिपार्टमेन्ट के काम से वाकिफ नहीं

Page No.49

(श्री भीमसेन)

हैं, जो इस डिपार्टमेन्ट के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। लेकिन क्योंकि डाइरेक्टर साहब की किसी तरह की अच्छी नज़र थी इस वजह से उनको प्राथमिकता दी गई। उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम यह कहें कि मेहता कमेटी ने जैसी रिकमन्डेशन की कि पंचायत विभाग या दूसरे विकास के विभागों में ऐसे आदमियों को ही प्राथमिकता दी जाये जो कि रूरल बैक्ग्राउन्ड के हों या इस तरह का क्राइटेरिया लेकर रिक्रूटमेन्ट होता तो समझ में आ सकता था कि पुनर्गठन हो रहा है मेहता कमेटी की रिकमन्डेशन के अनुसार काम किया जा रहा हो ऐसी भी बात नहीं है और न मेरिट्स का ख्याल रखा, न सीनियोरिटी का और न मेहता कमेटी की जो सिफारिशें थी कि रूरल बैक्ग्राउन्ड के आदमियों को डवेलपमेन्ट के डिपार्टमेन्ट्स में प्रायोरिटी दी जानी चाहिए न इसका ही ख्याल रखा। अभी सितम्बर, ५८ में पंचायत एक्सटेन्शन ऑफिसर्स का रिक्रूटमेन्ट किया गया उसके लिए एप्लीकेशन्स मंगाई गई चुपके चुपके और उसमें सिर्फ शहर के लोगों को ही लिया गया। तो इस तरह से आज इस डिपार्टमेन्ट के पुनर्गठन के नाम पर जो तानाशाही रवैया अख्तियार किया गया है उसके संबंध में मैंने यह प्रस्ताव रखा है। उसके साथ ही साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हम पंचायतों को अधिक अधिकार देने जा रहे हैं। यह हम ज़रूर कहते हैं कि अधिक अधिकार देने जा रहे हैं और यह भी कहते हैं कि पॉवर्स को डीसेन्ट्रेलाइज़ करने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इस विभाग का पुनर्गठन किया गया उसमें मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरह से हमारा डीसेन्ट्रेलाइज़ेशन हुआ। मैं उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां राजस्थान में पहले डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्टर्स थे, डिविज़न्स के पास में डिविज़नल पंचायत ऑफिसर्स थे और स्टेट लेविल पर चीफ पंचायत ऑफिसर या हैडक्वार्टर्स . डिविज़नल पंचायत ऑफिसर्स थे, लेकिन जो डिविज़नल पंचायत ऑफिसर्स का पद था उसे समाप्त कर दिया गया है और जो डिविज़नल पंचायत ऑफिसर की पॉवर्स थीं, वे आज सेन्ट्रलाइज़ कर दी गई हैं, हैडक्वार्टर्स में। तो जो डिविज़न की जनता थी और वहां की जो पंचायत थी उनको अपने काम के लिए आज जयपुर में आना पड़ेगा। तो मेरी समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से पॉवर्स का डीसेन्ट्रेलाइजेशन हो रहा है। मैं तो यह कह रहा हूँ कि डीसेन्ट्रेलाइजेशन की जगह सेन्ट्रेलाइजेशन किया जा रहा है। मैंने बिहार स्टेट का जो पंचायत का सेट-अप है, उसको देखा है वह बहुत ही प्रगतिशील है। उसमें उन्होंने ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायतें, तहसील लेवल पर तहसील पंचायतें और स्टेट लेवल पर स्टेट पंचायत बोर्ड की स्थापना की है। इस प्रकार का सेट-अप है, उनका; लेकिन हमारे यहां सुनने में आता है, पता नहीं कहां तक सही है, कि अभी तहसील पंचायतों के चुनावों की डेट मुकर्रर की गई है और वह स्थगित भी कर दी गई है और सुनने में आ रहा है कि हमारी सरकार तहसील पंचायतें फार्म करना चाहती है। कहा यह जाता है कि मेहता कमेटी की रिकमन्डेशन है कि हम पंचायत समिति बनायेंगे। आप खुशी से पंचायत समितियां बनाइये लेकिन मेहता कमेटी ने यह कहीं भी रिकमन्ड नहीं किया कि जो तहसील पंचायत फंक्शन कर रही हैं वह मध्य भारत

(श्री भीमसेन)

में भी कर रही हैं चाहे उनका नाम दूसरा हो, बिहार में फंक्शन कर रही हैं चाहे उनका नाम दूसरा हो, मद्रास में फंक्शन कर रही हैं चाहे उनका नाम दूसरा हो, मगर मेहता कमेटी ने यह कहीं भी रिकमण्ड नहीं किया कि जो तहसील पंचायत काम कर रही हैं उनको एबोलिश कर दिया जाये। उनकी पॉवर्स रहेंगी और पंचायत समितियों के जो विकास के काम होंगे, वह करेंगी। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि पंचायत विभाग का जो पुनर्गठन किया जा रहा है और जिस जल्द-बाज़ी से किया गया है। आज पंचायत गांवों में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या डिविज़न लेवल पर कोई पंचायत विभाग का काम नही हो रहा है। सारे ऑफिसर्स इस तरह से बैठे हुए हैं कि उनके मेंटल पीस ही नहीं है। कभी किसी तरह का सेट-अप और कभी किसी तरह का। आज तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑफिसर्स हैं और कल उनको पंचायत ऑफिसर बना दिया जाता है। आज जो काम चल रहा है वह बहुत असन्तोषजनक है और जो कुछ काम होने चाहिये थे वे प्राग्रेस पर नहीं हैं। इसलिए इस विभाग का पुनर्गठन होना वाजिब था। तो, सबसे पहले उपाध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रूल्स बना लिए जाते, हर एक लेवल के सर्विसेज़ के रूल्स बना लिए जाते और रूल्स बनने के बाद उनको पब्लिश कराके उसके बाद में इस विभाग का पुनर्गठन किया जाता। लेकिन रूल्स बने नही और इस तरह से जल्दबाज़ी की गई कि जिससे कुछ शंकायें होती हैं और उपाध्यक्ष महोदय, हमारे एक माननीय सदस्य ने तो कटौती प्रस्ताव के सम्बन्ध में कहा था कि किस प्रकार डाइरेक्टर ऑफ पंचायत ने स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस हाउस के जो पॉवर्स थे उनको छीन करके उन्होंने इस विभाग का पुनर्गठन किया है। यह हाउस के सोचने की बात है और बड़ी गम्भीर समस्या है। इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

१. ६. म. प.

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मांग पर मैं अपने दो कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। पहला है : "मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ५७ में एक रुपये की कटौती की जावे (पत्रों में विज्ञापन देने के सम्बन्ध में बहस करने के लिए)"

और दूसरा है :

"मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ५७ विविध में एक रुपया की कटौती की जावे (रोज़गार दफ्तर के सम्बन्ध में वादविवाद करने हेतु)

विज्ञापन देने की नीति के सम्बन्ध में हमारी विधान सभा के अन्दर काफी वाद-विवाद समय समय पर हुए हैं और इस सम्बन्ध में जो राज्य सरकार ने उत्तर दिये हैं वे भी बड़े अपर्याप्त हैं। यहां तक वे अपर्याप्त हैं। कि यह कह दिया जाता है कि हमारी समझ में आयेगा और जिसको चाहेंगे उसको विज्ञापन देंगे और मेम्बरों द्वारा चार्ज लगा देते हैं कि आप जिनको चाहते हैं उनको मदद करते हैं। हमारे ऊपर चार्ज है उस चार्ज का हमें जवाब देना है और इस तरह से देना है कि जी हां हमारी मर्जी की बात है। समाचारपत्र हमारी प्रजातंत्र के प्रहरी

(डॉ० बहादुरसिंह)

हैं। समाचारपत्र हमारी राज्यपद्धति का प्रतिबिम्ब है और जब हम उनको विज्ञापन देकर के उनकी आर्थिक नीति को बिगाड़ते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम नहीं चाहते कि हमारे देश में स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता पनपे।

मैं किस पत्र के बारे में या किसी पत्र की वकालत नहीं करता हूं। न किसी पत्र की आलोचना करता हूं, लेकिन इतना निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हमारी इस प्रकार की नीति रही तो राजस्थान किधर जायगा यह हम नहीं कह सकते। लेकिन हमारी काफी बदनामी है, और हम यह बराबर देख रहे हैं कि जिन पत्रों को विज्ञापन दिया है वे पत्र किस प्रकार से अब हमारे सेब्लेकमेलिंग करने लगे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक पत्र की ओर दिलाना चाहता हूं जो कि एशिया का सबसे बड़ा पत्र कहलाता है। उसका नाम है ब्लिटज़ है। इस ब्लिटज़ के अन्दर नाथद्वारे के समाचार का उद्घाटन हुआ है। सबसे पहले हिन्दुस्तान के अन्दर इस समाचार को निकालने वाला वही पत्र है। सबसे पहला पत्र यही है कि जिसने उद्घाटित किया है कि नाथद्वारा में इतना बड़ा काण्ड होगया है। उसके बाद पत्रों का किस प्रकार से मुंह बन्द किया है। यह देखने की एक चीज़ है। यह (पत्र दिखाकर) १५ मार्च, १६५८ का पत्र है। इस पत्र के अन्दर ४ पेज का विज्ञापन दिया, और इतना लम्बा चौड़ा विज्ञापन दिया है, राजस्थान गवर्नमेंट के नाम से राजस्थान गवर्नमेंट का विज्ञापन होने के लिये विज्ञापन दिया है। पूरे पेज का विज्ञापन दिया है। पेज नं० १ पर पूरा पेज है। इसके बाद और आप देखेंगे इसी ब्लिटज़ के अन्दर पेज १४ पर पूरे पेज का विज्ञापन है, और इसके बाद आपका सत्तरहवां पेज है इसमें भी पूरे पेज का विज्ञापन है। लेकिन जिस वक्त इस पेपर को विज्ञापन देदिया, इस पत्र का आज दिन तक जितना पैसा दिया गया, जितना उसका वायदा था, उस वायदे के अनुसार उसने आलोचना बन्द कर दी और आज तक नाथद्वारे के बारे में कोई समाचार प्रकाशित नहीं किया....

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): आप इसको सदन की टेबिल पर रख दिजिये।

डॉ० बहादुरसिंह: जिस वक्त मियाद पूरी होती है इस समाचारपत्र के दुबारा समाचार निकालना शुरू कर दिया, और मैं समझता हूं दुबारा इस बात की कोशिश की जा रही है इस पत्र के द्वारा अगर आपकी हिम्मत है तो उसका उत्तर दें। आपकी यह अच्छी नीति नहीं है कि जो हमारी आलोचना करेगा उसको विज्ञापन बराबर देगें, और इसलिए देगें कि उसका मुंह बन्द हो जाय, कुछ लिखे नहीं, आपके खिलाफ में गवर्नमेंट को निश्चित तौर से इस बात को कहना चाहता हूं कि अगर आप में हिम्मत है तो जो समाचार निकाला गया है उसके अन्दर सफाई करने की कोशिश करें। अगर इस बात की कोशिश नहीं की जायगी। कोशिश इस बात की होगी कि इसका मुंह किस तरह से बन्द किया जाय। अभी अभी जो ब्लिटज़ ७ मार्च ५६ को निकला उसमें एक साल के बाद, ठीक एक साल के बाद समाचार निकला है। १० महीने तक इस पत्र का मुंह बन्द रहा। इसने राजस्थान के बारे में एक भी आलो नहीं की। साल या १० महीने के बाद इस

(डॉ० बहादुरसिंह)

पत्र को फिर आवश्यकता हुई कि राज्य सरकार कुछ एडवर्टाइज़मेंट दे, और इस ख्याल से खुला चेलेन्ज रखा, और इसके अन्दर राजस्थान के बारे में एक समाचार प्रकाशित हुआ कि लाख रूपये का गवर्नमेंट पेपर सोल्ड इन ब्लेकमार्केट और उसके लिए एक मंत्री पर खुला चार्ज लगाया है

'ONE LAKH GOVERNMENT PAPER SOLD IN BLACK MARKET'

',...The simple reason is that in his capacity as Superintendent, Central Press, Jaipur, he gladly agreed to oblige a headstrong Jat Minister by advancing free of cost, Government paper worth about a lakh of Rupees to a relation of the Minister and totally forget about it......" यह एक खुली चीज़ है। इसका मतलब यह है कि हम उन पेपर्स का मुंह बन्द करना चाहते हैं जो कि आलोचना करते हैं। तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं। यदि हमनें इस प्रकार को नीति अपनाई है जो कि बड़ी घातक नीति है। इस नीति से राजस्थान के अन्दर समाचारपत्र पनप नहीं सकते, और कहा यह जाता है कि केन्द्र की कोई नीति नहीं है। केन्द्र की नीति से कोई मतलब नहीं है हमें इस सम्बन्ध में एक स्वतन्त्र नीति बनानी चाहिये में समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति, यह बात बिल्कुल सीधी है, इस बात को मानने को तैयार है कि इस संबंध के जो मंत्री हैं पब्लिक रिलेशन्स डिपार्टमेंट के, मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, उनका किसी पत्र के साथ कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं हैं, लेकिन पब्लिक रिलेशन्स डिपार्टमेंट है वह जानता है कि किसी व्यक्ति की क्या नीति है, किस पेपर को क्या एडवर्टाइज़मेंट देना चाहिए। यही नहीं हमने विज्ञापन दिया लेकिन हमने न तो यह ध्यान रखा है कि आया पत्र कौन सा है, कब निकलता है, हमें किस चीज़ का विज्ञापन कब देना चाहिए, और इसका विज्ञापन का फायदा किन लोगों को होगा? माननीय उपाध्यक्ष। यह तो आप जानते है कि विज्ञापन दिया जाता है प्रचार के दृष्टिकोण से और जब प्रचार के दृष्टिकोण से दिया जाता है तो इसलिए नहीं देते हैं कि उसकी मदद करना है, लेकिन जिस मद से व्यय करें, जिस कार्य के लिए पैसा खर्च करते है यदि वह पैसा उसमें नहीं खर्च किया जायगा और पैसा यदि इस तरह खर्च किया जायगा तो वह व्यर्थ गया, तो उससे कोई फायदा नहीं। आप विज्ञापन देना चाहते हैं तो सबसे पहले यह देखें कि यह पत्र किन किन क्षेत्रों में जाता है, कौन से लोग इसको पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद क्या प्रभाव होता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पत्र छपता है सोमवार को और तारीख पड़ती है मंगल और बुध की एडवर्टाइज़मेंट दिया है रविवार को और निकाला जाता है बुध को। इस तरह की बातें, यह हमें सोचने की चीज़ है।

मैं इसके बाद रोज़गार दफ्तर के संबंध में कहना चाहता हूं। ये रोज़गार दिलाने वाले दफ्तर हमने जगह जगह बना रखे हैं, और लेबर विभाग, जो श्रम विभाग है, उसका संचालन करता है। इस विभाग के दफ्तर के लोग मेरे यहां जाते हैं, लेकिन एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आती कि रोज़गार दिलाने वाले

(डॉ० बहादुरसिंह)

दफ्तर का उपयोग क्या करते हैं। और जहां भी देखते हैं कि कर्मचारियों की ज़रूरत है तो हम इस बात की कोशिश नहीं करते हैं कि रोज़गार दिलाने वाले दफ्तर की सहायता लें। रोज़गार दिलाने वाले दफ्तर को कोई वक्त भी है। हमारे यहां सबसे बड़ी कमी यह है कि रोज़गार दफ्तर की बिल्कुल उपेक्षा करते हैं, और उसके कारण बराबर स्टेटिस्टिक्स बढ़ती हुई चली जाती हैं। आज जिसकी सिफारिश पहुंच गई तो निश्चित तौर पर भरती कर लिया जायगा और नौकर हो जायगा, लेकिन रोज़गार दफ्तर यदि सिफारिश करता है और उसके एप्रोचेज़ नहीं है, तो मैं समझता हूं शायद हमारे यहां तो, राज्य की नौकरी तो वह प्राप्त नहीं कर सकता चाहे दूसरी जगह कोई नौकरी प्राप्त कर ले। यह ज़रुर है कि रोज़गार दफ्तर हमारे यहां जिस वक्त वार हुई तो फौजियों को भर्ती करने के लिए फौजी दफ्तर के रूप में था। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेन्ज को उन फौजियों को वार के बाद दूसरी जगह काम दिलाने वाले दफ्तरों में परिवर्तित कर दिया गया है। आज उनका उपयोग है, क्योंकि आज बराबर बेकारी देश के अन्दर बढ़ रही है। हमें इस बात की ज़रूरत है, हमारी यह एक ऐसी ऐजेन्सी है जिसके द्वारा हम कुछ उचित लोगों को नौकरी दिलायें और जिनको ज़रूरत हो वह वहां पहुंच जायं, लेकिन जब एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज की परवाह हम खुद नहीं करते हैं तो कैसे संसार को इसकी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य के अन्दर जितने भी कर्मचारी हैं चाहे वे किसी पोस्ट के लिए हैं, राज्य में लोगों को खानापूरी करने की दृष्टिकोण से नहीं रखा जाय, लेकिन जिनकी पहले एप्लीकेशन आये और मेरिट्स हों उनको न्याय पूर्ण तरीकों से नौकरी देना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए जो विज्ञापन की नीति है उसके बारे में अन्त में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी एडवर्टाइज़मेंट दिया जाय, जो कम से कम इस प्रकार से ब्लिटज़ में निकलता है, तो आपके अन्दर हिम्मत हो तो उसका जवाब दें। हिम्मत नहीं है तभी तो वह ब्लेकमेल करता है।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) : पहले जवाब दे चुका हूं। तीन दफा दे चुका हूँ।

डॉ० बहादुरसिंह : आपकी हिम्मत नहीं है...

श्री रामकिशोर व्यास : चार दफा जवाब दे चुका हूं।

डॉ० बहादुरसिंह : जो ७ मार्च का समाचार निकला है १ लाख का घोटाला है इसके बाद में आपके विभाग से एडवर्टाइज़मेंट दिया गया तो ज़रूर ध्यान आकर्षित करूंगा, और आप देखेंगे कि ब्लिटज़ को कितना एडवर्टाइज़मेंट दिया गया है।

श्री रामकिशोर व्यास : कहने से मिलता नहीं है एडवर्टाइज़मेंट।

श्री मोहनलाल भटनागर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इस पर जो कटौती का प्रस्ताव है वह इस प्रकार है।

"......to discuss the failure of the Government to start low income group housing Scheme in all Municipal towns of Rajasthan".

(श्री सोहनलाल भटनागर)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज भोजन और वस्त्र के बाद मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सबसे बड़ी उपयोगी और आवश्यक वस्तु जो है वह मकान है, और आज़ादी प्राप्त करने के बाद हरएक इस बात की इच्छा करने लगा है कि कहीं वह एक अच्छे और स्वास्थ्यप्रद मकान में रहने लगे। पहले के जमाने में एक तरफ बड़े महल थे और दूसरी तरफ झोंपड़ियां थी, लो इन्कम ग्रप वालों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। इस दृष्किोण को रखते हुए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस बात का प्रावधान रखा है। २६३. ५० लाख में से १६१.१६ लाख लो इन्कम ग्रुप के लिए रखा गया है। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, इसके बारे में, कि राजस्थान के अन्दर जितने भी म्युनिसिपल टाउन्स है उनके अन्दर यह स्कीम लागू नहीं की गई है। वह केवल १५ टाउन्स के अन्दर लागू की गई है; अजमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, अलवर, भीलवाड़ा, गंगानगर, पाली, सीकर, नागौर, चित्तौड़, डूंगरपुर आदि में। इस तरह से कुल १५ जो शहर हैं उनमें ही यह स्कीम लागू की गई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि इसके लिये क्राइटेरिया क्या था जिस बिना, पर केवल १५ कस्बों में जिनका कोई क्राइटेरिया नज़र नहीं आता, कई बड़े कस्बे हैं कई छोटे हैं और बीच के रह गये है। सरकार यह कह सकती है कि क्यों कि उन के पास रकम कम थी इस लिये सभी म्युनिसिपल टाउन्स पर खर्च नहीं कर सकती थी लेकिन मेरा निवेदन यह है कि जिस प्रकार से दूसरे मदों में बराबर वितरण किया जाता है, इक्विटेबल डिसट्रिब्यूशन किया जाता है उसी प्रकार से इस में भी जितने म्युनिसिपल टाउन्स हैं उनको रकम दी जाती। दूसरे टाउन्स में भी मध्यम श्रेणी के लोग रहते हैं, वहां भी उनकी समस्या उतनी ही विकट है इसलिये वहां भी इस स्कीम को लागू करना चाहिये।

मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव रूरल हाउसिंग स्कीम के लिये है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से पहले कहा गया है कि केवल २५. २७ लाख की आबादी राजस्थान में शहरों में रहती है और बाकी सवा डेढ़ करोड़ की आबादी गांवों में रहती है, लेकिन यदि हम द्वितीय पंच वर्षीय योजना में हाउसिंग स्कीम को देखें तो विदित होगा कि सरकार ने रूरल एरिया की उपेक्षा की है। जो रकम रही है वह शहरों के लिये रखी है। इस साल का बजट देखा जाय तो इसके पेज ५४ पर दिया है, कुल ४५ हज़ार रुपये रूरल हाउसिंग स्कीम के लिये रखे हैं जब कि तीन चौथाई आबादी गांवों में रहती है तो इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। इसके लिये अलग एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर मुकर्रर करने की भी बात थी लेकिन ऐसा नहीं करके सिटी डिविज़न जयपुर के जो इंजीनियर हैं उनको ही यह काम सौंप दिया गया जिनके पास पहले ही काफी काम है। इसलिये मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि रूरल एरिया की ओर भी ध्यान दे।

मेरा तीसरा कट मोशन तहसील पंचायतों की अर्थ व्यवस्था के बारे में है। पंचायतों के ऊपर तहसील पंचायतों का अपीलेट जुरिस्डिक्शन है। उनके पास कोई स्वतंत्र कार्य नहीं है और न कोई उनकी आमदनी का ज़रिया है, सिर्फ दो ज़रिये उनको दिये गये हैं। एक तो हड्डियों का ठेका और दूसरा रेवेन्यू में से

(श्री सोहनलाल भटनागर)

जो पंचायतों को देते हैं उसमें से कुछ हिस्सा तहसील पंचायतों को भी देने को रखा हुआ है। लेकिन तहसील पंचायतों की अर्थ व्यवस्था को देखें तो विदित होगा कि उनकी हालत खराब है। कई तहसील पंचायतों को सेक्रेटरी रखने के लिये और रोज़मर्रा का कार्य करने के लिये काफी रकम खर्च करनी पड़ती है लेकिन वे ठीक तरह से कार्य चला नहीं सकती और इसलिये कई तहसील पंचायतें तो अपना कार्य बंद कर रही हैं और सरकार को इसकी सूचना भी दे दी गई है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि तहसील पंचायतों की अर्थ व्यवस्था का खास प्रबन्ध किया जाय ताकि ठीक तरह से चल सकें। सरकार यह भी कह सकती है कि हमारे पास इसके लिये फंड नहीं है लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि जो दूसरे क्रिमिनल और सिविल कोर्टस हैं और जिनका अपीलेट जुरिस्डिक्शन है उनके बारे में निवेदन करूंगा कि केवल अपनी आमदनी से वे खर्चा नहीं चला सकतीं। हज़ारों और लाखों रुपये जजेज आदि की सैलेरी वगैरा के देने पड़ते हैं, सरकार को अपने फंड में से। इसी दृष्टिकोण से यदि पंचायत राज्य ठीक तरह से चलाना है और यह देखना है कि ग्राम पंचायतें कार्य ठीक तरह से चलावें और नियंत्रण रहे तो तहसील पंचायत की आर्थिक व्यवस्था ठीक की जाय। यह कहा जा सकता है कि नया एक्ट आने वाला है उसमें तहसील पंचायतों का कोई स्थान नहीं होगा तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह चीज़ दूर की है और न उसकी अभी तक स्पष्ट तस्वीर हमारे सामने है, लेकिन एक बात ज़रुर है कि पंचायत समितियां होंगी। पंचायतों पर नियंत्रण रखने वाली कोई न कोई बॉडि होनी चाहिये, उनको चाहे तहसील पंचायत कह दें या दूसरा नाम दे दें लेकिन किसी न किसी रूप में अवश्य व्यवस्था करनी होगी इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी आर्थिक व्यवस्था ठीक करना बहुत आवश्यक है।

श्री शिवनाथसिंह (गुढा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस मांग पर मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं, पहला प्रस्ताव है पंचायतों को दी जाने वाली ग्रान्ट इन एड की रकम के बारे में। उपाध्यक्ष महोदय, पंचायतों को लेकर इस सदन में कई दफा बहुत विचार प्रकट किये गये हैं, कई तरह से उनकी आलोचना की गई है और यह कहा गया है कि उनका काम ठीक तरह से नहीं चल रहा है, उनका अकाउन्ट ठीक नहीं है और वे फैसला ठीक तरह से नहीं दे रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हम पंचायतों को हमारे नये समाज का आधार मानते हैं और इसको मानकर पंचायतों को सफल बनावें, यह मांग बारबार की जाती है। लेकिन जब तक पंचायतों की आर्थिक हालत ठीक नहीं होगी तब तक वे ठीक ढंग से काम करें यह संभव नहीं है। इस वक्त जो रेवेन्यू वसूल होती है उसका ३ रु० २ आ. प्रति सैकड़ा हिस्सा पंचायतों को दिया जाता है। मेरी समझ में यह रकम पंचायतों के लिये बहुत कम है। इससे यदि यह मानें कि पंचायतें ठीक ढंग से काम चलायेंगी या डवेलपमेन्ट या विकास का कार्य पंचायतें अपने एरिया में करेंगी तो यह संभव नहीं है।

दूसरा, अभी तहसील पंचायतों के बारे में पूर्व वक्ता महोदय ने ज़िक्र किया, उनके बारे में भी काफी समस्या है। उनको पंचायतों के बजट का ५ पर्सेन्ट दिया जाता है। किसी

(श्री शिवनाथसिंह)

पंचायत का बजट ५०० रु० का होता है तो किसी का १००० का, और अब तक बहुत से इलाकों में पंचायतें जागीर एरिया में थीं उनको जोड़ वगैरा बेचने की और ज़मीन बेचने की रकम नहीं मिलती थी इसलिये तहसील पंचायतों के सामने और ग्राम पंचायतों के सामने आर्थिक संकट रहता है और इसकी वजह से न तो वे योग्य कर्मचारी रख सकती हैं और न सेक्रेटरी वगैरा रख सकती हैं इसलिये उनके अकाउन्टस में भी दिक्कत आती है इसलिये मैं ज्यादा न कह कर यह निवेदन करूंगा कि यह जो ३ रु० २ आ० प्रति सैकड़ा ग्रान्ट इन एड दी जाती है उसको बढ़ा कर १५ पर्सेन्ट कर दिया जाय ताकि पंचायतें कुछ डवेलपमेन्ट का कार्य कर सकें। दिन प्रतिदिन का कार्य अच्छी तरह से कर सकें और अच्छे कर्मचारी, सेक्रेटरी वगैरा रख सकें। हो सकता है कि डीसेन्ट्रेलाइज़ेशन ऑफ पॉवर की स्कीम आने वाली है, उसकी मार्फत रकम भी काफी खच होगी। इसका मौका आयगा तब हम इसका स्वागत करेंगे लेकिन मेरे ख्याल से इसमें काफी समय लगने वाला है, शायद दो तीन साल लग जायेंगे। तब तक जो ३ रु० २ आ० सैकड़ा रखा है उससे ज्यादा दिया जाय और इसे बढ़ाकर १५ पर्सेन्ट कर दिया जाय।

दूसरा मेरा कटौती प्रस्ताव है झुन्झुनू ज़िले में एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेन्ज का ऑफिस खोलने के बारे में। आज राज्य सरकार की नीति है कि जो भी कर्मचारी भरती किया जाय वे एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेन्ज की मार्फत आने चाहिये। चाहे वह फोर्थ क्लास एम्पलोई हो चाहे लोवर डिविज़न क्लर्क हो या अपर डिविज़न क्लर्क हो उनका रेक्रूटमेन्ट एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेन्ज की मार्फत ही होना चाहिये। इसलिये यह ज़रूरी है कि एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेन्ज का विस्तार ज्यादा से ज्यादा करें। आजकल झुंझुनू ज़िले का कोई भी आदमी एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेन्ज की मार्फत नाम दर्ज कराना चाहता है तो उसको जयपुर आना पड़ता है। सौ डेढ़ सौ माइल के फासले पर रहने वाले आदमी को भी नाम लिखाने के लिये जयपुर आना पड़ता है यह उन लोगों के साथ में गैरइन्साफ होगा कि छोटे से काम के लिये भी वे जयपुर आवें। इसलिये मेरा निवेदन है कि झुन्झुनू जिले में ऑफिस खोल दिया जाय तो उनको जो खर्चा करना पड़ता है उससे वे बच जायेंगे। वहां एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेन्ज में नाम दर्ज कराने वालों की संख्या को देखते हुए भी झुंझुनू ज़िले द्वारा मांग करना उचित है क्योंकि वहां से काफी लोग यहां आते हैं और नाम दर्ज कराते हैं। इसलिये मेरे जो ये दोनों कटौती प्रस्ताव हैं उनके बारे में मैं चाहता हूँ कि राज्य सरकार सक्रिय कदम उठावे।

डॉ० **चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या २९, मुख्य शीर्षक ५८, विविध के संबंध में मेरे ६ कटौती प्रस्ताव है। मैं उन सब प्रस्तावों को एक साथ सदन में प्रस्तुत करती हूँ। मेरा पहला कटौती प्रस्ताव नगर सुधार मंडल की मार्फत संपादित निर्माण कार्य के बारे में है। जहां तक नगर सुधार मंडल का संबंध है बजट पर उसका कोई भार नहीं है। जितनी राशि नगर विकास मंडल द्वारा संपादित निर्माण कार्य के लिये निश्चित है उतनी ही शुल्क के द्वारा आ जाने वाली है। मैं तो नगर सुधार मंडल द्वारा सम्पादित

(डॉ० चन्द्रकला)

कार्यों के सम्बन्ध में अपने कुछ सुझाव राज्य सरकार को दे रही हूं। हम सब जानते है कि शहरों के विकास के लिये नगर सुधार मंडल बने हुए हैं, ये सब जगह नहीं है और अलग अलग नगर में अलग अलग तरह से काम करते हैं. इनके एकीकरण के लिए इनके कार्यों में समानता लाने के लिए सदन में एक विधेयक पुरःस्थापित भी हुआ, वह प्रवर समिति से निकला भी, परन्तु समझ में नहीं आता कि हमारी सरकार ऐसे उपयोगी विधेयक को इतने दिनों तक क्यों पास हुए बिना रखे हुए है। नगर सुधार मंडल जयपुर शहर में एक लम्बे अर्से से काम कर रहा है और हम यह कह सकते हैं कि उसने शहर के कलेवर को बढ़ाने में बहुत बड़ा योग दिया है लेकिन इस विकास मंडल के द्वारा अब तक जयपुर शहर में जितना विकास कार्य हुआ है, उसको देखते हुए, मैं अत्यन्त विनम्र शब्दों में कहना चाहती हूं कि कम से कम मुझे तो ऐसा लगता है कि विकास मंडल के सामने कोई योजनाबद्ध कार्य नहीं है। वह शहर के म्युनिसिपल एरिया के अन्तर्गत के कुछ क्षेत्रों को ले लेता है और योजना बना लेता है और उसके प्लाट काट कर लोगों को अलॉट कर देता है। मुझे ऐसा लगता है कि प्लाट काट कर यह अपना काम पूरा हुआ समझ लेता है लेकिन उसमें और दूसरे दूसरे कार्य भी हैं, उनमें सफाई की व्यवस्था होनी है, उनमें प्रकाश की व्यवस्था होनी हैं, उनमें बच्चों के खेलने के लिए जगह होनी है, उनमें सड़कें बननी है और कुछ होना है, इसकी ओर उसका कुछ ध्यान नहीं होता है। उपाध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि सी स्कीम बस गया है, बनी पार्क बस गया है, गांधी नगर जैसी बस्ती बस गई है लेकिन जब सरकार से पूछा जाता है कि इनकी स्थाई सफाई योजना के लिए कोई सीवेज लाइन पड़ी है, तो उत्तर मिलता है, नहीं। क्या सरकार यह सोच सकती है, यह बता सकती है कि जब वहां सीवेज लाइन नहीं है तो आगे चल कर १०, २०, ३०, ४०, ५० वर्षों के बाद इन सुन्दर बसी हुई बस्तियों का क्या होने वाला है, यहां की सफाई का क्या होने वाला है, उनकी हालत वही नहीं हो जायगी जो दीवार के भीतर बसे हुए शहर की हालत है? अच्छा तो यह होता कि नगर विकास मंडल एक मास्टर प्लान बनाता, उसमें सफाई की बात सबसे पहले होती, उसमें पानी की बात सबसे पहले होती, उसमें प्रकाश की बात सबसे पहले होती, इसके बाद में नक्शा बनता और फिर लोगों को बसाने की बात होती। आज कई जगह अरबन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड ने प्लाट अलॉट कर दिये और लोगों ने मकान बना लिये हैं, लेकिन वहां बिजली की व्यवस्था नहीं है। वहां की जनता भाग दौड़ करती है लेकिन उनको रोशनी नहीं मिली है, नल नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में यह विकास मंडल का काम है। इसके अलावा एक और बात है, नगर विकास मंडल ने जो स्कीमें बनाई, वे धनिकों के लिए, जो सम्पन्न लोग हैं, उनकी दृष्टि से बनी हुई मुझे मालूम पड़ती हैं। जितने प्लाट काटे, स्कीमें बनाई, उनमें यह ध्यान नहीं रखा कि जयपुर शहर केवल धनिकों का शहर नहीं है, यहां गरीब लोग भी हैं, साधनहीन भी हैं, यहां पर ऐसे लोग भी हैं जो मुश्किल से रोटी जुटा सकते हैं, वे शहर के बाहर अपनी बस्तियां बसा कर बसे हुए थे, उन बस्तियों को स्लम कह सकते हैं, गंदी बस्ती कह सकते हैं, उन बस्तियों के लोगों को बसाने के लिए नगर विकास मंडल

(डॉ० चन्द्रकला)

की कोई योजना नहीं है। यह ठीक है कि किसी दिन भी सरकार के आदेश जारी होंगे, कि तुम इन बस्तियों को खाली करो, १००, २०० वर्षों से बसने वाले लोगों से मिनट भर में ऐसे आदेश के द्वारा ये बस्तियां खाली करा ली जायंगी उन्हें यह बिना बताये कि उन्हें कहां जाना है। आज इस स्थिति को महसूस करते हुए, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा अपनी सरकार से मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि अब भी सरकार नगर विकास मंडल को एक निश्चित योजनाबद्ध तरीके से काम करना चाहिये, इसका मार्ग दर्शन दे। केवल बस्तियों की बसावट का सवाल न हो, उनकी सफाई, वहां पानी और बिजली और अन्य दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर देखते हुए काम करने का आधार हो। मैं इस विषय में अधिक कह कर सदन का अधिक समय नहीं लूंगी। मैं अब दूसरे कटौती के प्रस्ताव के सम्बन्ध में कहना चाहती हूं।

मेरा दूसरा कटौती का प्रस्ताव है, वह विस्थापित व्यक्तियों को मकान बनाने के लिये अनुदान देने के सम्बन्ध में विचार करने हेतु है मैंने बड़े गौर से आय व्ययक अनुमान के पन्नों को उल्टा, विस्थापित व्यक्तियों के लिए जो राशि रखी गई है, उसको ध्यान से देखा। इस मद में लगभग सवा ग्यारह लाख रुपये की राशि निर्धारित है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आप भी ज़रा देखिये कि इसमें हैडक्वार्टर पर लगभग डेढ़ लाख रुपया खर्च होगा और ज़िला कर्मचारी वर्ग पर सवा तीन लाख खर्च होगा और सहायता के रूप में करीब साढ़े छः लाख रुपये जायेंगे। इस तरह से उनके हिस्से में आयेगे कुल साढे छः लाख रुपये, इसकी व्यवस्था के लिए जो हैडक्वार्टर कर्मचारी वर्ग होगा, उस पर करीब पांच लाख रुपया खर्च हो जायगा। इसके साथ ही विस्थापित व्यक्तियों के मकान बनाने के लिए कोई भी अनुदान नहीं है। यह हम सब जानते हैं कि यह विस्थापित व्यक्तियों की, शरणार्थियों की समस्या है, इसे इस फाइनेन्शियल इयर तक, इस समय तक दूर कर लेना चाहिये। मैं जैसा जयपुर शहर में आये विस्थापित व्यक्तियों के बारे में देखती हूं उनको बसाने के लिए सरकार ने जो कुछ किया है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि सरकार का ध्यान इस ओर उतना नहीं है कि निश्चित समय में विस्थापित–व्यक्तियों को बसा देना चाहिए था। इसी वजह से बजट में विस्थापितों के शिविरों का किराया, साधारण तथा जीर्णोद्धार करने के लिए पांच हज़ार की राशि निश्चित की गई है। कितने साल हो गये विस्थापितों को यहां आये हुए, लेकिन जयपुर सिटी केम्प उसी तरह बसा हुआ है, जिस तरह पहले दिन था। उन लोगों को बसाने की बात यहां सदन में कही गई तो, पुनर्वास मंत्री महोदय ने बड़े विश्वास के साथ हमको कहा था कि महीने, दो महीने में उनको बसाने की कार्यवाही शुरू हो जायगी। उनका महिना, दो महिना साल भर से अधिक हो गया लेकिन वह समय नहीं आया और सिटी केम्प के शरणार्थी आज भी शरणार्थी बने हुए हैं। यह बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है लेकिन उनके लिए मकान बनाने के लिए कोई अनुदान की राशि नहीं है। तो सरकार क्या करने वाली है, क्या सिटी केम्प के शरणार्थियों को शरणार्थी बना रहने देने वाली है। मैंने निवेदन किया था कि क्यों नहीं, जहां वे बसे हुए हैं, उसी जगह

(डॉ० चन्द्रकला)

पर योजनाबद्ध तरीके से रेज़ीडेन्शियल मार्केट बना कर वहां उन्हें बसा दिया जाय, क्यों नहीं वहीं उन्हें ज़मीन दे दी जाय। जब जयपुर शहर की यह हालत देखते हैं तो दूसरी जगह की कौन जाने ? अब सरकार इन विस्थापितों के लिए मकान बनाने के लिए सब तरह की व्यवस्था करके अगर इन्हें बसा दे तो ज्यादा अच्छा हो लेकिन साल पर साल निकल जाते हैं, इतने साल निकल गये लेकिन वे विस्थापित जैसे के तैसे पड़े हुए हैं।

इसके साथ ही सस्ते गृह के लिए ४४ हज़ार की राशि रखी है। मैं निवेदन करूंगी कि ये ४४ हज़ार रुपये तो कम से कम खर्च कर दें, कहीं ये लेप्स न हो जायं और वे विस्थापित हैं वे विस्थापित रह जायं। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि जो हमारी नाक के नीचे शरणार्थी हैं, जो अब तक शरणार्थी बने हुए हैं, उनको तो कम से कम बसाने की योजना पूरी कर दे।

इसके बाद मेरा तीसरा कटौती का प्रस्ताव है, क्योंकि वह विस्थापितों से सम्बन्ध रखता है इसलिए मैं यहां पर ही ले लेती हूं। वह है निराश्रित स्त्रियों और बच्चों के लिए गृह के सम्बन्ध में इस हैडिंग के अन्तर्गत कोई रकम इसके लिए नहीं रखी है लेकिन सिंधी स्त्रियों और बच्चों के प्रन्यास को सहायतार्थ १,४४,००० की राशि रखी गई है। इसके साथ ही साथ अशक्त एवं अकिंचन विस्थापित व्यक्तियों के गृह के लिए १ लाख २६ हज़ार रुपये की राशि रखी है। नकद दाम के लिए १ लाख ३४ हज़ार रुपये की राशि रखी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं कहती कि इतने साल के बाद जब कि शरणार्थी यहां आकर यहां के बाशिन्दे हो चुके हैं तो उनके लिए कोई अलग व्यवस्था की जाय लेकिन जो पहले से आ रही हुई व्यवस्था है निराश्रित स्त्रियों और बच्चों की, एक डेस्टिट्यूट होम आमेर में चल रहा है, मैं सोचती हूं कि यह सहायतार्थ अनुदान शायद उस होम के लिए होगी। यह अच्छा है कि इस तरह के होम चलें जिसमें स्त्रियों और बच्चों को रखा जाय और उनको शिक्षा दी जाय, उनको स्वावलम्बी बनाने की ओर प्रयत्न किया जाय,

लेकिन इसको एक निराश्रित स्त्रियों-बच्चों के होम की तरह चलाने के लिये हिन्दी, सिन्धी, शरणार्थी और राजस्थानी इस तरह का भेद खत्म कर इस तरह चलाना चाहिये कि वहां स्त्रियां स्वावलम्बी होकर अपने पैरों पर खड़ी हो जायं। यह समस्या तो अस्थाई समस्या थी, अब तक इसका तो हल हो जाना चाहिये था। साथ ही यहां समाज कल्याण विभाग की ओर से महिला सदन चलता है, इस महिला सदन और इस निराश्रित स्त्रियों बच्चों के होम को जिसे अंग्रेजी में डेस्टिट्यूट होम कहते हैं, जो आमेर में है, इन दोनों का एकीकरण कर दिया जाय और दोनों को इस तरह चलाया जाय कि उनके हमेशा के लिये चलने में किसी तरह का विघ्न न आये।

मेरा सुझाव यह है कि इनके लिये एक ऐसी योजना बनानी चाहिये कि ये बहुत कुछ स्वावलम्बन के आधार पर चल सकें, कुछ ऐसी दस्तकारियां रखी जाय, कुछ ऐसे कार्यक्रम रखे जायं, कुछ इस तरह की योजनाएं रखी जायं कि ये स्वावलम्बन के आधार पर चल सकें। नहीं तो होगा क्या कि जिस दिन यह सहायता मिलनी बन्द होगी यह होम बन्द हो जायेंगे।

(डॉ० चन्द्रकला)

अब मैं......

श्री उपाध्यक्ष : गन्दी बस्तियों को ले लीजिये ।

(हंसी)

डॉ० चन्द्रकला : अब मैं अल्प आय गृह योजना के सम्बन्ध में कहना चाहती हूँ । अल्प आय गृह योजना इसके सम्बन्ध में कुल ६८००० रुपया निर्धारित राशि है । पर यह भी बजट को देखते हुए बड़ा अजीब सा लगता है, सारा व्यय कर्मचारियों के वेतन और अन्य प्रभारों पर खर्च हो जाता है थोड़ी राशि बस्ती के लिये है, ४ हज़ार की राशि है, वह भी ग्रामों के लिये है । अभी मैं ग्रामों के प्रति न कह कर शहरों के लिये ही कहूँगी । अल्प आय वर्ग गृह योजना के बारे में मैं सदन में कह चुकी हूं कि यह शहरों का सवाल है, गांवों का प्रश्न इसमें नहीं आता । घरों की समस्या ऐसी है जिसमें जन सहयोग बहुत प्राप्त हो सकता है, व्यक्ति थोड़ी असुविधा उठा कर भी अपने और साधनों से इस कार्य में मदद कर सकता है, पर सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है । जो योजना सरकार की है उसको खर्च करने का कोई तरीका, ढंग नहीं है । हम कई बार देखते हैं कि अल्प आय वर्ग गृह योजना के लिये स्वीकृत धन-राशि है वह ऐसे लोगों को मिल जाती है, जिनके पहले से ही गृह हैं, सब साधन हैं ।

१.४३ म० प०

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

आपकी निगाहों में इसमें ५.२ तोले पाव रत्ती न्याय हो सकता है पर आपको इसमें देखना चाहिये कि जिन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिये यह धनराशि स्वीकृत की जाती है, उनको फायदा पहुँचाना है कि नहीं । तो यह सही है कि अल्प आय वालों को इसे विशेष सहायता नहीं पहुंच सकी है, इसके लिये केन्द्रीय सरकार धनराशि देती है, प्रोब्लम ऑफ हाउसिंग इन इन्डिया नामक एक पुस्तिका प्रकाशित हुई है । पर हमारी सरकार, ऐसा लगता है, इस ओर उदासीन है और इसके लिये निर्धारित राशि है उसका कभी तो उपयोग होता है और कभी बच जाती है और बचत खाते में पड़ी रहती है ।

अब आता है गन्दी बस्तियों का स्लम क्लियरेंस का सवाल । स्लम क्लीयरेंस के अन्तर्गत भी इस साल के बजट में ढाई लाख रुपया मंजूर है । इसके पिछले साल करीब पौने दो लाख रुपया मंजूर किया था, पर फिर संशोधित कर के एक लाख रुपया किया, वह भी खर्च नहीं हुआ । जहां तक मैं समझती हूं स्लम क्लीयरेंस के अन्तर्गत राजस्थान सरकार ने कोई योजना शुरू नहीं की है, यह बड़े अफसोस की बात है कि साधनों का उपयोग भी राजस्थान सरकार नहीं करती है, साधन मौजूद हैं, केन्द्रीय सरकार हमारी सहायता के लिये राशि देती है, केवल योजना के अभाव में पैसा पड़ा रह जाता है और उधर जनता दुख पाती है । मैं तो समझती हूँ कि हमारी सरकार ने इस बारे में सर्वेक्षण करके यहां तक निश्चित नहीं किया होगा कि वर्तमान में स्लम क्लीयरेंस का काम कितना करना है । एक एक साल में एक एक दो दो जगह का ही स्लम क्लीयरेंस अगर सरकार कर लेती तो अच्छा था । मैं तो देखती हूँ

(डॉ० चन्द्रकला)

कि जयपुर में ऐसी बहुत सी बस्तियां हैं, साल में एक एक बस्ती का ही स्लम क्लीयरेंस करती तो कितनी ही गन्दगी दूर हो सकती थी। पर सुनते हैं कि अमुक बस्ती बसने वाली है, योजना चल रही है पर वह कागज़ों पर ही रहती है, कलम से चलती है और साल होते होते योजना अदृश्य हो जाती है और रकम भी गायब हो जाती है। इसके लिये राशि मौजूद है, अच्छा हो कि सरकार इसके लिये चुस्ती से काम करे और जो स्लम हमारे यहां, जयपुर में बहुत है, दूसरे औद्योगिक शहरों में है उसको क्लीयर करे, इसमें जनता का सहयोग मिल सकता है, इस ओर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

राजकीय समारोहों के सम्बन्ध में इसके लिये बजट में ४५,००० रुपया रखा गया है। कोई भी राजकीय समारोह, राष्ट्रीय पर्व नहीं मनाया जाय, ऐसा मैं नहीं कहती, ये अवश्य मनाने चाहिये। इनसे जहां एक ओर हम अतीत गौरव से सूचित होते हैं वहां भविष्य के लिये भी हमें उत्साह और बल मिलता है। पर राज्य के कोष से इन पर जो खर्च होता है उसे मैं उचित नहीं समझती राज्य कोष से इन पर व्यय करने से यह सरकारी पर्व की तरह हो जाता है। हम दीवाली, होली के त्यौहार मनाते हैं, इन पर राज्य कोष से कुछ भी खर्चा नहीं होता। पर गणतन्त्र दिवस और राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य दिवस ये हमारे लिये नये हैं, इनको जन जीवन में अधिक व्यापी बनाने के लिये सरकार की तरफ से व्यय करना चाहिये, यह कहा जा सकता है। पर इसके लिये किस तरीके से खर्चा होता है, इसका सरकारी कोष पर बोझा पड़ना, मुझे तो अपव्यय लगता है। २६ जनवरी को झण्डारोहण करना है तो सारे के सारे कर्मचारियों को वहां प्लेन क्लाथ्स में खड़ा कर दिया जाता है, मन्त्रीगण आते हैं, दूसरे अधिकारी आते हैं, उनकी यात्रा और दैनिक भत्ते के रूप में व्यय होता है, वह बहुत ज़्यादा व्यय होता है, यह राज्य कोष पर पड़ना उचित नहीं है। जो हमारे राजकीय राष्ट्रीय पर्व हैं वे जनता के त्यौहार हैं, जन जीवन में भी इससे प्रेरणा मिलनी चाहिये पर हम इस उद्देश्य को भू जाते हैं। एक रूटीन चलता है, एक कार्यक्रम पूरा करना पड़ता है, वह कभी कभी तो मखौल सा लगता है। एक कार्यक्रम ऊपर से प्रेषित करते हैं, ऊपर से चला हुआ वह राजधानी में चला जाता है, वहां से ज़िलों में, ज़िलों से तहसीलों में और वहां से हैड ऑफ दी इन्स्टिट्यूशन्स को भेजा जाता है और जैसे तैसे कर के वह पूरा किया जाता है, और फिर इसी तरह इनकी रिपोर्ट चलती है। तो यह कोरी रिपोर्टबाज़ी है सबसे किसी तरह की जागृति, किसी तरह की प्रेरणा जनता में पैदा नहीं हो सकती और एक बहुत बड़ी राशि राजकीय समारोहों में व्यय करना उचित नहीं जान पड़ता। जिस तरह की दैनिक समस्याओं में से हम गुज़र रहे हैं, एक तरफ तो जनता को अन्न नहीं दे सकें, उनका जो रोटी और रोज़ी का सवाल है उसको हल नहीं कर सकें और दूसरी ओर राजकीय समारोहों में इस तरह व्यय किया जाय, मैं यह नहीं कहती कि राजकीय दिवस, राष्ट्रीय पर्व न मनाये जायें, आप खूब मनाइये पर जनता के कार्यक्रम के रूप में, जन जीवन में ओतप्रोत होकर मनायें।

इसी निवेदन के साथ मैं अपने कटौती

Page No.62

(डॉ० चन्द्रकला)

प्रस्ताव सदन में विचारार्थ प्रस्तुत करती हूँ।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): माननीय सभापति महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव पंचायतों में भ्रष्टाचार के विषय में है माननीय चेयरमेन महोदय, यह पंचायतों की जो प्रणाली है वह कोई राजस्थान बनने के बाद ही नहीं हुई है पहले भी रियासतों के वक्त में थी और उस वक्त वह कैसे चलती थी, कैसी व्यवस्था थी और आज कैसी व्यवस्था है वह सब माननीय मंत्री साहब बैठे हैं जानते होंगे कि कैसी चलती थी और आज कल कैसे चलती है। इस विषय में मै निवेदन करना चाहता हूं। माननीय चेयरमेन महोदय, जब भारत स्वतन्त्र हुआ और रियासतों का विलनी करण हुआ, पंचायत एक्ट रियासतों में थे और जुरिस्डिक्शनल ठिकानों में भी हिदायतें थीं, उन सब को मन्मुख करके राजस्थान बनने पर एक पंचायत एक्ट बना दिया और डाइरेक्ट हाथ उठा कर इलेक्शन पद्धति कायम की उससे जो परिणाम निकला, उसको मै विस्तार पूर्वक तो नहीं कहना चाहता कि क्या परिणाम हुआ, कितनी ही जानें गई और कितना ही भ्रष्टाचार हुआ जनता ने भी इसको महसूस किया और सरकार ने भी। उसको महसूस करके सरकार ने सिक्रेट बेलेट प्रणाली चालू की। हम तो यह समझते थे कि भ्रष्टाचार बन्द होने के लिए यह प्रणाली चालू हुई है लेकिन वह का वही भ्रष्टाचार अभी तक विद्यमान है। माननीय चेयरमैन महोदय, ताज़ा ही उदाहरण अर्ज़ करता हूं कि २५ जनवरी को ग्राम आवां में सरपंच का चुनाव हुआ, रूल मे यह व्यवस्था की गई है कि यदि चुनाव अधिकारी के आफिस में कोई व्यक्ति पचास दिन पहले आवे तो नाम रजिस्टर हो जायगा और उसको सिम्बोल अलॉट कर दिये जावेंगे। जब सिम्बोल लोगों ने देखे वे तो यह मालूम हुआ कि इलेक्शन कमीशन की तरह पार्टी के बेसिस पर अलॉट किये जावेगें। उससे लोगों को भ्रम हुआ। लोग अपनी अपनी पार्टी के पास आये और उन्होंने प्रमाण पत्र लेने शुरू किये जब प्रमाण पत्र दिया गया और वहां पहुंचे तो किसी शख्स ने मांग की कि मैं राम राज्य परिषद् से खड़ा हुआ हूं और यह प्रमाण पत्र मेरा है, दूसरा कांग्रेस केन्डीडेट पहुंच जाता है। चुनाव अधिकारी से वह मिलता है और बाद में चुनाव अधिकारी कहता है कि आज तो नहीं कल देना, वह चला जाता है और वह दूसरे रोज़ आता है तो, इतवार को ही कांग्रेस केन्डीडेट से मिल मिला कर उसको पूछा जाता है कि तुम किस सिम्बल से जीतोगे, तो वह कांग्रेस केन्डीडेट कहता है कि राव राजा साहब का क्षेत्र है इसलिए मुझे तो सन देओ और तब ही मैं उस चुनाव में जीत सकता हूं। उसको सन दे दिया जाता है। दूसरे को नहीं देते हैं दूसरे दिन रामराज्य पार्टी का केन्डीडेट पहुँचता है और कहता है कि टोंक डिस्ट्रिक्ट प्रमाण पत्र पेश करना हैं मुझे यह चिन्ह दिया जावे। तो कहा जाता है कि मौके पर पहुँचना, यह अभी नहीं दिया जावेगा, वहां दिया जावेगा। चुनाव अधिकारी रात को ६ बजे पहुँचता है, सब जब सो जाते हैं, लोगों को बुलाता है कि कौन कौन आदमी खड़ा होना चाहते हैं और कौन कौन नहीं। वह केन्डीडेट आता है। वह कहता है कि मैं खड़ा होना चाहता हूँ और मुझे सन् का सिम्बल दिया जाय। वह कहता है कि तुमको सन नहीं मिलेगा, आपको हाथी का सिम्बल

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

मिलेगा। उसने कहा कि मैं राम राज्य पार्टी का हूं और हाथी का चिन्ह कैसे दे दिया। लोगों में इससे भ्रम फैलता है। १० से ३ बजे का चुनाव का समय रहता है। चुनाव अधिकारी ७ बजे पहुँचा है और ८ और ८॥ बजे तक पुलिस भी नहीं आती उससे पहले ही वह चुनाव डिक्लेयर करके ६ की मोटर में चला जाता है। पार्टियों को चुनाव सिम्बल अलॉट करते समय पहले पीछे का ध्यान रखना चाहिये इलेक्शन कमीशन अगर सिम्बोल पार्टी बेसिस पर अलॉट किये हैं उसी प्रकार देना चाहिये।

श्री सभापति : आपका कट मोशन तो पंचायतों में हो रहे भ्रष्टाचार के विषय में है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : इन सिम्बलों का कैसा उपयोग करते हैं यह बता रहा था।

श्री नाथूराम मिर्धा : इन्डीविजुअल पंचायत के विषय में कहा जाता है तो इसके लिए इलेक्शन पिटीशन आदि कई रास्ते हैं। इसमें क्या भ्रष्टाचार हो गया। सिम्बोल यह नहीं दिया और वह दे दिया। जैसा आपने ओबज़र्व किया वह सही मालूम होता है।

रावराजा श्री सरदार सिंह : आपने कहा कि इलेक्शन पिटीशन होगा। इसी लिए तो मैं कहता हूँ कि आप लोगों का इन्टर फियरेन्स इतना है कि इलेक्शन पिटीशन करें तब भी दूसरे चुनाव आ जांय तब तक उनका फैसला नहीं होता है। सारे इलाके में ऐसा हो रहा है। मैं सरकार को यह सुझाव देता हूं कि इस प्रकार से आदमियों को भ्रम हो जाता है। पार्टी बेसिस पर सिम्बल दिया है वे इस भ्रम में रह जाते हैं। आपको चाहिये कि पहले जो दरख्वास्तें पेश करें उनको नम्बर वाइज़ सिम्बल दे दिया जावें। यह होना चाहिये कि इसका १००) इसका २००) होगा। यह इस प्रकार से भ्रष्टाचार होता हैं। सिम्बोलों में भ्रष्टाचार न होना चाहिये।

श्री सभापति : पंचायतों में है या पंचायत विभाग में ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : सब जगह है।

श्री सभापति : अब तक आपने पंचायत विभाग में बताया।

रावराजा श्री सरदारसिंह : पंचायतों में ज्यादा हो रहा है और पंचायतों को आप पॉवर्स देने की सोच रहे हैं। किसको पॉवर दे रहे हैं ? कौन है करने के योग्य ? सब जगह अंगूठे टेक सरपंच हैं। क्लर्क और मुन्शियों की पंचायतें हैं। खाली कागज़ पर सरपंच के अंगूठा लगा लेते हैं। मोहर अपने पास रखते हैं। कोई आदमी आता है, मैं तहसील पंचायतों का ज़िक्र कर रहा हूं, फलां पंचायत ने मकान बनाने की इजाज़त दे दी पर नहीं बनाने चाहिये। वह क्लर्क कहता है कि १५) लाओ मैं स्टे ऑर्डर दे देता हूं। वह उससे लेकर उस अंगूठा लगे हुए खाली कागज पर स्टे ऑर्डर कर देता है और छाप लगा देता है। एक पंचायत में जाकर स्टे ऑर्डर देता है वहां के सरपंच महोदय कहते हैं कि इस बारे में तो उनके पास एप्लीकेशन ही नहीं है क्या स्थगन आदेश

रावराजा श्री सरदारसिंह)

है सरपंच लिखता है कि मेरे पास न अर्ज़ी है न मामला तो मैं क्या स्थगित करूं ।

२ म० प०

आज पंचायतों में भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है कि बिना कुछ लिये दिये कुछ होता ही नहीं । मेरा सरकार को बताने का फर्ज़ है आप गरम क्यों होते हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : गरम होने का प्रश्न नहीं सिर्फ प्रोसीज़र का प्रश्न है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जब इस प्रकार की बातें होती हैं तो लोग बागों को भ्रम हो जाता है इस वास्ते मैंने कहा ।

श्री दौलतराम सारण : आप पंचायतों में भ्रष्टाचार बतला रहे हैं लेकिन उसके बारे में कुछ सुझाव तो नहीं बतला रहे हैं ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं आपसे भ्रष्टाचार के लिये क्या निवेदन करूं टाइम कम है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : इतना ही काफी है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अगर मैं विस्तार से कहने लगूंगा तो सब चौड़े आ जायगा । हो सकता है उसमें किसी महोदय का भी नाम आ जाय मेरे द्वारा,यह कहना अच्छा नहीं लगेगा । मेरा इतना ही निवेदन है कि इस प्रणाली में जरूर संशोधन होना चाहिये ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : सभापति महोदय, मेरा प्रस्ताव है, मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ५७—विविध में एक रुपये की कटौती की जावे (पंचायतों के कार्य संचालन में अव्यवस्था पर बहस करने के लिये)"

पंचायतों के सम्बन्ध में कम से कम हमारे देश में यह एक निश्चित धारणा है कि यह इस युग की कोई नई प्रवृत्ति नहीं है बल्कि इस देश की परम्परागत आई हुई प्रवृत्ति है और देश का जो कुछ भी उत्थान हुआ है वह केवल उस समय की ग्राम पंचायतों के ठीक काम करने के कारण ही हुआ है । परन्तु जैसा कि इतिहास साक्षी है अंग्रेज़ी हकूमत के आने तक देश में पंचायतें ठीक प्रकार से काम करती रही लेकिन अंग्रेजी राज्य की स्थापना के बाद उनके कोर्ट्स और न्यायालय आदि के निर्माण के बाद उन्होंने इन पंचायतों को खत्म कर दिया । इनके खत्म होने के साथ साथ हमारे देश का क्या सामाजिक क्या आर्थिक सारी व्यवस्था बिगड़ गई । आज जो गांवों में इन पंचायतों की बुरी हालत को देखते हैं और गांवों के लोगों को मुकदमे बाज़ी में पड़ते देखते हैं और सामाजिक नियम के खिलाफ किसी को काम करते हुए देखते हैं तो उसका एक ही मुख्य कारण है वह पंचायतों का न रहना । यही कारण है कि जब हम देश के लिये आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय राष्ट्र पिता महात्मा गांधी ने एक आवाज़ लगाई थी और वह आवाज़ यह थी अगर हमारे देश का उत्थान संभव है तो वह केवल पंचायत राज्य द्वारा ही संभव है । वे उस दिन की कल्पना करते थे, जब कि इस देश के अन्दर एक केन्द्रीय सरकार न होकर हमारे गांव गांव में स्वराज्य का सूर्य चमके और पंचायतें अपने यहां का न्याय करें, अपनी व्यवस्था करें, गांव का

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

विकास करें और जो कुछ भी झगड़े हों उनका निपटारा करें। इसी भावना से प्रेरित होकर जिस समय हमारा देश स्वतंत्र हुआ हमारे देश में पंचायत राज्य का प्रादुर्भाव हुआ और यह आशा की जाने लगी कि हम केवल पंचायतों के द्वारा ही देश का उत्थान कर सकते हैं। लेकिन अभी तक पंचायतों का अस्तित्व में आना और उनकी जो वर्तमान स्थिति है उसको देखकर हमें निराशा होती है। हम अपनी पंचायतों से इस प्रकार का लाभ नहीं उठा रहे हैं जैसी कि हम आशा करते रहे हैं और इसका मुख्य कारण एक नहीं अनेक हैं। हमारे पंचायतों के चुनाव जिस तरीके से होते रहे हैं और उन चुनावों के बाद जिस तरह के झगड़े टंटे पैदा होते हैं वह न हो करके हमारे गांवों में एकता होनी चाहिये, मिल जुल कर अपने गांव के विकास की बात सोचनी चाहिये, जो प्रवृत्ति होनी चाहिये वह न हो करके आज स्वयं पंचायतों के झगड़े बढ़ रहे हैं और उसमें न्याय पाने के लिये अन्य न्यायालयों और उच्च न्यायालय तक जाते हैं उनके झगड़ों के निर्णय के लिये। इससे हमें यह मानना चाहिये इसके मूल में ऐसी कोई गलती है जिसके कारण हम पंचायतों का इस प्रकार का निर्माण नहीं कर पाये हैं जिस आधार पर कि उनका निर्माण होना चाहिये। यह अच्छा हुआ कि पंचायत एक्ट में कुछ सुधार हुआ। अब से पहले ऐसा था कि जब पंचायतों का गांवों में चुनाव होता था तो कोई मतदाताओं की सूची नहीं होती थी। पंचायत में वोट देने वाले हज़ार है या डेढ़ हज़ार हैं इसका कोई अन्दाज़ नहीं होता था। उस समय हाथ उठवाते थे या खड़े कर दिये जाते थे और उसी के हिसाब से बहुमत गिन लिया जाता था और चुनाव का परिणाम घोषित कर दिया जाता था इसी प्रकार कितनी अनियमितताओं के कारण काफी जगहों के चुनाव स्थगित करने पड़े हैं। भरतपुर के कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां पांच और ६, ६ बार चुनाव स्थगित हुये हैं। चुनाव अधिकारी वहां पहुंचते हैं किन्तु वे निर्णय नहीं कर पाते कि बहुमत किधर है। इसी तरह से लोगों के दिल में पंचायतों के प्रति जो आस्था होनी चाहिये वह आस्था चली जाती रही है, और इसलिये मैं समझता हूं यद्यपि इसमें कुछ सुधार हुआ है अब बेलट से मत डालने की प्रणाली चालू की है लेकिन इसके बाद अभी तक हमारी जो प्रणाली है, उसके अनुसार तीन वर्षों तक एक पंचायत का कार्य काल रहेगा लेकिन वे तीन वर्ष निकल जाने के बाद भी कई जगह के दूसरे चुनाव नहीं हुये हैं। अपवाद स्वरूप यह भी कानून में है कि अगर तीन साल में चुनाव न हो सके तो उनका समय बढ़ते हुए एक साल बाद तो चुनाव अवश्य हो जाने चाहिये लेकिन सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा राज्य सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि ऐसे भी उदाहरण हैं भरतपुर ज़िले के अन्दर जहां इस प्रकार से पूरा एक साल हो गया और उस समय के ऊपर भी दो महिने निकल गये जब कि दूसरी पंचायत को काम करने का अवसर दिया जाना चाहिये लेकिन साल के बाद दो महिने और जुड़ गये वही पहली वाली पंचायत काम कर रही है।

इसके अलावा इसमें एक और प्रावधान रखा गया है कि चुने हुए जितने सदस्य होते हैं उसके अलावा कुछ नामजद सदस्य और रखे जाते हैं जिनमें अधिकतर अनुसूचित

Page No.66

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

जाति के भाई नामजद किये जाते है राज्य सरकार की आज्ञा से। मुझे पता है इस तरह के दस पन्द्रह मामले भी मेरे सामने आ चुके हैं। चुनाव तो हुए पिछले साल इन्हीं दिनों वहां की पंचायत को काम करते हुए एक साल हो गया किन्तु नामजद सदस्य कौन कौन से हैं इसकी सूची उनके पास नहीं पहुची। कितनी ही बार वे यहां आते हैं, मुख्य पंचायत अधिकारी के पास आते हैं मैंने ऐसा देखा है कि बहुत कुछ अंश तक वे कागज़ जो आवेदन पत्रादि वे लाते हैं उसको चीफ पंचायत ऑफिसर के कार्यालय से निकल कर सचिवालय के महासागर में पहुंच जाते हैं तो वे इस प्रकार डूब जाते हैं कि छः महिने तक उनका पता नहीं लग पाता।

पंचायतें काम कर रही हैं,पर उनमें नामजद पंच नहीं हैं। तहसील पंचायत के चुनाव का समय आ जाता है पर किसी न किसी कारण को लेकर उसे स्थगित किया जाता रहा, कभी कहा गया नामजद पंचों के नाम नहीं आये हैं, कभी कहा गया चुनाव बरसात में नहीं होगा। चार चार बार पोस्टपोन किये गये। बरसात भी खत्म हो जाती है, दिसम्बर जनवरी के अन्त तक होगा और मार्च के अन्त तक तो हो ही जावेगा। तारीख भी निश्चित हो गई पर जैसा कुछ मालूम हुआ एक कारण से और होने की सम्भावना नहीं है। कहते हैं नई प्रणाली से चुनाव होने वाले हैं इसलिये यह भी पोस्टपोन होगा। पर यह कारण तो आज हो सकता है महीना पन्द्रह दिनों में। पर पूरा साल भर चला जाता है और तहसील के चुनाव नही होते। और होता क्या है ? जब पुरानी पंचायत के सदस्य यह समझते हैं कि हमारा कार्यकाल समाप्त हो गया है, दुबारा आने वालों में भी नहीं हैं तो वे अपने पदों का दुरुपयोग भी करते थे, नजूल की जमीनें अपनी तरफ से मन माने ढंग पर दे देते थे। तो यह अव्यवस्था रही है एक तरह से। इससे मैंने जैसे प्रारम्भ में कहा कि लोगों की आस्था पंचायतों के प्रति जो होनी चाहिये थी, जिसे लोग स्वराज्य की कल्पना का मूलभूत आधार मानते थे, वह नहीं हो सकी, उस पर आघात हुआ ऐसी अव्यवस्था और कारनामों से। आज भी पंचायत को अंग्रेजों के जमाने की तरह ट्रान्सफर्ड सब्जेक्ट समझा जाता है। १६१६ में अंग्रेज ने दो भागों में शासन को बांटा। एक रिज़र्व सब्जेक्ट और दूसरा ट्रान्सफर सब्जेक्ट। ऐसे सब्जेक्ट को हिन्दुस्तानी मिनिस्टर देखते थे। उनका मतलब यह था कि यह कोई बहुत महत्वपूर्ण विभाग नहीं है। आज भी सरकार यही रुख रखती है। पुलिस, रेवेन्यू आदि का ठीक प्रबन्ध हो सकता है, और ये ऐसे महकमे हैं जिनसे आमदनी भी होती है, उनका तो ठीक प्रबन्ध करने की ओर सरकार का ध्यान है पर ऐसी स्वायत्त संस्थाओं, पंचायतों और म्युनिसिपैलिटियों की ओर कोई ध्यान नहीं है। म्युनिसिपैलिटी में जितने झगड़े चल रहे हैं, पंचायतों में जितने झगड़े चलते हैं उनकी तरफ राज्य सरकार का ध्यान नहीं है। समझदार लोगों की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि जिन स्वायत्त शासन संस्थाओं को हम राष्ट्र निर्माण में रीढ की हड्डी मानते हैं, उनकी ओर आज सरकार ध्यान नहीं देती। वे आज यह समझे बैठे हैं कि अगर शहरों का इन्तजाम ये नहीं कर सकेंगे तो दूसरे आ जावेंगे, और पंचायतें ठीक काम नहीं करती हैं तो दूसरी चुन कर आ जावेगी, इससे हमारी सरकार पर कोई

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

आंच आने वाली नहीं, वह तो ठीक चलती रहेगी। पर मैं कहता हूं यह आत्म घाती नीति है। यदि हमने इन पंचायतों को, इन स्वायत्त शासन संस्थाओं को ठीक नहीं किया तो जिन आधारों पर हमने इनको बनाया था वे आधार टूट जावेंगे और हमारी प्रगति जिनके आज हम सपने ले रहे हैं कुंठित हो जावेगी। हमने दो आधारों पर इनको बनाया था। एक तो यह कि ये अपने छोटे मोटे काम धन्धे, छोटे मोटे झगड़े अपने घर में ही निपटा लें। और दूसरा यह कि इससे उनको घर में अपना प्रबन्ध छोटे पैमाने पर करने की ट्रेनिंग मिलेगी, जिससे वे आगे चलकर और अधिक बड़े पैमाने पर सारे देश का प्रबन्ध भी ठीक तरह से चला सकें।

सरकार का ध्यान इस दृष्टि से इनकी ओर आकर्षित करने के लिये मैंने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। आशा है सरकार इन विभागों के सुशासन की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि प्रजातन्त्र के लाभ की दृष्टि से और बहुसंख्यक जनता के लाभ की दृष्टि से इस ओर ध्यान देगी। इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री लक्ष्मण हीरात (गोगुन्दा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा पंचायत मन्त्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस हैड में १ करोड़ २६ लाख ३१ हज़ार रुपये रखे हैं। यह तो बड़ी खुशी की बात है। अब पंचायतों की आज क्या हालत है, इस बारे में काफी सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रकट किये हैं, उन पर अधिक नहीं कह कर एक आध दो बातें जो खास खास हैं उन पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। कई पंचायतों की आर्थिक हालत ऐसी है कि उन्हें किराये पर अपना दफ्तर लेकर काम करना पड़ता है और उसमें भी किराया देने के लिये उनके पास पैसा नहीं होता।

अब नगर पालिकाओं और ज़िला बोर्डों को हम २१ लाख दे रहे हैं जब कि राजस्थान की कुल आबादी का सात आठ प्रतिशत हिस्सा उन नगरपालिकाओं और ज़िला बोर्डों में रहता है। इसके विपरीत जहां ६०। ६२ प्रतिशत आबादी रहती है उन पंचायतों के लिये १५ लाख के ही आसपास रुपया सरकार ने देने को रखा है। ऐसी स्थिति में इन पंचायतों की हालत नहीं सुधरने वाली है। पंचायतों के जो काम हैं उनमें एक काम रात को गांवों में और आसपास के गांवों में लाइट करने का भी है। जैसा कि हमारे इलाके में है। पर पैसे का समुचित प्रबन्ध नहीं होने से पूरे रात भर प्रकाश नहीं पहुँचाया जाता है।

इसके साथ साथ समय समय पर जनता की भी व्यवस्था करनी पड़ती है और लाइट की भी, जैसे हमारे रिखबदेवजी में है। पंचायतों के मार्फत ही आम रास्तों पर लाइट की व्यवस्था की जाती है और पानी की भी व्यवस्था की जाती है और इन पंचायतों के जरिये ही बिजली विभाग को पैसा दिया जाता है। पर उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से इस व्यवस्था में बड़ी बाधा होती है तो इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

इसके साथ ही सरपंच या पंच किसी फंक्शन या समारोह में अगर जाना चाहें, और जानकारी करने की कोशिश की जावे तो इसके लिये भी पैसा नहीं होने की वजह

(श्री लक्ष्मण हीरात)

से उनको रह जाना पड़ता है और जो किसी ऐसे समारोह में आने से कुछ नई बात सीख सकते थे वे नहीं सीख सकते। मैं यह नहीं कहता कि पंचों को ट्रेनिंग न दी जावे। पर इसके साथ ही कर्मचारियों को भी ट्रेन्ड किया जाना चाहिये और इसके लिये भी पैसे की व्यवस्था करनी चाहिये सरकार को।

माननीय सभापति महोदय, एक बात और है। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि चुनाव का तरीका गलत है। उनको समझाने के लिये पंचायतों के पास इतना पैसा नहीं है जो पेम्फलेट निकाल कर जनता में बांटे और अच्छी तरह से ट्रेन्ड करके अच्छा चुनाव करा सके। यह भी पैसे की कमी की वजह से समस्या है।

मैं थोड़ा ज़िला बोर्डों और म्युनिसिपेलिटियों का पंचायतों से तुलनात्मक प्रकाश डाल दूँ। सभापति महोदय, इससे मेरा यह आशय नहीं है कि नगरपालिकाओं और ज़िला बोर्डों को जो रकम दी जाती है वह अधिक है। यह भी कम है लेकिन पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा पनपाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा उन्हें आर्थिक सहायता देनी होगी। जब हम स्वतन्त्र हुए हैं और स्वतन्त्र युग में रहने वाला हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अच्छी तरह से रहूँ, अच्छे मकान में रहूं, क्योंकि हमारा देश स्वतन्त्र हुआ है। ऐसे विचारों के लोग गांवों में अधिक रहते हैं इसलिए उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधायें देने के लिए हम पंचायतों को आर्थिक सहायता दें ताकि हम अपने गांवों के द्वारा अपने राज्य को ऊंचा उठा सकें। माननीय सभापति महोदय, अब मैं एक और उदाहरण देकर हाउस का अधिक समय नहीं लूंगा। पंचायतों के पास पुस्तकालय भी होते हैं। तो जो पंचायतों में पुस्तकालयों की व्यवस्था है वह भी माननीय सभापति महोदय, कई जगह ऐसी है कि उनके पास दो तीन किताबें ही हैं और जो पंचायत का दफ्तर होता है वह भी उसी में रखी होती हैं। इन किताबों में जैसे ताजी रात हिन्दी की किताब तो वहां पर होती है लेकिन जो किताबें पब्लिक के पढ़ने की होती हैं जिससे कि उसका ज्ञान बढ़े, ऐसी किताबें नहीं हैं। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे गांव के लोगों को ज्यादा से ज्यादा किताबें मिलें। तो इस ओर भी हमारी सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि एक माननीय सदस्य ने जो कि दूसरे तीसरे नम्बर पर बोले थे उन्होंने भीलवाड़ा के बारे में बोला। माननीय सभापति महोदय, भीलवाड़ा मैं भी गया था। माननीय सदस्य ने कहा कि वहां पर पंडाल में १२ लाख रुपया खर्च हुआ। मैं कहता हूं कि वहां नहीं हुए···

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपका कटौती के प्रस्ताव है उससे इस बात का कोई विशेष संबंध नहीं है।

श्री जनार्दनराय नागर : सामने बैठे हुए माननीय सदस्य ने जिन बातों को कहा था तो मैं समझता हूं कि उसका माननीय सदस्य क्लेरीफाई करना चाहते हैं तो उनको मौका दिया जाना चाहिए।

श्री लक्ष्मण हीरात : माननीय सदस्य ने शायद यह भी कहा कि कुछ पैसे इधर

(श्री लक्ष्मण हीरात)

उधर भी हुए और इस तरह उन्होंने किसी एक खास व्यक्ति के बारे में आरोप लगाये। तो मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि वहां ऐसी बात नहीं हुई। उनके पास में ही जो दूसरे माननीय सदस्य बैठे हैं और जो कि भीलवाड़ा के हैं उन्होंने कहा है कि ऐसे ऐसे खर्चा हुआ और उनके कहने से आपने कह दिया तो मैं आपको बताऊं कि यह बात वैसी नहीं है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): क्या बात हुई थी फिर ?

श्री लक्ष्मण हीरात : अब माननीय सदस्य जानते ही हैं। यह बात हाउस में यहां कहने से कुछ होना जाना नहीं है। जलसे की बात तो चौपड़ पर भी कह सकते हैं। इसलिए मैं इस बात को नहीं कहूं तो अच्छा होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार का ध्यान जितना पंचायतों की ओर जाना चाहिए या नगरपालिका या ज़िला बोर्डों की ओर जाना चाहिए, उतना नहीं गया है। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि अब जो चुनाव हो रहे हैं उनके बारे में और जो पंचायत का पुनर्गठन हुआ उसके बारे में बड़ी दिक्कतें हैं। तो माननीय सभापति महोदय, हमारे वहां भी कई ऐसी ही समस्यायें हैं। एक पंचायत में कई गांव आ गये हैं तो इसमें से तोड़ कर दूसरी नई पंचायतें नई बनानी होती हैं तो समस्या पैदा होती है। अधिकारियों के पास तहसील पंचायतों के पास इतना पैसा नहीं है कि वह आसानी से खर्च कर सकें और आसानी से वह इलाका अलग कर सकें और वहां पर भी पंचायत कायम कर सकें। तो इन सब बातों को देखते हुए हमारी सरकार का ध्यान इस तरफ जाना चाहिए कि पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले।

श्री सभापति : श्री सम्पतराज

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा): आदरणीय सभापति महोदय, मांग संख्या २६ में मैंने एक कटौती का प्रस्ताव ग्राम पंचायतों को अधिक आर्थिक सहायता देने के लिए वादविवाद करने के लिए प्रस्तुत किया है।

सभापति महोदय, जब से राजस्थान सरकार ग्राम पंचायतों को भू राजस्व का १।३२ का हिस्सा याने दो पैसा रुपया और निर्माण के कार्यों के लिए सारे राजस्थान में १० लाख रुपया प्रदान करने लगी है तब से पंचायतों में कई निर्माण के कार्य हुए हैं। यह सहायता गत वर्ष से ही दी जाने लगी है और इस सहायता को आज तीसरा वर्ष है। इस अर्से में ग्राम पंचायतों ने जितने भी निर्माण के कार्य किये हैं वे मैं समझता हूं, कि प्रत्येक सदस्य से छिपे हुए नहीं हैं। किसी ने औषधालय, किसी ने स्कूल, किसी ने पंचायतघर और किसी ने सड़कें आदि का निर्माण इस अरसे में किया है। सभापति महोदय मैं अपने जिले की बात बताऊं तो इस सहायता से काफी काम हुए हैं। तो राजस्थान सरकार ने ग्राम पंचायतों को भू-राजस्व का २ पैसा रुपया और निर्माण के कार्य के लिए सारे राजस्थान को १० लाख रुपया दिया है और इस तरह से २७ लाख रुपया देकर ग्राम पंचायतों को काफी मदद की है। जिसके फलस्वरूप काफी सार्वजनिक कार्य किये गये हैं। मगर आज यह हालत है कि

(श्री सम्पराज)

ग्राम पंचायतों के ज़िम्मे पंचायत अधिनियम की धारा २४ के अन्तर्गत उसके कई कर्त्तव्य हैं और उनको पूरा करने की ज़िम्मेदारी पंचायतों पर है। यह ठीक है कि जो सहायता दी गई है उससे पंचायतों को काफी मदद मिली है और इस सहायता से ग्राम पंचायतें काफी निर्माण के कार्य कर पाई हैं, लेकिन जो सहायता उनको दी जाती है वह अपर्याप्त है। इसके साथ ही साथ मैं यह चीज़ भी निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत पहले मनोरंजन कर उनके पास या और ज़मीन के क्रय विक्रय का भी अधिकार पंचायतों को दिया गया है। गत वर्ष राजस्थान सरकार ने यह अधिकार उनके पास से छीन लिया और इस वर्ष भी ज़मीन का अधिकार जो उनके पास क्रय विक्रय का था वह भी लेने की सोच रही है। तो सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जो पंचायतों को सहायता दी गई है उससे काफी तादाद में काम होते हैं मगर जो सहायता दी गई है वह बहुत कम है। यदि ग्राम पंचायतों को अधिक सहायता दी जाये तो वह अपने बहुत से काम पूरा कर सकेंगी। आज ग्राम पंचायतों को भू-राजस्व का दो पैसा दिया जाता है इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि यह दो पैसा रुपया इतना कम है कि वह अपना काम पूरा नहीं कर सकती। हमारे ज़िले में २५,०००) रुपया प्राप्त हुआ। हमारे यह पर १०० पंचायतें हैं और प्रत्येक पंचायत को २५०) रुपया आया तो क्या निर्माण का काम हो सकेगा। तो, मैं सभापति महोदय, आपके ज़रिये से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वह भू-राजस्व के दो पैसे रुपये के बजाय ग्राम पंचायतों को कम से कम एक आना याने सवा छः परसेन्ट लगान में से हिस्सा दें और जो १०) लाख रुपये की रकम सारे राजस्थान के लिए रखी है उसको बढ़ाकर के २५) लाख रुपये की राशि रख दी जाये तो कम से कम मैं समझता हूं कि फी पंचायत ६००—७००) रुपया पड़ेगा और इससे उनको निर्माण के काम में काफी सहायता मिलेगी। अब जब कि हम पंचायतों के निर्माण के कामों की आशा रखते हैं तो ऐसी सूरत में उनके पास फण्ड नहीं हुआ, पैसा नहीं हुआ तो पंचायत अपना काम पूरा नहीं कर सकेंगी। इसलिए मैं, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगा इस कटमोशन के ज़रिये कि राजस्थान सरकार भू-राजस्व का २ पैसे के बजाय १ आना कर दें और १०) लाख के बजाय २५) लाख रुपया प्रदान करे।

श्री सभापति : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): सभापति महोदय, मैंने अपने एक कटमोशन को सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है। जो पब्लिसिटी डिपार्टमेन्ट है उसमें किस प्रकार से हमारे धन का उपयोग होता है और किस प्रकार से यह खर्चा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है इसके ऊपर प्रकाश डालने के लिए यह कटौती का प्रस्ताव रखा है। सही माने में मैं ऐसा समझता हूं कि जहां तक प्रचार का सवाल है उस प्रचार के सवाल में सरकार का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। सरकार का दृष्टिकोण हमेशा यह स्पष्ट होना चाहिए कि हम ऐसी चीज़ों का प्रचार करें जिससे कि आम जनता को कुछ लाभ हो और उसके साथ ही साथ उनके जीवन का कुछ विकास हो। प्रचार का मकसद सही माने में यह होता है कि हम ऐसी चीज़ों का प्रचार करें

(श्री मुरलीधर व्यास)

कि जिससे मनुष्यों का दिमाग जो चीज़ वह नहीं जानते उसमें जानकारी करके कुल लाभ उठायें और वह अपने देश में या राज्य में जो कुछ अपना सहयोग दे सकते हैं उस सहयोग को देकर अपना काम करें, परन्तु मैं यहां खास तौर से राजस्थान के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट को और इसके बजट को देखता हूं तो मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि उसका खर्चा उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और इन खर्चों के अन्दर जब दूसरे खर्च का सवाल आता है तो इसके अन्दर ऐसा विभाग जोड़ दिया गया है, यह कहा जाता है। खास तौर से पब्लिसिटी बोर्ड जो है इसका जो खर्चा हो गया १९५७—५८—के अन्दर, जो वास्तविक खर्चा था वह ६,६५,५६६) रु० था। यह १९५७ का वास्तविक खर्चा इस प्रकार से था, परन्तु यही पब्लिसिटी का खर्चा उसके बाद में ५८-५९ को जो बजट होता है उसके अन्दर रखा गया था वह १२,५८,००० रखा गया था परन्तु खर्चा उसकी पूरक मांग करके १४, ६८,०००) रु० का होता है। अब यह खर्चा यहां से वहां तक बढ़ा, दुगुना हो गया और दुगने से भी ज्यादा और उसके बाद में जो बजट अभी रखा गया है कि १९,६६,०००)रु० दिया जाय इसके अन्दर जो पब्लिसिटी बोर्ड का खर्चा रखा है वह १९,८१,०००) रु० यह ५८—५९ का है। यह भी डेढ़ साल के अन्दर-अन्दर इसका खर्चा खास तौर से पब्लिसिटी बोर्ड का इस प्रकार से बढ़ा है, तो आखिर इसका लक्ष्य क्या है? क्या पब्लिसिटी का खर्चा ऐसे लोगों के कल्याण के दृष्टिकोण के अनुसार उनके जीवन को ऊंचा उठाने के लिए या देश की, मुल्क की, हालत को ऊंचा उठाने के लिए किया जाता है? अगर कोई डवेलपमेंट वर्क ही मानलें कि ठीक बात है कि विकास के लिए खर्चा लगाया जा रहा है और इससे मुल्क का विकास इस इस प्रकार से होगा। परन्तु जहां तक इस खर्चे का सवाल है मैं इस पर आश्चर्य करता हूं, साधारण नागरिक के तरीके से, कि यह सारा व्यय एक मात्र इसलिए कि किस प्रकार से इधर उधर के पत्र, एक पार्टी के प्रचार के दृष्टिकोण से कि किस प्रकार से हम लोगों को यह बतायें कि हमने क्या क्या काम किये हैं, कितना विकास किया है, कितनी उन्नति की है, और इसके साथ साथ उसमें यह भी खर्चा है कि किस प्रकार से मंत्रियों के खुद के फोटो पत्रों में छपते हैं। मंत्री साहब कोई वक्तव्य दें, कोई किसी प्रकार की मीटिंग में जायं तो इन सारी बातों को सरकार प्रकाशित करती है, और इसके लिए सरकार ने अपना विभाग खोल रखा है, और इसलिए हमारे मंत्रीगण कहां दौरे पर जायं, भाषण दें, जो कुछ बोलें उसके लिए उनको अलग पत्रकार चाहिए, दूसरे पत्रकार जो हैं, अलग अलग पत्रों के पत्रकार अलग अलग स्थानों पर बैठे हैं, परन्तु फिर भी इस खर्चे के अन्दर सरकारी पत्रकार अलग, सरकारी संपादक अलग, सरकारी मशीनरी इस प्रकार से अलग, फोटोग्राफर्स अलग, और इसके साथ साथ पत्रकार प्रचार करने के लिये अलग। तो यह एक मशीनरी इस प्रकार की किसी भावना को लेकर सरकार ने रखी है, इसका क्या मकसद है? मेरे दिमाग में यह बात नहीं बैठी है। मैं तो इसका मतलब समझता हूं कि गरीब मुल्क के लोगों पर व्यक्तिगत फोटो छपवाने के लिए, प्रचार कराने के लिए, जो देश इतना गरीब है, इस गरीब देश में अपनी छोटी मोटी बातों के लिए यह टक्स बढ़ाते हैं।

(श्री मुरलीधर व्यास)

आज ३० लाख रुपया आपने बढ़ाया है। मोटर में जो यात्रा करते हैं, जो लोग सफर करते हैं उनके ऊपर। एक मामूली किसान और मज़दूर के ऊपर यह टैक्स लगेगा। दूसरे और टैक्स लगाये जायं तो ऐसे लोगों के ऊपर लगाये जाते हैं जो किसान हैं और काम करने वाले हैं। किसानों पर बेटरमेंट लेवी लगाई जाती है। टैक्सों की गरीबों पर भरमार करते जा रहे हैं, और दूसरी ओर आपके जो खर्च हैं उन खर्चों में किसी प्रकार की कटौती करें, उसको कम करें, उसके ऊपर सोचते तक नहीं हैं, बल्कि व्यक्तिगत दृष्टिकोण से किस प्रकार से सारे राजस्थान के अन्दर सारी चीज़ों के अन्दर पार्टी का प्रचार होता है, हम लोगों का प्रचार होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, इसके प्रचार के लिए ३० लाख खर्चा करें तो मैं समझता हूं। यह नहीं सोचते हैं योजना के आधार पर तो सोचते क्या हैं? मैंने एक दफा विधान सभा में प्रश्न किया था और प्रश्न के उत्तर में कहा गया था। ठीक बात है कि इन इन कामों पर इस प्रकार से खर्चा होता है। मैंने मुख्य तौर से प्रारम्भ में इस ओर ध्यान खींचा और ध्यान खींचकर इस खर्च को मैं बिल्कुल अनावश्यक समझता हूं। आज के युग में जहां पर हम किस प्रकार से प्रजातन्त्र में जनता के पैसे को अपने व्यक्तिगत प्रचार के दृष्टिकोण से लगाते हैं, तो मैं समझता हूं कि वह प्रजातन्त्र का खून है। गरीबों के खून के पैसे को इस प्रकार से व्यक्तिगत प्रचार के दृष्टिकोण से लगाते हैं, तो यह कोई अच्छा दृष्टिकोण नहीं है। आखिर आपने डेमोक्रेसी को मज़ाक बना रखा है? जनतन्त्र के अन्दर सही मायने में जनता को जनतन्त्र की शिक्षा देना है तो एक एक पैसे को जनता के दृष्टिकोण से रखना पड़ेगा। आपको अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण कतई नहीं रखना पड़ेगा।

परन्तु इस सारे खर्च के अन्दर आप चाहे कह सकते हैं कि यह बहुत आवश्यक है। योजना का प्रचार करते हैं। हमें इसका प्रसार करना है, किसानों को दिखाना है कि हम कितना अनाज पैदा करते हैं, कितना कपड़ा पैदा करते हैं, कितना काम आपको देते हैं, परन्तु इस प्रकार से कागज़ी घोड़े दौड़ाने में, इस प्रकार से झूठा प्रचार करने में गरीबों को न तो रोटी दे सकते हैं, न काम दे सकते हैं, न किसी प्रकार से कपड़ा दे सकते हैं। उसके लिए जब उत्पादन बढ़ जायगा, जब कपड़ा बढ़ जायगा, जब अनाज बढ़ जायगा तो जो उसके घर के चूल्हे में असर होगा, जब उसको मालूम होगा खर्चा पहले बहुत ज्यादा था, और अब काफी लाभ मिलता है, पहले उसके बच्चे भूखे मरते थे अब उसके बच्चे खूब स्वस्थ हैं। उसके जीवन पर जब इनका असर पड़ेगा जो कि वास्तविक असर पड़ना चाहिए तो उसका प्रचार स्वयं ही हो जायगा। परन्तु इसके बराबर प्रचार के लिए एक मशीनरी लगी हुई है और लाखों रुपये लगाकर कहते हैं कि हमने इस प्रकार का काम किया है, इतना अनाज बढ़ा है, इतना कपड़ा बढ़ा है, यह काम करे हैं, तो ऐसे प्रचार से मैं समझता हूं इस तरह का कोई लाभ होने वाला नहीं है। अगर आपको वास्तविक लाभ देना है तो इस धरती पर रहने वाले उन लोगों की ज़िन्दगी में सुधार आना चाहिए। जब तक उनकी ज़िन्दगी में सुधार नहीं आयेगा तो यह खर्चा इस प्रकार से करने का कोई मकसद नहीं है।

(श्री मुरलीधर व्यास)

और इस खर्चे को देखते हैं तो अनेक प्रकार के खर्चे इन ३० लाख के अन्दर आपने रख दिये हैं। इसके अन्दर जहां तक एडवर्टाइज़मेंट का खर्चा है, एडवर्टाइज़मेंट आप पत्रों को देते हैं, परन्तु वह खर्चा कितना है? २ लाख पहले एडवर्टाइज़मेंट में था, अब ३ लाख कर दिया है, और ५०,०००) रुपये फोटोग्राफी पर है और अगर कोई सरकारी मशीनरी अपने किसी विज्ञापन के दृष्टिकोण से कोई खर्चा करती है, और आवश्यक है तो करे। परन्तु इसके अतिरिक्त जो दूसरी आपकी मशीनरी है जो कि उसके अन्दर काम करती है, और जो खर्चा इसके अन्दर करती है उसका कहां तक आम लोगों के जीवन से संबंध है, यह मेरी समझ में नहीं आता। इसके अन्दर न जाने कितने फोटोग्राफर, न जाने कितने पत्रकार, न जाने कितने लेखक, न जाने कितने कलाकार रखे हैं। कलाकार वहां पर क्या काम करता है? इसके लिए सरकार का खर्चा है। वहां पर ३,४ कलाकार रखे गये हैं। ३,४ पत्रकार रखे गये हैं। आखिर कलाकार ऐसा कौन सा काम इसके अन्दर कर रहे हैं जिसके लिए आपका यह विभाग है और जिससे आम जनता को लाभ हो?

कुछ पत्रों को विशेष तौर से इस प्रकार से १२,०००) रु० का कन्ट्रीब्यूशन दे दिया। ठीक बात है आपकी पब्लिसिटी हो। २५ हज़ार रुपया उसको दे दिया। २५ हज़ार रुपया देते इसलिए हैं कि हमारे यहां की और भी पब्लिसिटी हो, वे खूब करें। आखिर अपने व्यक्तिगत प्रसार के दृष्टिकोण से अगर आप इस प्रकार का खर्चा करते हैं, तो यह खर्चा, मैं समझता हूं, किसी भी हालत में अच्छा नहीं है। इस खर्चे को कुछ कम करना चाहिए था, परन्तु आपने इस खर्चे को आज जो कि सन् ५७ के अन्दर ६ लाख रुपये था उसको ६ लाख से ले जाकर २० लाख पर कर दिया। जिस प्रकार से गत वर्ष में १२ लाख का बजट इसमें रखा था और बाद में २ लाख और बढ़ाया गया तो यह २० लाख की लायबिलिटी आपकी २५ लाख की भी हो सकती है। तो यह जो इस तरीके से खर्चा है, मैं इसको समझता हूं कि बिल्कुल अनावश्यक खर्चा है। इस गरीब मुल्क के अन्दर अगर हम लोगों का इस तरफ ख्याल नहीं गया, दूसरे प्रान्तों को आप देखें, दूसरे प्रान्तों में भी पब्लिसिटी होती है, दूसरे प्रान्तों में भी इस प्रकार का खर्चा होता है, लेकिन उनका एक दृष्टिकोण तो साफ होता है, तो यह बात अच्छी नहीं है। आपके पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में जनता के साथ सम्पर्क के दृष्टिकोण से, जनता में काम करने के लिए किस प्रकार जनसम्पर्क अधिकारी नियुक्त किये गये हैं, किस प्रकार वह काम करता है! जनसम्पर्क अधिकारी का मतलब क्या है? जनता से सम्पर्क स्थापित करें, जनता को क्या दिक्कत है, किस प्रकार की दिक्कतें रहती है उसको वह देखे और देखने के बाद कहां कहां पर किस प्रकार की बुराइयां हैं, क्या चीज़ है, जो लोग नहीं समझते हैं, उनको समझावें, उनको बतावे। लेकिन आपके यहां का जन सम्पर्क अधिकारी जनता से सम्पर्क नहीं रख सकता। कई स्थानों पर आपने जन सम्पर्क कार्यालय खोल दिये और उनका मकसद सरकारी मशीनरी का प्रचार करना या प्रसार करना है तो मैं समझता हूं यह बिल्कुल व्यर्थ है। आपने २० जनसम्पर्क अधिकारी रखे हैं ये हर डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर हैं या नहीं,

(श्री मुरलीधर व्यास)

मुझे पता नहीं लेकिन कई जगहों पर हैं। मैंने बीकानेर में इनके बारे में देखा। मैंने क्या देखा कि मैं तो चला गया जेल जामसर के मज़दूरों के मसले को लेकर और वहां पर मेरे दिमाग में दो तीन दिन तक भूख हड़ताल करने की बात बैठी। उस जनसम्पर्क अधिकारी ने यह काम किया कि एक पत्र में लेख लिखा जिसमें लिखा कि भूख हड़ताल वगैरा करना व्यर्थ है, भूख हड़ताल करने वाले ग्लूकोज़ वगैरा खा लेते हैं। वहां से एक पत्र निकलता है सेनानी, उसमें उसने लेख लिखा और बिल्कुल गलत लेख लिखा। मैंने ३ दिन का उपवास, अपने दिमाग में अशान्ति थी, इसलिये किया और उस समय न ग्लूकोज़ खाया और न कोई और चीज़ खाई लेकिन उस जनसम्पर्क अधिकारी ने झूठा ही लिख दिया। ऐसा करने में उस जनसम्पर्क अधिकार का लक्ष्य क्या था। उसका काम यह था कि दूसरे पक्ष के लोगों को बदनाम किया जाय। यदि दूसरे पक्ष के लोगों को बदनाम करने के लिये ही जनसम्पर्क अधिकारी पर खर्चा किया जाता है तो मैं खुले आम कहता हूं कि आप का जनसम्पर्क विभाग इसलिये है कि विरोधी दल को कुचलें और उनके खिलाफ झूठी विज्ञप्ति निकाल कर आम जनता को गुमराह करें। इस लक्ष्य को लेकर काम करते हैं और इसी भावना से आप आदमी रखते हैं, तो मैं समझता हूं इस विभाग का कोई मकसद नहीं है। मैं समझता हूं जनसम्पर्क अधिकारियों की आवश्यकता नहीं है। क्या इस देश में महात्मा गांधी या विनोबाजी या जो चुने हुए जनता के नुमायन्दे हैं उन पर विश्वास नहीं है या आप जनता से सम्पर्क रख नहीं सकते हैं। यदि जनता से सम्पर्क रखना है तो उन पर आपको विश्वास रखना होगा। उन चुने हुए लोगों का काम सबसे बड़ा यह है कि जनता की कठिनाइयों को सरकार के सामने रखें यही जनता के चुने हुए नुमायन्दों का काम है और उनका काम होते हुए सरकार अलग तरीके से जनसम्पर्क अधिकारी रखती है तो उसका क्या मकसद है। आप कोई योजना शुरू करते हैं तो उसका प्रसार जनता के नुमायन्दे कर सकते हैं। आपका बहुमत है, आपके दल के लोग अधिक हैं वे लोग स्वयं अपने अपने क्षेत्र में जाकर प्रचार कर सकते हैं। हमारी सरकार की मशीनरी आपके लिये क्या काम कर रही है। जब चुने हुए लोग मौजूद हैं तो जनता तक बात पहुँचाने का सबसे बड़ा ज़रिया जो है उनको मौका दिया जाय। लेकिन सरकार जब इस प्रकार का काम करती है तो मैं समझता हूं, यह धन का दुरूपयोग है। और आप पहले से भी ज्यादा बजट बढ़ाते जाते हैं तो स्पष्ट है कि सरकार गरीब जनता का पैसा है उसका दुरूपयोग करना चाहती है। यह प्रान्त वैसे ही बहुत पिछड़ा हुआ है, यहां और कोई साधन नहीं है, एक एक पैसे के नाम पर टैक्स बढ़ाया जाता है, जो राजस्थान जिसका बजट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, उस पर कर्ज़ा बढ़ता जा रहा है, हमारा राजस्थान बना उस समय ३० करोड़ रुपये नकद हमारे पास थे लेकिन आज वही राजस्थान १०० करोड़ का कर्जदार बन गया है और उसके साथ ही योजना को आगे बढ़ाने के लिये तीसरी पंच वर्षीय योजना की बात कह कर बजट को दुगुना करते जा रहे हैं और ऐसी हालत में छोटे मोटे खर्चे, जिसकी आवश्यकता नहीं, जिनका कोई महत्व नहीं है उसमें कटौती नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं जनता से टैक्स वसूल करते हैं उसका एक मात्र मकसद यह

Page No.75

(श्री मुरलीधर व्यास)

है कि आप कहते यह हैं कि हम अच्छे काम के लिये लगायेंगे लेकिन आप इस तरह के कार्यों के लिये खर्च करेंगे तो अच्छा काम करने का महत्व नहीं रहेगा, काट दिया जायगा। यदि महत्व रखना है और जनता के धन का उपयोग करना है तो इस बजट में ६ लाख से ३० लाख की बढ़ोतरी हुई है '५७ से '५६ तक यह बिल्कुल नावाज़िब हुई है। सरकार इस पर विचार करेगी और इसमें बचत करके जन कल्याण के कार्य पर खर्च करने की कृपा करेंगी।

श्री सभापति (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल) : श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री मोहरसिंह (चूरू) : मेरा भी कट मोशन है, मुझे समय नहीं दिया जायगा क्या ?

श्री सभापति : आपको भी समय दिया जायगा।

(विराम)

श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हिन्डोली) : सभापति महोदय, मांग संख्या २६ में मेरा कटौती प्रस्ताव इस प्रकार है :

"मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ५७ विविध में एक रुपये की कटौती की जावे (ग्राम पंचायतों में हरिजन सदस्य नामज़द नहीं करने पर बहस करने के लिये)"

सभापति महोदय, ग्राम पंचायतों में हमारी सरकार ने हरिजन भाइयों को नामज़द करने का एक नियम बनाया है जिस ग्राम पंचायत में कोई हरिजन चुनकर नहीं आया है वहां पर सरकार नामज़द करेगी, लेकिन देखना यह है कि इस नियम का कितना पालन हुआ है। साफ चीज़ है कि यह नियम इसलिये बनाया गया है कि हरिजन का चुन कर आना असंभव सा है क्योंकि अभी हमारे यहां स्वतंत्रता के १०.११ वर्ष बाद भी कोई ज्यादा प्रगति हुई है ऐसा प्रतीत नहीं होता। यहां तक कि सरकारी महकमों और कर्मचारियों और ऑफिसरों में भी छूआ छूत है यह कहने में संकोच नहीं है। सभापति महोदय, इसका साफ प्रत्यक्ष प्रमाण है। पंचायत विभाग के ऑफिसर्स यह नहीं देखते कि किन किन पंचायतों में हरिजन सदस्य को नामज़द किया है और कौन कौन से हरिजन सदस्य चुन कर आये हैं और किस तरह से कानून का पालन हुआ है। मैं बूंदी ज़िले के लिये अर्ज कर सकता हूँ कि वहां पर २ परसेन्ट भी पंचायतें ऐसी नहीं होंगी जिनमें हरिजन नामज़द किये गये हों। तो फिर आपने यह नियम क्यों बनाया ? क्योंकि यह साफ है कि जिस गांव में जो श्रेष्ठ व्यक्ति होगा और जिसको सभी मानते होंगे वही सरपंच या पंच चुना जायगा। यदि ऐसा व्यक्ति यह नहीं चाहता हो कि छूआछूत मिटाया जाय तो उसका गांव पर क्या असर होने वाला है। मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार के पंचायत विभाग द्वारा इस बारे में सतर्कता बरती जानी चाहिये और हरिजन को हर पंचायत में और हर तहसील पंचायत में नामज़द करना चाहिये। और यदि भावना यह है कि छूआछूत कम करनी है और शीघ्रातिशीघ्र छूआछूत के भूत को भगाना है और हरिजन को ऊंचा उठाकर बराबर लाने की बात करें तो हरिजनों की मेहतर जाति में

(भंवरलाल शर्मा)

से पंचायत में नामज़द करना चाहिये। मैं ऐसी मिसाल दे सकता हूं जहां हरिजनों को या चमारों को नामज़द किया गया है वहां सरपंच अभी भी उन हरिजन सदस्यों को नीचे बैठाते हैं १० हाथ की दूरी पर बैठाते हैं और उनको कहते हैं कि वहीं बैठे बैठे हाथ उठा दिया करो। वोटिंग का टाइम आता है तब उससे पूछ लेते हैं कि क्यों भाई ऐसा कर दें तब वह वहीं बैठा बैठा जवाब देता है कि हां साहब कर दो। इस बारे में जब प्रार्थना पत्र दिये जाते हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। ज़िला ऑफिसर पार्टियां देते हैं या सरकारी दावत की जाती है उनमें भी छूआछूत की भावना मौजूद रहती है। बड़े और ज़िम्मेदार भले ही आवें और वहां आकर यह और कह दें कि मुझे आज चाय नहीं पीनी है। यदि आप में छूआछूत मिटाने की भावना है और हरिजनों को आगे लाने की भावना है तो सबसे पहली बात यह है कि जिस प्रकार से कानून में प्राव-धान रखा है कि पंचायत में हरिजन पंच का आना संभव नहीं हो तो उसको नामज़द किया जाय विशेष कर तब तक जब तक कि छूआ-छूत दूर न हो जावे। हर पंचायत में पूरी सतर्कता से देखा जाय कि अगर उसमें हरिजन नहीं आया है तो वहां पर हरिजन की नाम-ज़दगी हो और वह भी मेहतर जाति में से हो। मेहतर जाति के सदस्य को प्रत्येक पंचायत में नामज़द करना चाहिये।

सभापति महोदय, यदि आज सबसे ज्यादा छूआछूत देहात में मानने वाले हैं तो वे पंच या सरपंच मानते हैं उनमें से अधिक-तर पटेल, बोहरा, पंडित आदि लोग होते हैं और वे ही लोग पंचायतों की स्वतंत्रता को भंग करने के लिये और कानून को भंग करने के लिये सबसे पहले तैयार होते हैं। वे कहते हैं कि हमको पंच या सरपंच चुनो, हम राज्य करेंगे, दंड और जुर्माना करेंगे। इसके लिये तो वे तैयार रहते हैं परन्तु जहां कहीं छूआछूत मिटाने का मौका आता है तब वहां से कतरा जाते हैं और बहानेबाज़ी लगाते हैं। अगरचे हमने मज़बूती के साथ कार्यवाही की तो छूआछूत नहीं बरती जायेगी और अगर मेहतर भाई को भी नामजद किया जायगा तो मैं गारन्टी के साथ कह सकता हूं कि सेवा के इच्छुक ज्यादा आयेंगे। वैसे सेवा के इच्छुक कम आते हैं और सत्ता के इच्छुक ज्यादा आते हैं लेकिन अब जो लोग जायेंगे वे छूआछूत को मिटाकर आयेंगे। इससे लोगों में प्रचार होगा और आगे जाकर, जो कोशिश हो रही है छूआछूत मिटाने की वह पूरी हो जायगी। इतना ही कह कर मैं अपना कटौती प्रस्ताव मूव करता हूं।

श्री सभापति : श्री मोहरसिंह।

श्री मोहरसिंह (चूरू) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या २६ मुख्य शीर्षक ५७ विविध में मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं, जिसमें से एक के मुतल्लिक बोलने का समय शायद गुज़र गया। अगर सभापति महोदय की अनुमति हो तो उसके लिए कुछ कहूं......

श्री सभापति : आप संक्षेप में कह दीजिये।

श्री मोहरसिंह : सभापति महोदय, मांग संख्या २६ मुख्य शीर्षक ५७ विविध में १०० रु० की कटौती की जावे पंचायत सर्किल को छोटा बनाया जाना आवश्यक है, इस हेतु विचार करने के लिये।

(श्री मोहरसिंह)

माननीय सभापति महोदय, वास्तव में जब पंचायत का नाम सामने आता है तो बहुत सी समस्यायें और गम्भीर समस्यायें जिनके ऊपर विचार करना बहुत ज़रूरी होता है, वे सहसा सामने खड़ी हो जाती हैं। पंचायत आज के युग में, जब कि हम भारतवर्ष का नक्शा समाजवादी देश के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बन गई है। जिस नक्शे के ऊपर हम देश को ले जाना चाहते हैं, उसके अन्दर पंचायत जो कुछ काम करें, उनका बहुत बड़ा हिस्सा होगा। जब हम इन सारी बातों के ऊपर विचार करते हैं तो आज से करीबन १६ या १७ वर्ष पहले, देश के एक माननीय नेता, पंडित नेहरू के कहे हुए शब्द मुझे याद आते हैं। उन शब्दों की तुलना में आज पंचायत का यह ढांचा, पंचायत की कार्य शैली, पंचायत का पटन देखते हैं तो विचार खड़े होते हैं, काफी उलझनें काफी समस्यायें हमारे सामने आती हैं, जिनको हम सब मिलकर सुलझा सकते हैं। सभापति महोदय, करीबन १७ वर्ष पहले ज़िला रोहतक और दिल्ली की सीमा पर एक बड़े भारी मजमें में पंडित जी ने शब्द कहे थे कि कांग्रेस राज्य चालू होगा तो पंचायत राज्य चालू होगा। वह दिन है, आज का भी दिन है, पंचायतें बनी हैं, पंचायतों ने कार्य किया है, सारी बातें हमारे सामने हैं, उन शब्दों की रोशनी में आज हमें तुलना करनी है, आज हमें आगे बढ़ना है और सोचना है कि पंचायत राज्य की वास्तव में जिस कल्पना को लेकर पंडितजी ने शब्द कहे थे, उस तरह कार्य पंचायत करती जा रही हैं या नहीं? कुछ अड़चनें हैं, जिन पर विचार करने के लिए मैंने कटौती प्रस्ताव रखा है, उनको स्पष्ट रूप से बताऊंगा लेकिन जो पंचायतों का गठन है, उसके मुतल्लिक दो शब्द कह देना चाहता हूं। पंचायत सर्किल्स आज से चार वर्ष, साढ़े चार वर्ष पहले बनाये गये, कई गांवों को मिला कर बनाये गये। राजस्थान का एक बहुत बड़ा भू भाग रेगिस्थानी है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य....

श्री मोहरसिंह : अभी आता हूँ।

श्री सभापति : क्या आपको जानकारी है कि राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि सर्किल्स काफी छोटे बनाये जायेंगे ?

श्री मोहरसिंह : जी ?

श्री सभापति : क्या आपको जानकारी है कि राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि पंचायत सर्किल्स छोटे बनाये जायेंगे। अगर ऐसा निर्णय हो चुका है तो उसके बारे में ज़िक्र करना....

एक माननीय सदस्य : राजपत्र में आया हो चुका है।

डॉ० बहादुरसिंह (भोजपुर) : आज की जानकारी है।

श्री मोहरसिंह : श्रीमान् सभापति महोदय की ओर से इस प्रकार की जानकारी दी जा रही है कि छोटे सर्किल्स बनाने का निर्णय राज्य सरकार ने कर लिया है....

श्री सभापति : Is there a decision of the Government ?

श्री नाथूराम मिर्धा : विचार कर रहे हैं

Page No.78

श्री मोहरसिंह : दूसरा जो मेरा कटौती का प्रस्ताव सदन के सामने है वह है, तहसील राजगढ़ (ज़िला चूरू) की पंचायतों में कार्य में बरती जाने वाली अनियमितताओं पर बहस करने हेतु।

सभापति महोदय, वास्तव में जैसा कि मैंने अभी बतलाया कि पंचायत देश के भावी नक्शे को परिवर्तित करने के लिए हिन्दुस्तान को समाजवादी ढांचे में डालने में बहुत बड़ा भाग अदा करेंगे, ऐसी उम्मीद है। इस चीज़ को लेकर पंचायतों का गठन, पंचायतों की कार्य शैली और पंचायत के हर एक कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से करना चाहते हैं। इसके लिए लाखों रुपया इस बजट में रखा गया है। मैं समझता हूं कि पंचायतों को हमें सही ढंग से चलाना है क्योंकि मैं समझता हूं कि पंचायत एक कीमती चीज़ है, यह बड़े भारी समाजवादी भवन में एक मंजिल का काम देगी। पंचायतों को इसलिए ठीक ढंग से चलाने के अन्दर कोई कमी न रहने देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें देश को आगे बढ़ाना है। आज देश का सर्वोन्मुखी विकास करना चाहते हैं, इस वज़ह से जो कुछ कमियां हैं पंचायत में, उनके बारे में हम समझदारी के साथ में, गम्भीरता के साथ में उनका विवेचन करें। उन कमियों पर दृष्टिपात करते हुए उन कमियों पर गौर करते हुए मैं निवेदन करूंगा कि सरकार ने एकांगी दृष्टिकोण रखा है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि पंचायतों के पास पॉवर्स कम हैं, मैं इसको तस्लीम कर सकता हूँ और कर रहा हूं कि पंचायतों को विशेष अधिकार देने चाहिए। लेकिन हम दूसरी साइड में विचार नहीं कर रहे हैं कि पंचायतों को जो अधिकार दिये हैं, वास्तव में उनका मिसयूज़ तो कहीं नहीं हो रहा है, कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। इन सारी बातों को दृष्टि में रखना चाहिए वास्तव में एक शरीर है, अगर उस शरीर के अन्दर ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छे पकवान डालते रहें, बहुत अच्छा खिलाते रहें, जिससे शरीर मोटा ताज़ा होता रहे लेकिन अगर पांव में फोड़ा है, शरीर में फुंशी है और उसका इलाज न करें, तो उस जगह पर रिस्सी बढ़ती जायगी और गन्दगी बढ़ती जायगी। अगर उसका ठीक ढंग से इलाज न करें तो पूरे शरीर को नुकसान पहुंचेगा। इसी तरह से वास्तव में पंचायत महकमें को बहुत अच्छी तरह से सुव्यवस्थित कर लें, लेकिन उसके साथ साथ उसके अन्दर किस प्रकार काम चल रहा है, ईमानदारी के साथ में, गम्भीरता के साथ में इस बात पर गौर करें, यह हमारा फर्ज है। जब हम फील्ड में जाकर देखते हैं, आज गांव गांव में जाकर हम देखते हैं, पंचायतों के हैड क्वार्टर पर जाकर देखते हैं, पंचायत सर्किल के गांव में देखते हैं, तो पता लगता है कि जनता के दिल के अन्दर आगे बढ़ने के भाव और आशा निराशा में परिणत होती जा रही है। यह ईमानदारी की बात है, सही बात है, जिसको गांव के अन्दर जाकर देखने वाले भाई जानते हैं, माननीय सदस्य जानते हैं कि जनता में वास्तव में निराशा की भावना है। अगर नहीं, है तो इसका सबूत यह है कि विकास को जिस श्रेणी, जिस स्टेज पर ले जाना चाहते हैं, डवेलपमेंट के काम को जिस स्टेज तक ले जाना चाहते हैं, उस स्टेज तक नहीं पहुँच रहा है। उसकी वजह यह है कि गांव में रहने वालों के दिलों में निराशा है। इसमें महकमे का कुछ हिस्सा हो सकता है, उसमें मैं समझता हूं कि पंचा-

(श्री मोहरसिंह)

यत विभाग का हिस्सा कुछ ज्यादा है क्योंकि पंचायतें जनता के करीब हैं, रोज़ाना इनका वास्ता पड़ता है, जो प्रशासनिक काम को करते हुए, डवेलपमेंट के काम का ज़िम्मा लिये हुए हैं। इसके जरिये डवेलपमेंट का काम होगा, अच्छा होगा, यह हमारी मान्यता है। इस प्रकार पंचायतों में गड़बड़ी हो, उससे जनता में निराशा की भावना है, तो उसे फौरन रोकना है, हमारा देश डेमोक्रेटिक वे में चल रहा है, प्रजातन्त्र के ढंग पर हिन्दुस्तान के अन्दर समाजवादी ढांचा लाना चाहते हैं तो एक तरफ डेमोक्रेसी का उसूल हो और दूसरी तरफ पंचायत विभाग में गड़बड़ी हो, जिससे निराशा पैदा हो जनता में तो इस चीज़ को मुलम्मा चढ़ा कर, पॉलिश करके दबाने की नीयत रखें तो यह शोभा की

३. म. प.

बात नहीं है। इसमें कोई विरोधी आरोपों का सवाल नहीं, हुकूमत पार्टी का सवाल नहीं, सारे देश का सवाल है। सारे देश को उन्नत बनाना है तो मानव हकों के अनुसार, हम भारत देश के वासी हैं, हमें सही बात को समझना पड़ेगा, सही समस्या समझ कर हल करना होगा, वहां इन पंचायतों में फैली गड़बड़ियां, धांधलीबाजी, इनको दूर करने के लिये कदम उठाना पड़ेगा। क्योंकि हम इस सबका ज़िम्मा ले कर यहां आये हैं। जब हम यहां देखते हैं, "सत्यमेव जयते" यह कितना सुन्दर वाक्य है, यह १७६ सदस्यों को उत्साहित करता है कि जनता की सही आवाज़, असेम्बली के सामने रखेंगे, एक दूसरे के इलाके की बात, एक दूसरे के इलाके की आवाज़ एम. एल. एज़. के सामने रखेंगे। तो एक तरफ तो यह "सत्यमेव जयते" और दूसरी तरफ दूसरा नज़ारा देख रहे हैं। मुझे माफ करेंगे सभापति महोदय, हमारे अन्दर अहसास आना चाहिये, इसलिये निवेदन करूंगा। एक प्रश्न किया गया, पंचायतों के महकमें में ऊपर सी. पी. ओ. हैं, जन संघ की तरफ से उनपर सवाल पूछा गया कि फिजूल का खर्चा हुआ, इन्टरव्यू कार्ड भेज कर बुलाया कितने ही लोगों को तो मैं कद्र करता हूं डिप्टी मिनिस्टर साहब की उन्होंने कबूल किया कि गलती है। चाहे सी. पी. ओ. की हो, चाहे अन्य की हो। एक तरफ गांधीवाद का नारा लगायें, 'सत्यमेव जयते' का नारा लगायें फिर खड़े हो कर टालमटोल की जाय, कहा जाय कि नियमों के अनुसार किया गया। मैं बताना चाहता हूं कि नियम के ऊपर भी एक चीज़ है, देश का उत्थान, मानवता को आगे बढ़ाने के लिये हम नियम बनाते हैं। ....

श्री सभापति (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल) : माननीय सदस्य।

श्री मोहरसिंह : अभी आ रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपका कटौती प्रस्ताव है तहसील राजगढ़ जिला चूरू की पचायतों में बरती जाने वाली अनियमितता अभी तक तो आपने इस विषय को प्रारम्भ ही नहीं किया है।

(हंसी)

श्री मोहरसिंह : विषय पर मैं अभी आ रहा हूं। महत्वपूर्ण विषय है, इसलिये भूमिका बता रहा हूं।

श्री सभापति : भूमिका ही इतनी लम्बी है तो बहस तो न मालूम कितनी लम्बी होगी।

श्री मोहरसिंह : अभी आ रहा हूं। ये शब्द इसलिये कहे कि बड़ी भारी जिम्मेदारी को लेकर यहां हम लोग इकट्ठे हुए हैं। मेरे प्रश्न का जवाब मुतालिका मिनिस्टर ने दिया, उसका जो जवाब दिया गया संतोषजनक नहीं था।

३. ४. म. प.

(श्री निरंजननाथ आचार्य उपाध्यक्ष पदासीन)

एक पंचायत का सवाल हो तो मैं बताऊं, दो का हो तो बतलाऊं, मेरे कहने का मतलब यह तो नहीं कि सारी पंचायतों में गड़बड़ी है पर अधिकांश में गड़बड़ी चल रही है, उसको हमें तस्लीम करना चाहिये। अनियमितताएं काफी चल रही हैं। हमीरवास पंचायत के सरपंच श्री जीवणराम को जो सूरजभान काण्ड में जेल में भी रखा गया था बी जावारा ग्राम के लिये १६६५ रुपया विकास के काम करने के लिये, कुंए खुदवाने के लिये, दिया गया, वह रुपया वही नहीं लगाया गया मैंने दो दफा विधान सभा में सवाल पूछा। आज जवाब मिलता है, आठ दस गांव बताये, प्रोसीडिंग्स याद नहीं, पर १६६५ रुपया दिया, इन्दरपुरा के गांव में लोगों ने कुआं खुदवाया पर पानी खराब निकला और वह कुआं बुर गया। ३५० रुपया उस गांव में से चन्दा किया गया, १६-६५ का कोई हिसाब नहीं, पर जवाब देना है। इसके बाद उन सरपंच महोदय की इन्क्वायरियें हो रही पर रुपया नहीं भरा जाता वापिस, कुछ रुपया उनके दूसरे साथी के पास है। ६०० रुपया खुदाने में लगा, कुछ चन्दा कर लिया १३०० रुपये बाकी हैं। इसके लिये सवाल उठाया, मिनिस्टर महोदय को भी अर्ज किया गया पर कोई सुनवाई नहीं हुई।

इस तरह अब एक जनरल बात बन गई है पंचायतों में विरोधी पार्टी के आदमी है तो उन आदमियों के साथ इस तरह का बर्ताव किया जाता है कि मानों वे हिन्दुस्तान के निवासी ही नहीं हों, वे लोग आयन्दा कभी इलेक्शन में खड़े न हो सकें इस गरज़ से उनके खिलाफ तरह तरह के मुकदमें बना कर उनको परेशान किया जाता है, बदनाम किया जाता है। इस सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण नेसल पंचायत का रखना चाहता हूं वहां पास में बेरासर पंचायत है, एक छोटा ग्राम है, बेरासर पंचायत में वहां ६० वर्ष का एक बाड़ा है। उस घर वाले पर पंचायत बेरासर छोटा में मुकदमा किया गया। पंचायत के सरपंच और पंच मौका देख कर गये और गांव वालों को शक हो गया कि कहीं ठीक फैसला नहीं कर दें और यह मामला दूसरी पंचायत में मुन्तकिल करवा कर ले गये और उसमें अपने मुआफिक फैसला कराने के लिये नेसल पंचायत में ले गये तहसील राज़गढ़ पंचायत की इजाज़त से जो तहसील पंचायत फर्जी वोटों से बनी हुई है। दो फर्जी वोट डाल कर राजगढ़ में तहसील पंचायत बनाई गई थी। फर्ज़ी वोटों से बनी हुई पंचायत को सरकार आज भी जायज़ माने हुये हैं, यह नमूना है उन तहसील पंचायतों का जिनके तहत में पचायतें चलती हैं। तो वह मुकदमा मुन्तकिल कराया गया नेसल पंचायत में और वह मुकदमा चलता चलता अब मिनिस्टर महोदय के पास

(श्री मोहरसिंह)

आया हुआ है, निगरानी की गई है। इधर नेसल पंचायत का सरपंच लगा हुआ है उस शख्स को तंग करने में। उस शख्श को दूसरी पंचायत का सरपंच बार बार तंग करता है, कल ही मेरे पास उसका पत्र आया है।

इसी तरह एक पंचायत है बघेला, वहां ३००० रुपये वाटर बोर्ड की तरफ से कुंआ खुदवाने के लिये दिया गया, पहले सरपंच ने तो स्तीफा दे दिया। उसने दूसरे उप सरपंच को चार्ज में ६००) दिये जो अब बड़ी कोशिश करके ६०० रुपया तो कुड़की के ज़रिये भरवाया गया, बाकी एक पैसा भी वसूल नहीं हो पाया है। ऐसे सरपंचों की मिनिस्टर कद्र करते हैं। इसी तरह तहसील पंचायत....

श्री उपाध्यक्ष : कुल कितनी पंचायतें हैं, एक साथ कह दीजिये, क्योंकि जनरलाइ-ज़ेशन है।

श्री मोहरसिंह : बहुत हैं उन सब पर बोलूं तो बहुत समय चाहिये। इसी तरह चढ़वाने में हज़ारों रुपये लगते हैं। गंगानगर के नोहर की खबर मिलती है, गंगानगर उनका इन्तकाल चढ़ाते क्योंकि ऊपर नोहर का इलाका कुछ उतरा हुआ है, सौ, डेढ़ सौ रूपयों में वहां इन्तकाल चढ़ता है और राज-गढ़ में १५ बीस रुपयों में इन्तकाल चढ़ता है। मैं विशेष न कह कर इतना ही कहना चाहता हूं कि इन पंचायतों में इतनी गड़-बड़ियां हैं तो उनको सम्हालने की भी कोशिश करनी चाहिये, इस ओर ध्यान देकर इनमें सुधार करें। इनको ऐसी बनायें कि ये डेमो-क्रेसी की कड़ी बन जायं।

टाइम ज़्यादा हो गया है...

श्री उपाध्यक्ष : बहुत पर्याप्त हो गया है।

श्री मोहरसिंह : मैं तो बहुत थोड़ा बोला हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : आपके दूसरे कट मोशन्स कल आयें उन पर बोल लें।

श्री मोहरसिंह : अन्त में मैं मन्त्री महोदय से यही निवेदन करना चाहता हूं कि इनमें सुधार करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्र-वाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : समय का उसी तरह से ख्याल रखा जावेगा।

(हंसी)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं कोशिश तो पूरी करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको सहयोग दूंगा उसमें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अधिक तो माननीय सदस्य नहीं बोलने वाले हैं सपोर्ट में तो....

श्री उपाध्यक्ष : How Can we know it ? If you take the consent of the House...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किसी कोर्नर से ऐसी आवाज़ नहीं आ रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने मांग संख्या २९ मुख्य शीर्षक ५७ विविध के संबंध में जो आवेदन की मांग संख्या माननीय मन्त्री महोदय ने प्रस्तुत की है और जिस पर इस सदन के अनेक माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव रखे हैं, मैं उनमें से कुछ प्रस्तावों के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस आवेदन की मांग में दो मोटी रकमें हैं। एक है पब्लिसिटी बोर्ड (१६,८१,०००) और दूसरी है ग्रान्ट्स इन ऐड एन्ड कॉन्ट्रीब्युशन १८,४५ हज़ार। तीसरी धनराशि हैं पंचायत के लिए ३० लाख ७२ हज़ार की और है। जहां तक दो प्रथम आइटम्स का सम्बन्ध है इनके सम्बन्ध में सदन के अनेक माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें पब्लिसिटी बोर्ड का आइटम है। पहले तो मेरी समझ में यह नहीं आता है कि राजस्थान में पब्लिसिटी बोर्ड करके इस नाम की कोई संस्था भी चलती है। पब्लिसिटी बोर्ड करके कोई संस्था नहीं चलती। यह तो पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है। एजुकेशन बोर्ड, रेवेन्यू बोर्ड, इलेक्ट्रिक सिटी बोर्ड इत्यादि जो बोर्ड बनाये जाते हैं वे बोर्ड या तो ऑटोनोमस बॉडीज़ होती हैं या इस प्रकार से उनका कोई अलग विधान होता है और अलग तौर तरीका होता है। लेकिन जहां तक इस पब्लिसिटी का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ, पब्लिसिटी बोर्ड नहीं है लेकिन राजस्थान का एक महकमा है और इसलिए पब्लिसिटी बोर्ड शब्द का जो उपयोग किया गया है वह उचित नहीं है। गतवर्ष भी माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया गया था, जैसे आज सदन से नदारद हैं, जो कुछ सुझाव, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां दिये जाते हैं, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहूँगा कि जैसे लोक सभा में माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी यह सोचनीय बात है कि सदस्य विचार प्रकट करें और मन्त्री महोदय नोटिंग न करें, चिन्ता, फिक्र न करें, आज भी इसी तरह से गृह मन्त्रीजी सदन में उपस्थित न रहें यह इस बात का सूचक है कि माननीय सदस्य यहां कहना चाहते हैं और उनको अपनी ज़िम्मेदारी मालूम नहीं होती।

श्री नाथूराम मिर्धा : उनकी तरफ से मैं बैठा हूँ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं जानता हूँ कि माननीय यातायात मन्त्रीजी यहां उपस्थित हैं, यहां इस समय ट्रस्पोर्ट के नेशनेलाइज़ेशन का सवाल नहीं है, पानरवा जंगल के कंड का सवाल नहीं रखा है, उसमें गड़बड़ियां हैं उनका सवाल नहीं रखा है। आप मेरी बातों का, जो मैं कहने वाला हूं, जवाब नहीं दे सकते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे अधिकार है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय को सूचित करना चाहता हूँ कि मैं एक विशेष मसला, माननीय गृह मन्त्रीजी से जो सम्बन्धित है, उनके सामने रखना चाहता हूँ, अतः आप कह दें कि वे सदन में उपस्थित हो नहीं सके, तो नहीं फिर यह आपत्ति उठायी जायगी कि माननीय गृह मन्त्रीजी सदन में नहीं थे और इस प्रकार

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

की बातें नहीं रखनी चाहिये थीं। ये बात उन्हीं से व्यक्तिगत सम्बन्धित है और इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि उनको सदन में उपस्थित होने के लिए आदेश दें।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : आप आरम्भ रखें। मैं व्यवस्था की आवश्यकता नहीं समझता।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : फिर यह कोई आरोप नहीं होगा कि माननीय गृह मन्त्रीजी पर आरोप लगाये जा रहे हैं और चूंकि वह सदन में उपस्थित नहीं है इसलिए नहीं लिये जावेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : That objection is not being taken.

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : वे आरोप उन पर लगाये हुए समझे जावेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में बहुत सच्ची बातें प्रश्नों के समय और कटौती प्रस्ताव के रूप में वाद विवाद के समय सदन के सामने श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखी हैं, और मैं समझता हूं, इस विषय में उनको बहुत अधिक जानकारी है लेकिन कुछ बातें १६-२० लाख रुपया पब्लिसिटी डिपार्टमेंट को देते हैं, आखिर किस बात के लिये देते हैं ? इसलिए देते हैं कि पब्लिसिटी डिपार्टमेंट इतनी बड़ी धनराशि का जैसा कि बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि लोगों से टैक्स वसूल करके देते हैं, उसका सदुपयोग करे, न कि दुरुपयोग। आपकी तस्वीरें छाप दें सार्वजनिक विभाग, तो हो गया सदुपयोग। मुझे आश्चर्य होता है, मैं कुछ पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के नमूने पेश करना चाहता हूं कि आखिर करते क्या हैं। उस नमूने में सन् ५६ का कैलेन्डर जो पब्लिसिटी डिपार्टमेंट ने निकाला है वह पेश करता हूं। एक तरफ इसमें निवेदन यह है कि इसमें कुछ तस्वीरें हैं। सबसे पहली तस्वीर है राजस्थान की जाट महिला बच्चे के साथ।

श्री उपाध्यक्ष : यह दृष्टिकोण का फर्क है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अभी शुरूआत है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि पहली बात तो यह है कि यह तस्वीर बिल्कुल गलत है। यह जाट महिला की तस्वीर है। यह तस्वीर जाट महिला की नहीं है और यातायात मन्त्री महोदय इसकी पुष्टि करेंगे कि यह जाट महिला की तस्वीर नहीं है। कोई तस्वीर ली और कुछ लिख दिया नीचे। आगे तस्वीर दी है माली महिला की। अब मेरी तो यह समझ में नहीं आता है कि राजस्थान की माली जाति की एक महिला की जो तस्वीर यहां दी गई है यह हो भी सकती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह माली जाति की महिला की तस्वीर नहीं है और यदि इसकी पुष्टि कराना चाहते हैं तो असेम्बली सेक्रेटरी से पुष्टि करा सकते हैं कि यह माली जाति की महिला की तस्वीर है। कहीं से उठा कर तस्वीर दे दी और नाम लिख दिया।

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य...

श्री नाथूराम मिर्धा : यह बिल्कुल गलत है। यह तस्वीर है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर प्लीज़ !!

माननीय सदस्य, मैं आपका ध्यान इस सम्बन्ध में आकर्षित करना इस चीज़ पर उपयुक्त समझता हूं। जिस ढंग से और जिस तरीके से इस विषय से सम्बन्धित यहां के सेक्रेटरी को किया गया है वह अनुचित है, मेरा विश्वास है कि इस तरह का संकेत न करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं निवेदन कर रहा था कि अगर इस विषय को भी छोड़ दिया जाय तो यह समझ में नहीं आता कि फिर राजस्थान में एक ओर जातिवाद के उन्मूलन की बात करते हैं और दूसरी ओर जातियों के नाम पर महिलाओं की तस्वीरें देते हैं। यदि राजस्थान की कला और संस्कृति का दिग्दर्शन कराना था तो राजस्थान के किसी गाढ़ी मूंछ वाले की तस्वीर देते, उस तगड़े जैसलमेर के

(हंसी)

रहने वाले भाई कि तस्वीर देते जहां ८—१० इंच मोटी मूंछ होती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विषय बड़ा हो सकता है। १२ में से ६ तस्वीरें महिलाओं की हैं। हो सकता है कि डिपार्टमेंट में समझते नहीं, या इतनी महिला के उत्थान में विश्वास है, ज़्यादा रोमेन्टिक हैं, कुछ समझ में नहीं आता। राजस्थान की संस्कृति, कला का दिग्दर्शन महिलाओं के इस प्रकार से चित्र देने से नहीं हो सकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ दिनों पहले हमने देखा था और अखबार आया करते थे, इस विभाग की ओर से वे निकलते थे, एक था 'संयुक्त राजस्थान' और दूसरा था 'विकास'। अभी कुछ दिनों से वे दोनों अखबार उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। माननीय सदस्यों को यह जान कर आश्चर्य होगा कि वे दोनों ही अखबार बन्द हैं। क्यों बन्द हैं? १२ महिने का बजट छः महीने में खत्म कर दिया। 'संयुक्त राजस्थान' अखबार चालू किया, उसकी कोई स्वीकृति नहीं ली, सेक्रेटरी ने ऑब्जेक्शन किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 'विकास' जिसका उद्देश्य योजनाओं का दिग्दर्शन कराना हो सकता है वह भी समाप्त। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अखबार बन्द हो गये लेकिन उनके नाम पर जिन एडीटर्स का बजट स्वीकार कराया गया वे क्या काम कर रहे हैं? इनके सब-एडीटर्स बैठे हुए हैं और उनको तनख्वाह मिल रही है। विकास और संयुक्त राजस्थान के सब एडीटर्स हैं वे आज तक इस विभाग में बैठे हुए तनख्वाह ले रहे हैं, अखबार बन्द हैं, किन्तु उनकी तनख्वाह चालू है। हमारी सरकार उसको देख रही है किन्तु एक्शन नहीं ले रही है। माननीय मन्त्री महोदय कहेंगे, जैसा कि कई बार सदन में वे कहते हैं, ये तो छोटी छोटी बातें हैं इन छोटी बातों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिये। सरकारी कर्मचारी हैं, अखबार यदि बन्द होता है तो यह उनका कसूर नहीं, उनको नौकरी से नहीं निकाल सकते। मैं निवेदन करूंगा यह बात शायद मैं छोड़ दूं किन्तु जो हजारों लाखों रूपये हमारी सरकार की विज्ञापन नीति न होने के कारण व केवल ऐसे अखबारों को दिये जाते हैं जो केवल सरकार की प्रशंसा करते हैं, जो उनके गीत गाते हैं, उनको दिया जाता है। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि उनको विज्ञापन क्यों दिया

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जाता है चूंकि वे सरकार के गीत गाते हैं और जो सरकार की नीति का विरोध करते हैं उनको नहीं दिया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान में सैकड़ों अखबार इस प्रकार के होंगे जिनको चलते हुए वर्षों हो गये किन्तु उनको सरकारी विज्ञापन देकर नहीं दिया गया क्योंकि वे सरकार का विरोध करते हैं। सरकार केवल उन्हीं अखबारों को अपना विज्ञापन देती है जो उनके गीत गाते हैं। इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से विज्ञापन ले और सरकार उसका पेमेन्ट करे तो यह बात समझ में आ सकती है लेकिन जब विज्ञापन तो दिये जाते नहीं डिपार्टमेंट द्वारा उनके पास आते नहीं फिर भी किसी भी अखबार से लेकर विज्ञापन छाप देते हैं और डाइरेक्टर साहब के पास वे बिल आ जाते हैं और डाइरेक्टर साहब उनका पेमेन्ट कर देते हैं। एक एक अखबार के चालीस चालीस हज़ार के बिल पेमेन्ट हुए हैं और वह भी पब्लिसिटी डिपार्टमेंट ने दिये हैं उन विज्ञापन के लिये डिपार्टमेन्ट्स से कोई आदेश नहीं था दूसरे अखबारों से लेकर सरकारी एडवर्टाइज़मेन्ट को छाप दिया और डायरेक्टर महोदय के पास वे बिल पेश कर दिये और उन्होंने उनका पेमेन्ट कर दिया। माननीय उपाध्यक्ष, मैं माननीय मन्त्री महोदय की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि मार्च के महिने में १२ तारीख तक इतने थोड़े अर्से में सात हज़ार के बिल्स का पेमेन्ट किया है इस तरह से करीब डेढ लाख रूपये का पेमेन्ट इन एडवर्टाइज़मेन्ट के लिये हुआ है और इस डिपार्टमेन्ट के द्वारा किया गया है। ११ महिने तक जिनका पेमेन्ट नहीं हो सका जिनका कोई नामो निशान तक नहीं था, फाइल पूरी नहीं होती कमीशन का हिसाब किताब नहीं पूरा होता, लेकिन जब मार्च का महिना आता है, जब उसमें यह देखा जाता है कि यदि इन रूपयों को उठाया नहीं गया तो सरेन्डर हो जायेंगे तो होता क्या है। उस समय हिसाब किताब तय होता है और उसी का फल है डेढ लाख रूपये का पेमेन्ट इन बारह दिनों के अन्दर किया गया। ग्यारह महिने तक क्या मुसीबत आ गई थी, क्या उन दिनों में उनका पेमेन्ट नहीं हो सकता था? क्या ये सात हज़ार बिल्स उन दिनों में नहीं आ सकते थे? इसका कारण तो वे ही जानें लेकिन यह फैक्ट है, कि इन बारह दिनों के अन्दर डेढ लाख रूपये का पेमेन्ट हुआ है। इसके साथ बड़ी रोचक बात है। हमारी राजस्थान सरकार कई बार कहती है कि हमने अपने प्रशासन के खर्चे में कमी करने के लिये इकोनोमिक कमेटी बनाई थी। उस इकोनोमिक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि उस इकोनोमिक कमिटी की यह रिपोर्ट नहीं थी क्या, कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो पब्लिक रिलेशन आफिसर्स हैं उनकी पोस्ट्स को एबोलिश कर दिया जाय। उस कमेटी ने इस प्रकार की रिपोर्ट दी थी कि ये पोस्ट्स एबोलिश कर दी जाये लेकिन उसकी परवाह नहीं की गई। वह नहीं किया गया व क्या इसका कारण है? राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट में जो पब्लिक रिलेशन आफिसर्स हैं उनका आखिर क्या काम रहता है। आज हम देखते हैं कि वे पी० आर० ओ भिन्न भिन्न ज़िलों मे रखे हुए हैं जिनको पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया है और उन्हीं अफसरों को आपने रख दिया है।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इकोनोमिक कमेटी की सिफारिश के बावजूद और पब्लिक सर्विस कमीशन के रिजेक्ट करने पर भी इस विभाग ने उनको नोमीनेट कर रखा है क्योंकि वे आपके रिश्तेदार हैं आपके जी हजूरी करने वाले हैं ! अगर आप उनका नाम भी जानना चाहें तो मैं आपको बता सकता हूं उनमें से एक का नाम है श्री नवीनचन्द्र नागर, श्री रमणलाल आचार्य, श्री गुरुप्रसाद माथुर, श्री गणेश केवलिया, श्री सुन्दरमोहनस्वरूप भटनागर, ये वे अधिकारी हैं जिनको पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया है और जिनका अपॉइन्टमेंट १९५६ में हुआ है वे काम कर रहे हैं । इकोनोमिक कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने आयी । आश्चर्य इस बात का है कि वह होम डिपार्टमेन्ट के पास आई और उसमें यह कहा गया कि सारी पोस्टस् एबोलिश कर दी जाय। वह इकोनोमिक कमेटी की रिपोर्ट दाबा दी गई और इस प्रकार की रिपोर्ट आने के बाद भी एपॉइन्टमेन्ट होता है और होम डिपार्टमेन्ट से ये सारी पोस्टस् सैंक्शन करवा दी गई क्योंकि होम मिनिस्टर साहब उसमें थे। आखिर मैं यह समझता हूं इतनी हिम्मत डायरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन्स की कैसे हो सकती है । उनके बारे में मैं कोई गलत आक्षेप लगाना नहीं चाहता । अभी अभी कल की ही बात है हमारी केन्द्रीय सरकार ने कम्युनिटी प्रोजेक्टस के लिये कुछ रेडियो सेटस् दिये, जिनकी संख्या करीब ४०० के लगभग है, ये ४०० रेडियो सेट दिल्ली की एक फर्म से आये हैं जिसका नाम इलोक्टोनिक्स दिल्ली है । और वे चार सौ सेटस् राजस्थान में सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट द्वारा । उसके बिल का तभी पेमेन्ट होगा जब कि यहां के डायरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन्स यह सर्टिफाई कर देंगे कि वे सब अच्छी कन्डीशन में प्राप्त हुये, तभी जाकर उनका पेमेन्ट होगा । लेकिन होता क्या है, उपाध्यक्ष महोदय, वे कि रेडियो सेटस् वर्किंग आर्डर में हैं या नहीं इसको जानने की किसीने चिन्ता नहीं की । बिना यह देखे कि ये वर्किंग ऑर्डर में है या नहीं, यह लिख दिया गया कि सब वर्किंग ऑर्डर में हैं और सारे बिलस का पेमेन्ट हो जाता है । उपाध्यक्ष महोदय, इन ४०० सेटस् में से मैं यह मानता हूं कि कई वर्किंग ऑर्डर में भी हैं किन्तु कई सेटस् ऐसे हैं जिनकी अभी तक सील नहीं खोली गई उनको देखा तक नहीं गया और लिख दिया गया कि ये सब वर्किंग ऑर्डर में है । अगर माननीय मंत्री महोदय को विश्वास नहीं है तो वे सदन के खत्म होने से पहले मोटर लेकर चलें सारे पेपर्स और जो रेडियो सेटस् सील्ड पड़े हुए हैं उनको अधिकार में लें । टेक्निशीयन्स का कहना है कि ये सेटस् वर्किंग ऑर्डर में नहीं हैं काफी खराब हैं। सवा लाख को कीमत के हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चार सौ रेडियो सेटस् में अगर पन्द्रह पर्सेन्ट के हिसाब से भी कमीशन लगाते हैं तो २२ हजार रूपया सीधा सादा बैठ जायगा । आखिर बात क्या है जब कि कई रेडियो सेटस् सील बन्द पड़े हैं वर्किंग ऑर्डर में है नहीं, ऐसा टेक्निशियन्स का कहना है फिर भी आप के विभागीय संचालक वर्किंग ऑर्डर का सर्टिफिकेट भेजते है । अभी अभी वे डिस्पेच हो रहा है आप उसको रोक नहीं सकते । आपको रोकने का अधिकार है, किन्तु आप रोकना नहीं चाहते, आपका यह दृष्टिकोण नहीं है । आपको जब यह ध्यान में लाया गया कि आपके इस विभाग के संचालक कैश बुक में एन्ट्री तक नहीं करते

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

और पैसा बिना एन्ट्री किये ही ले लेते हैं तो हमारे गृह मंत्री महोदय फरमाते हैं कि इसमें कोई फर्क नहीं । इस जेब में नहीं रखकर उस जेब में रख दिये और उचन्त खाते में बता दिये । इसके लिये भी आप कह सकते हैं इस जेब में न रखकर उस जेब में रखे हैं इसमें होता क्या है आखिर उचन्त में तो है ही । एक व्यक्ति कोई अपराध करे कोई जुल्म करे या किसी प्रकार की अनियमितता करे उसको जब रखा जाता है तो हमारे मंत्री महोदय उसकी मखौल करते हैं और कहते हैं कि कोई परवाह की बात नहीं तुम किये जाओ हम तुम्हारे पास बैठे हैं । आखिर ऐसा है क्यों ! एक आदमी अनियमितता करता है जिस पर गंभीर से गंभीर आरोप हैं और उन सब बातों की ओर सदन में ध्यान दिलाया जाता है । मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता । जहां ट्यूब लाइट्स के आॅर्डर दिये जाते हैं और निकलती हैं उनकी बजाय साड़ियां । एग्ज़ीबिशन में लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया वह भी मैं रखना नहीं चाहता जर्नलिस्ट्स को एन्टरटेनमेन्ट के नाम पर, ड्रिंक्स पर रुपया खर्च किया जाता है, उसको भी आप जाने दीजिये । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इतना होते हुए भी आपका डाइरेक्टर साहब के साथ ऐसा ही रुख क्यों है....

श्री उपाध्यक्ष : आखिर आप क्या कर रहे हैं, सब तो रखे जा रहे हैं । Should I order all these expressions to be expunged. आप नहीं रखना चाहते हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो कहने का एक ढंग है । मैं निवेदन यह कर रहा था कि ये सारे गंभीर मसले होते हुए भी कई बार सोचता हूं कि आखिर डाइरेक्टर महोदय के खिलाफ इतने गंभीर आरोप होते हुए कैश बुक में हिसाब किताब नहीं रखते उस पर भी हमारे गृह मंत्री महोदय जवाब देते हैं कि इसमें कोई फर्क नहीं । इस जेब में रख दिये तो क्या फर्क हुआ जब कि उचन्त में बताया हुआ है । मैं केवल डेढ़ हज़ार रुपये के बारे में नहीं ३८ लाख रुपये का सवाल है, यह सब उचन्त में चल रहा है यह चाहे इस जेब में रहे या उस जेब में, सब ऊपर का ऊपर बिज़नेस चल रहा है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं पर्सनल किसी की बात में जाना नहीं चाहता, सदन के माननीय सदस्यों को यह सुनकर आश्चर्य होगा और गृह मंत्री महोदय को यह सुनकर बहुत आश्चर्य होगा मैं आज उन पर एक आरोप लगाने जा रहा हूं और उनसे इस बात की अपेक्षा करूंगा कि वे खुद आकर इस का जवाब दें । मैं चाहता तो यह था कि मैं इस प्रकार की बात कह कर उनको इसमें साझीदार नहीं बनाऊं लेकिन एक विशेष घटना जो उनसे संबन्धित है बताना चाहूंगा और माननीय गृह मंत्री महोदय उपस्थित होकर उसका स्पष्टीकरण करें, यह उनसे आशा करूंगा । मैं चाहता नहीं कि व्यक्तिगत बातें सदन के सामने रखूं । पर मज़बूर होता हूं कभी कभी रखने के लिये, जनता के इन्टरेस्ट में । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी इसे उचित बात नहीं कहेगा कि हमारे यहां पर, घर पर शादी हो, मेरे यहां पर विवाह हो, मेरी लड़की का विवाह हो और तस्वीर खींची जावे उसकी, मूवी कैमरे से फिल्म खींची जावे और उस फिल्म का पेमेन्ट डाइरेक्टर, पब्लिक रिलेशन्स करे । मैं आश्चर्य के साथ आपको जानकारी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

दूंगा कि माननीय गृह मन्त्री जी के घर पर उनकी सुपुत्री की शादी होती है, उस शादी की १७५ फीट की मूवी फिल्म खींची गई और उसके बिल के १७५०) रुपया दस रुपया फीट के हिसाब से टाक स्टूडियो को डाइरेक्टर, पब्लिक रिलेशन्स द्वारा दिया गया। (शेम शेम की आवाजें) माननीय मन्त्री महोदय कहें अगर यह बात गलत हो, तो कहें अगर डाइरेक्टर पब्लिक रिलेशन्स ने उसका पेमेन्ट नहीं किया हो, तो ! अगर वह पैसा आपने दिया हो, सरकारी खजाने से नहीं दिया गया हो तो, रसीद पेश करें सदन में। और अगर न हो तो सदन में कहें कि मेरे यहां पर शादी में मूवी फिल्म नहीं खींची गई। रसीद हो तो कहें कि रसीद मौजूद है। रसीद पेश करें। दिखावें उसको सदस्यों को। यों तो पेमेन्ट नहीं किया आपने, दो साल तक टाक फोटो स्टूडियो बैठा रहा, पर टाक बेवकूफ नहीं है, पेमेन्ट लिया उसने, आपको १७५०) रुपया छोड़ने वाला नहीं था उसने पेमेन्ट वसूल किया डाइरेक्टर, पब्लिक रिलेशन्स ऑफिसर से। आप कहें वह रसीद पेश करें तो वह रसीद पेश करेगा नहीं, इन्कम टैक्स में मर जावेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं जहां ऐसे गम्भीर मसले हैं वहां कहें उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री की तरह, उत्तर प्रदेश में मन्त्री पर आरोप लगाते हैं, मुख्य मन्त्री कहते हैं मैं इसकी जांच करूंगा, अगर है वैसी ही हिम्मत यहां हमारे मुख्य मन्त्री महोदय में तो, वे ऐलान करें इस सदन में कि वे भी इस मसले की जांच करेंगे। वे यहां उपस्थित नहीं हैं। मैं यातायात मन्त्री महोदय को उनके स्थान पर प्रतिष्ठित करते हुए उनसे मांग करता हूँ कि क्यों नहीं वे भी इसकी इस मामले में जांच करें। अगर खुद नहीं करना चाहते तो जूडिशियल ऑफिसरों से जूडिशियल एन्क्वायरी भी हो जावेगी। वे जांच करावें तो सही। वे एन्क्वायरी करें इस मसले की। मैं सारे तथ्य रख रहा हूँ। और भी जरुरत होगी वे सुबूत पेश करूंगा। आप उनको साबित करें जांच से कि गलत हैं या सही। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निश्चित दावे के साथ कह सकता हूं कि ये सारी बातें यातायात मन्त्री महोदय पर कुछ असर नहीं करने वाली हैं, जैसा कि हम रोज़ देखते हैं वे यही कहेंगे कि आप कहते जाइये, आखिर हम इतनी बड़ी हुकूमत चलाते हैं, राजस्थान का राज्य इतना बड़ा है, आप सदन में बातें करते हैं, पर हमको तो इतने लम्बे चौड़े राजस्थान पर राज्य करना पड़ता है, आपकी इन सारी बातों का हम पर क्या असर होने वाला है। मैं मानता हूं हुकूमत आपको करनी पड़ती है। आपको किसने कहा आप हुकूमत करो। अगर हुकूमत करना है तो ढंग से करें, नहीं तो छोड कर चले जावें। यह तरीका नहीं है हुकूमत करने का। यहां मामले उठाये जावें कि आपकी हुकूमत में जेब कतरे बैठे हुए हैं, हाई कोर्ट का जजमेंट हो गया पर वे सुनते नहीं, कहते हैं हम तो कोई कार्यवाही नहीं करते, अब तक ऐसे लोग जनता की गरदन पर लदे हुए हैं, बड़ा आश्चर्य होता है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये इनके हुकूमत करने के तरीके हैं। पानरवा....

श्री उपाध्यक्ष : Let us come to the question.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं रेफेरेन्स दे रहा हूं कि किस तरह से ये हुकूमत कर रहे हैं। किसी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

भी आदमी को उठाकर कहीं रख दिया, बी० डी० ओ० बना दिया। पूछा यह कैसे, क्यों किया, जवाब है, मर्जी हमारी, हुकूमत हम करते हैं, ये हुकूमत करने के आपके तौर तरीके नहीं हैं। क्लीयर कट आरोप लगाये जाते हैं, आप उनकी जांच करने को तैयार नहीं।

तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में इस तरह की बातें होती हैं। आप जांच मत करिये, अगर आप इससे घबराते हैं तो। मत करिये, हमें चिन्ता नहीं पर एक काम तो आप करिये। आहूजा कमेटी की रिपोर्ट तो सदन की मेज़ पर रख दीजिये। उसमें तो कुछ नहीं है। आपने आहूजा की इन्क्वायरी कमेटी बनाई। उस एन्क्वायरी कमेटी ने एन्क्वायरी की। पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में जितने घोटाले हैं उनके बारे में आहूजा कमेटी ने एन्क्वायरी की। रिपोर्ट सबमिट कर दी। गवर्नमेंट के सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी ने उस पर एडवर्स रिमार्क्स दिये हैं। उस को आप सदन की मेज पर रख दें। और मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह दावे के साथ कह सकता हूँ, कि मुख्य मन्त्री महोदय अगर प्रामाणिक हैं और वह रिपोर्ट यहां पेश करते हैं तो आज डाइरेक्टर पब्लिक रिलेशन्स का ऑफिस सेन्ट्रल जेल के सीखचों के पीछे होंगे, दफ्तर में नहीं होंगे। पर रिपोर्ट की रिकमन्डेशन्स को आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। आप उसको यहां सदन में नहीं पेश करेंगे, यह मैं जानता हूं। आप क्यों नहीं, करेंगे इसके कारण मैंने बताये हैं आप स्वयं इन कारनामों में फंसे हुए हैं। आप भी इनमें फंसते हैं। आखिर ये सारी बातें, ये सारे कारनामे हुकूमत चलाने के नहीं हैं। बहुमत के ज़ोर पर इन सारी बातों पर ग्रान्ट ले लीजिये, डिमान्ड ले लीजिये, यहां ले आइये, बहुमत के आधार पर स्वीकार हो जावेंगी।

सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने भारत सेवक समाज के बारे में सवाल खड़ा किया। बाहर से देखने वालों ने अपनी जानकारी के आधार पर कहा भीलवाड़ा में अभी उसका जो जलसा हुआ उसमें काफी अपव्यय हुआ, पर सरकार कहती है नहीं हुआ। भारत सेवक समाज एक नॉन पोलिटिकल पार्टी है, एक गैर राजनैतिक संस्था है। भारत सेवक समाज कैसा है और कैसा नहीं, मैं इस सारे मसले में आज नहीं जाना चाहता। अगर यह नॉन पोलिटिकल पार्टी होती तो आज से कुछ साल पहले मैं भी सदस्य उसका निर्वाचित हुआ था और मेरे कारण वह सुपरसीड होकर दूसरी बॉडी नहीं बनाई गई होती। भारत सेवक समाज अगर नॉन पोलिटिकल पार्टी होती तो भीलवाड़ा में लाखों रुपया इस तरह से खर्च नहीं किया जाता।

श्री उपाध्यक्ष : We were talking about the Publicity question.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह डिमांड में है।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो मर्जी आई जिसका समर्थन करेंगे, मर्ज़ी आई उसका विरोध करेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : देखिये, वही बात आई। आप के ये तौर तरीके हैं,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आप चाहते नहीं आपको कुछ कहा भी जाय। मेरा प्रस्ताव देखिये, उसमें ये दोनों बातें हैं, भारत सेवक समाज की ग्रान्ट भी है। मैं विदिन जूरिस्डिक्शन बोल रहा हूं। विदिन जूरिस्डिक्शन नहीं, बोल रहा हूं तो बता दीजिये। जो बातें बता रहा हूं उनको गलत साबित कर दें। जितने आरोप लगाये जा रहे हैं उनको गलत साबित करा दें। आप क्या बातें करते हैं, अगर इन आरोपों के लिये आपको इन्वेस्टिगेट किया जावे तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये लोग कहीं नहीं दिखाई देंगे। आप करते क्या हैं बातें। हिम्मत हो तो इन आरोपों की जांच कराके देख लें।

श्री उपाध्यक्ष : Let us not be personal. Hon'ble Member I will request you not to be too personal in these matters.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, चाहता तो मैं भी यही था। लेकिन कभी कभी कुछ मजबूरियां ऐसी आ जाती हैं कि सही बातें कहे बिना रहा नहीं जाता। मैं नहीं चाहता था कि मैं यहां व्यक्तिगत मामले रखूं। पर कहे बिना रह नहीं सकता जब इनके ये तौर तरीके बढ़ते ही जाते देखता हूं। यह वह भारत सेवक समाज है जिसका जनरल सेक्रेटरी सबको धोखा देकर, सरकार को धोखा देकर युनिवर्सिटी को धोखा देकर पी० एच० डी० की झूठी डिग्री लेता है। वह युनिवर्सिटी को चीट कर सकता है, सरकार को चीट कर सकता हैं, वह भारत सेवक समाज का कल्याण कर सकेगा, आप यह समझते हैं? यही है आपका भारत सेवक समाज। यह जनता का कल्याण करेगा? जनता की कल्याण की योजनाएं ऐसे जनरल सेक्रेटरी के मार्फत आप क्रियान्वित करना चाहते हैं? ये हैं करेक्टर आपके जनरल सेक्रेटरी के और भारत सेवक समाज के जनरल सेक्रेटरी के। आप इन सबको बर्दाश्त करते हैं। अब क्यों करते हैं, यह आप ही जानें। हम भी जानते हैं, दुनियां जानती है। आप कोई एक्शन नहीं लेते, ले नहीं सकते। आपको भी वे जानता है। आपमें अगर हिम्मत थी तो उसे फौरन उस जगह से हटा देना चाहिये था। ऐसे चीटिंग करने वाले आदमी को आपको जेल के सींखचों के अन्दर डालना चाहिये था। पर आप हटा नहीं सकते उसको, आप उस को जेल के सींखचों के पीछे फेंक नहीं सकते। क्यों नहीं? भारत सेवक समाज वह कल्पवृक्ष है जिसके नीचे बैठकर बेनामी ट्रान्जेक्शन्स होते हैं। चोर चोर के मोसेरे भाई हैं। आप क्या एक्शन लेंगे किसी के खिलाफ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): चोर चोर मोसेरे भाई, मैं समझता हूं इन शब्दों को उनको वापिस लेना चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं भारत सेवक समाज की बात कहता हूं। वे कैसे एक्शन ले सकते हैं चोट करने वाले आदमी के साथ। वे खुद भी ऐसे ही काम करते हैं, फिर कैसे एक्शन ले सकते हैं। वे सब एक है। आप और वे भी एक हैं। आप भी उनमें से ही हैं। उनके खिलाफ निर्णय दिया हुआ है, अगर आप भी चाहें तो ज़ोर लगाएं उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिये।

(हंसी)

श्री पुरुषोत्तमदास शर्मा : चोर चोर मोसेरे भाई अनपार्लियामेन्टरी है। इन्हें वापिस लिया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please.

बोलने दिया जाये उन्हें। सदन के सदस्य इन्टरप्ट न करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सदन के सदस्य का सम्बन्ध उससे नहीं था।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : जो समझे उनका है, बाकी का नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : I hope you are concluding the debate.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I may be made to conclude, Sir, otherwise I don't want to conclude.

श्री उपाध्यक्ष : You will not take more than five minutes now.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Not more than tenminutes, Sir.

तो मैं निवेदन कर रहा था भारत सेवक समाज के मामले में, मैं पूछना चाहूंगा ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर साहब से, भीलवाड़ा में सर्किट हाउस बनाया। ६० हज़ार रुपये खर्च किये। क्यों किये ? भारत सेवक समाज के अधिवेशन के अवसर पर। क्या जरूरत थी। सरकिट हाउस बनाया और ६० हज़ार खर्च किये, इसलिये कि वहां पंडित जवाहरलाल नेहरू आने वाले हैं। अधिवेशन हो रहा है, भारत सेवक समाज का जलसा होने जा रहा है, आप वह सर्किट हाउस बनाते हैं पी० डब्लू० डी० के खर्चे से। टाई रोड़ की पक्की सड़कें बनाते हैं, बिजली लगाते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं लाखों का खर्चा करके सरकार का। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने लेबर कॉलोनी में उनको ठहराया। सब कुछ किया, ठीक किया। पर मैं सरकार का ध्यान भीलवाड़ा के नज़दीक होने वाली दुर्घटना की ओर ले जाना चाहता हूं। और सदन का ध्यान भी उस ओर ले जाना चाहता हूं। और विशेष तौर से इसलिये कि आपको ध्यान होगा, कृपया आप ध्यान से सुनिये, बातें मत करिये, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि भीलवाड़ा से एक डेढ़ मील की दूरी पर उस मेले में आने वाले यात्रियों की बस उलट जाती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह बस उलटी। कह सकते हैं, उलटी तो हम क्या करें ? उलट गई। उलटती ही रहती हैं बसें तो। यात्री लोग मरते रहते हैं, कीड़े मकोड़े हैं, आखिर क्या है मरते हैं तो, जन संख्या बढ़ गई है। किस किस की फिकर करें। जो अभियान शुरू किया है हमने वह भी क्या कम है, उसे भी तो आप देखें। मैं दाद दूँगा आपको इसके लिये। यह मैं मान सकता हूं। डेढ़ मील की दूरी पर इस तरह से एक बस उलट जाती है, उसमें आग लग गई और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह जब बस उलट गई और आग लग गई तो दोपहर के डेढ़ बजे से लगती रही, उसमें, जितने यात्री थे, जल कर मर गये। जो लोग स्पोट पर गये, माननीय यातायात मन्त्री महोदय तो गये या नहीं गये, मैं नहीं कह सकता····

श्री उपाध्यक्ष : That is not a correct version.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बता रहा

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हूं, अभी आपको करेक्ट संख्या बताता हूं। अभी तो मेरा सेन्टेन्स कम्पलीट नहीं हुआ।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि भीलवाड़ा से १॥ मील की दूरी पर मेले से आने वाले यात्रियों की बस उलट गई, पैट्रोल फैलने के कारण आग लग गई उसके कारण यात्री मर गए, जल गए और माननीय उपाध्यक्ष महोदय वह भयंकर स्थिति वहां पर थी कि सिर जल रहे हैं तो पैर छटपटा रहे हैं। जल रहे थे लोग और उस समय भीलवाड़ा में होने वाले अधिवेशन में, वहां पर जयपुर से आने वाले पत्रकार बन्धु ने कलेक्टर से कहा कि यहां से १॥ मील की दूरी पर लोग जल रहे हैं, बस में आग लग गई है, एक्सीडेन्ट हो गया तो वह अधिकारी उनसे कहने लगे कि मैं वहां पर जाऊं या यहां रहूँ। उपाध्यक्ष महोदय, अनुमान लगाइये कि जिनके हाथ में जीवन की सुरक्षा है, जिसके पास में मेन्टीनेन्स ऑफ ऑर्डर एण्ड लॉ है और जिस आदमी को स्पाट पर पहुंचना चाहिए था, वह 'कलेक्टर' कहता है कि मैं यहां रहूं या वहां जाऊं। उनको जाना तो चाहिए था स्पाट पर लेकिन गए नहीं। आखिर भारत सेवक समाज का अधिवेशन हो रहा था। हिन्दुस्तान की चहुंमुखी प्रगति के लिए एक और निर्माण किया हुआ है भारत सेवक समाज और भारत सेवक समाज की प्रगति उसके सम्मेलन और उसके अधिवेशन पर है। एक तरफ हज़ारों लोगों की जान और दूसरी तरफ आपका कलेक्टर जिसको वहां पहुंचना चाहिए था, आपकी पुलिस फोर्स को वहां पहुंचना चाहिए था, वह भीलवाड़ा से केवल १॥ मील की दूरी पर लोगों की जान नहीं बचा सके। अगर आप जान बचा नहीं सकते हैं तो उनके शरीर तो प्राप्त कर सकते थे। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, लोग शाम तक जलते रहे, आग धधकती रही और वे मरते रहे और शाम को उनको हटाकर उनकी हड्डियों को ६ बोरियों में भरकर आईं। आखिर मैं समझता हूं कि गांधीजी के मरने के बाद गांधी जी की समाधि पर पुष्प मालायें चढ़ाने के लिए लोग विदेशों से आते हैं और आज उनके मरने के इतने दिनों बाद भी चढ़ाते हैं आखिर वे लोग भी तो आपके सम्मेलन में भाग लेने के लिए आ रहे थे। आपको बर्दाश्त नहीं हुआ। शाम को पंडित नेहरू जी उस सड़क से जाने वाले थे और अगर ऐसी ही आपके मनमें ईमानदारी थी तो उस बस को पड़ी रहने देते...

श्री उपाध्यक्ष : Hon. member please, let us speak to the question now.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप उनको बताते कि यह दुर्घटना हो गई। आप अपने सांस्कृतिक समारोह को स्थगित करते और पंडितजी को इसका समाचार देते तो मेरे ख्याल से जवाहरलाल जी भी नतमस्तक होते। लेकिन शाम के पहले पहले मामला साफ कर दिया, कोई निशान बाकी नहीं रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। आखिर यह सारा कुछ आपके यहां पर हुआ। मैं समझता हूं कि खर्च के बारे में अन्त में मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि मैं यहां पर प्रश्नोत्तर के काल में अगर आप बतायेंगे और सूचना सही देंगे तो जयपुर में कोई भी हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट मौजूद नहीं था। एन० पी० कलेक्टर और दूसरे अधिकारियों के टी० ए० और डी० ए० का हिसाब आयेगा कि उन्होंने कितनों ने

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कितना कितना दौरा किया था तो आपको मालूम हो जायेगा कि कितना खर्चा हुआ। आप कहते हैं कि यह आरोप गलत है। भारत सेवक समाज के साथ ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनी खोल रखी है। यह जो कारबार चल रहे हैं यह पब्लिक मनी का और पब्लिक एक्सचैकर का दुरुपयोग है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन शब्दों के साथ दोनों जो कटौती के प्रस्ताव मैंने इस सम्बन्ध में रखे हैं उनका हृदय से समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अनोपसिंह।

श्री अनोपसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, पंचायत के बारे में जो कटौती के प्रस्ताव यहां के जो मेरे साथियों ने रखे हैं उनका मैं समर्थन करता हूं। और सदन का इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारी पंचायतों में हमें एक आमूलचूल परिवर्तन करने की सख्त ज़रूरत है। हम यह देखते हैं कि हमारी जो डेमोक्रेसी है इसकी शुरुआत में अगर कोई चीज़ इसको सफल बना सकती है तो यह पंचायत ही बना सकती है और इस डेमोक्रेसी को कोई चीज़ फेल करवा सकती है तो वह पंचायतें ही करवा सकती हैं। माननीय उपाध्यक्ष, मुझे बड़े दुख के साथ अर्ज़ करना पड़ेगा कि जो पंचायतों का मकसद था वह यह था कि डेमोक्रेसी को ग्रामस्तर पर लाया जाये। मेरे ख्याल से पंचायत का यही मकसद था कि हम प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को ग्रामस्तर पर किस तरह से ला सकते हैं। यह हम कैसे फील करा सकते हैं कि हम आज़ाद हैं और हमारी जो प्रणाली है वह प्रजातांत्रिक है। यह फील कराने के लिए हमारा जो पंचायत सिस्टम था उस सिस्टम के द्वारा हम चाहते थे कि हमारा जो प्रजातंत्र विकसित हो, हमारा जो डेमोक्रेसी का तरीका है वह विकसित हो, यही हमारी पंचायतों का मकसद था। इसी मकसद से पंचायतों को बनाया था। मैं मान सकता हूं कि जिस ज़रिये से यह पंचायतें रखी गई थीं और जिस कारण से इन पंचायतों का गठन हुआ था वह शायद नेक होंगे। मगर जब हम इतने दिनों बाद पंचायत प्रणाली की हालत देख रहे हैं तो उससे यह मालूम होता है कि हम उस मकसद को पूरा नहीं कर पाये हैं और ऐसा हो गया है कि शायद जिस चीज़ को हम पनपाना चाहते थे, जिसको हम एक श्रद्धा और प्रेम की दृष्टि से देखना चाहते थे, शायद उसी सिस्टम को लोग घृणा की दृष्टि से देखने लग गए हैं। यह हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम जो कि हमारी पंचायत स्तर और ग्रामस्तर तक पहुंचना चाहिए था वह फेल होता जा रहा है। आपको अच्छी तरह जानकारी है कि हमारी ग्राम पंचायतों का प्रशासन बजाय इसके कि हमारे गांव वालों के ही हाथ में हो वहां पर एक ऐसी भावना, प्रेम और न्याय का ऐसा सस्ता तरीका निकालेंगे कि जिससे हम अपने गांव की उन्नति और विकास कर सकें। मेरे खयाल से आपसे किसी से छिपा नहीं है कि पंचायतों के द्वारा और इसकी वजह से जो लड़ाई ईर्षा द्वेष गुटबन्दी जो कुछ भी हो रही है। वह हमसे छिपी नहीं है और मैं समझता हूं कि हमारे लिए बड़े दुख की बात है कि हमारे जो गांवों में रहने वाले भले आदमी हैं और समझदार आदमी हैं वे इसमें पड़ना तक नहीं चाहते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वहां पर चोर, लुच्चे लफंगे और गुंडे हैं वह इसके अंदर ज्यादा पार्ट लेते हैं

Page No.94

(श्री अनोपसिंह)

और उन गुंडों के लिए यह समझिये कि हमारी सरकार बढ़ावा देती है और जिस चीज़ को हम एचीव करना चाहते थे उसके बजाय हम उससे दूर हटते जा रहे हैं। इसको मुझे कहते हुए शर्म की बात या शंका नहीं होती, कि जिस चीज़ को हम एचीव करना चाहते थे। उससे हम उतने ही दूर जा रहे हैं और वह सिर्फ इसलिए कि हमारे जो वेज़ एण्ड मीन्स हैं वे हमारे एण्ड से बहुत दूर है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज़ करूंगा कि इन गुटबन्दियों के कारण और इन लड़ाई झगड़ों के कारण जो हमारे गांवों का वातावरण संगठित था और जो पहले प्रेम भाव था और जो सरलता थी उसके बजाय पंचायतों ने सरलता को हटाकर लड़ाई और गुटबन्दी पैदा करके हमारी डेमोक्रेसी को करीब करीब उस स्तर तक खत्म कर दें। लोगों का विश्वास चला गया है कि हम डेमोक्रेसी ला सकते हैं। आप कहते हैं कि यह धीरे धीरे हो जायेगा यह तो इसका बिगनिंग ही है, इसकी इब्तदा ही है पर मैं कहता हूं कि इब्तदा में ही जब झगड़े होंगे और जब हमारी नींव ही गलत पड़ गई तो मैं समझता हूं कि आपकी इमारत किसी दिन अच्छी खड़ी होकर आपको फायदा नहीं दे सकती। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि एक चीज़ हम बचाते हैं, अगर उसको ठीक उसूलों पर, ठीक ढंग से अच्छी नींव देकर बनाते हैं, और उसके बाद में उस चीज़को उस तरह से सुपरवाइज़ करते हैं, उसी तरह मेन्टेन रहे तो मैं मानता हूं कि जो बिगड़ा हुआ है आज कल ठीक हो सकता है ; जिस चीज़ की नींव खराब है, इब्तदा खराब है, उस इब्तदा को जस्टीफाई करते जा रहे हैं। हमारी बहुत बड़ी गलती है कि हमारी जो हैं उस गलती को मन्जूर करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं मानता हूं कि अभी मंत्री महोदय हमे जवाब देंगें कि हमारी पंचायतें सक्सेसफुल रही है, हमारी पंचायतों ने प्रगति की है, हमारा पंचायत का सिस्टम बहुत अच्छा है। मैं इसके संबंध में तथ्य अर्ज़ कर देता हूं, मेहता कमेटी की रिपोर्ट से साफ़ ज़ाहिर कर देता हूं कि पंचायतें १० पर्सेन्ट ठीक चल रही हैं अन्यथा दूसरी सब खराब हैं। मैं मेहता कमेटी की रिपोर्ट को आधार मानकर उनके सुझावों को ठीक मानते हूं। मैं अर्ज़ करूंगा कि यह बात आपको माननी पड़ेगी कि १० पर्सेन्ट पंचायतें, शायद इसका पर्सेन्टेज़ कम होगा तो शक करने की बात नहीं है।...

श्री नाथूराम मिर्धा : मेहता कमेटी ने कहा, पर्सेन्टेज़ लिखी है । अगर रिपोर्ट में लिखी है तो उसके पेज का हवाला दें तो मुझे देखने में सहूलियत हो जाय। मेरा खयाल है कि आपने जो कहा हैं कि १० पर्सेन्ट अच्छा कर रही है उससे वह बिल्कुल विपरीत है।

श्री अनोपसिंह : हो सकता है कि ६० पर्सेन्ट खराब हो और १० पर्सेन्ट के आंकड़े आप देखलें मेहता कमेटी की रिपोर्ट में।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह आंकड़े कहां दिये हैं यह तो बता दें आप।

श्री अनोपसिंह : मुझे दुःख है कि वह रिपोर्ट में आज ऐकोर्ड नहीं कर सकता हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : पेज आपने पढ़ा है बता दें।

श्री अनोपसिंह : आप अगर १० पर्सेन्ट को ठीक नहीं मानते हैं तो हो सकता है कि १० पर्सेन्ट ठीक नहीं हो ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मेहता कमेटी के आंकड़ों को आप बेसिस बना रहे हैं। वैसे आपकी मर्जी हो १० मानें या २० मानें ।

श्री अनोपसिंह : उसमें फिगर्स दिये हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं उसमें नहीं दिये गये हैं ।

श्री अनोपसिंह : खैर मैं आपको वह बता दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : आज नहीं बता सकते हैं तो कल चेम्बर में बता दें ।

श्री अनोपसिंह : चेम्बर वाली बात कहां सुनी जाती है ।

मुझे दुःख वाकई में इसी बात का है । यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि मंत्री महोदय को इस बात का बड़ा अफसोस हुआ है कि १० पर्सेन्ट ठीक नहीं बताया या ठीक बताया, उसको जस्टीफाई क्यों करना चाहते हैं जो कि चीज़ गलत है । दुनियां भर में चर्चा है कि यह प्रणाली गलत है, इब्तदा में खराबियां हो गई हैं । उसको मैं मनता हूं कि थोड़ी देर बाद उसको मंत्री महोदय डिफेन्ड करने के लिए खड़े होंगे । उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यही कहना था कि जिस चीज़ को दुनियां कहती है कि गलत है जिससे अन्दर झगड़े, फूट और गुट्टबन्दी पैदा हुई है, राजस्थान ही नहीं सारे हिन्दुस्तान के भले भले आदमियों की यह रिपोर्ट है कि पंचायत सिस्टम फैल हो गया है और आप उसको जस्टीफाई करेंगे....

श्री उपाध्यक्ष : He was perfectly justified to base his observations on the percentage that you had referred. Whether it is a correct percentage or not, this is a separate question.

श्री अनोपसिंह : मैं मानता हूँ कि शायद पर्सेन्टेज़ एक या दो ऊपर या नीचे गलत अर्ज करूंगा तो मैं माफी अर्ज कर दूंगा । पर मैं यह अर्ज़ करूंगा कि ८ पर्सेन्ट हो या १० पर्सेन्ट की जगह १२ पर्सेन्ट हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है । मैं अर्ज़ करूंगा कि आप मौजूदा सिस्टम को जस्टीफाई करने का जो तरीका हैं वह बड़ा गलत है । इसलिए मैं साफ अर्ज कर देते हुए कहूँगा कि ३० लाख के करीब जो बजट के लिए दे रहे हैं वह फिजूल दे रहे हैं। वह प्रजातन्त्र को इस डेमोक्रेसी को इन्टेन्सीफाइड करने के लिए है । आप उस बच्चे को मार देना चाहते हैं जो कि कल ही पनपा है, कल ही जन्मा है । वह अभी पनप नहीं पाया है । वह अभी इन्फेन्ट है । इसका इन्फेन्टीसाइड होगा डेमोक्रेसी का आपके हाथों से । मैं अर्ज़ करूंगा कि प्रजातन्त्रवाद का गला नहीं घोटें जो कि अभी पूरा पनपा तक नहीं है, जन्मा तक नहीं है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि इन खराबियों के कारण पंचायत सिस्टम में जो कुछ भी गड़बड़ी है, अगर उसको मंत्री महोदय निष्पक्ष भाव से होकर अपनी गुट्टबाज़ी से नहीं सोच कर, अपनी पार्टी का कि फलां पार्टी का नहीं, सोच कर करने लगें उस पर मैं समझता हूं कि किसी दिन वह खराबी नहीं होगी । सैद्धान्तिक रूप से वह चीज़ अच्छी

Page No.96

(श्री अनोपसिंह)

है, लेकिन जहां पर पार्टी का सवाल आता है पार्टी के नाम से टिकट दिये जाते हैं। दो पार्टियां लड़ जाती है। जो पार्टी गलत है उसको जस्टीफाई किया जाता है। जो पड़ गई है उसको ऊपर ले जाते हैं। तो हमारी पंचायतें पार्टीबाज़ी और गुट्टबन्दी के लिहाज़ से केवल पोलिटिक्स बनकर रह जाती हैं जिसको कि हमारे गांव वाले समझते तक नहीं थे, वे अब उसमें माहिर होते जा रहे हैं आपस में लड़ने में। वे नहीं जानते हैं कि डेमोक्रेसी क्या चीज़ है, किसी को मालूम नहीं है कि प्रजातन्त्रवाद के क्या उसूल हैं, जनतन्त्र किस के ऊपर डिपेन्डेन्ट है, किस के ऊपर आधारित हैं, जनतन्त्र के नाम की कोई स्प्रिट ही वह कोई बात नहीं है। उनमें शक्ति आ जाती है, और उस शक्ति के लोभ से पार्टीबाज़ी, आपस के झगड़े और सब कुछ होता है। उसकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी हमारी राजस्थान सरकार की है। यहां तक कि तथ्य सामने लाये जाते हैं तो मानते नहीं है। जब ऑफिसरों से कहा जाता है कि यह आदमी गलत है इसको हटा दिया जाय तो हटा नहीं सकते। उनसे यह कहा जाता है कि फलां सरपंच गांव में रहता नहीं है तो खड़ा कैसे हो जाता है। उसकी एन्क्वायरी होती है और एन्क्वायरी में यह साबित हो जाता है कि वह उस गांव का रहने वाले नहीं है, लेकिन वह हटाया नहीं जा सकता है क्यों कि वह मंत्री महोदय का फेवरेट आदमी है या अपनी वक्त रखता है जो वोट के वक्त में काम आती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़े शर्म की बात है। मैं नहीं कहूँगा कि इस बात के पेम्पलेट भी निकले हैं। वह अगर आप कहेंगे तो बताऊंगा...

श्री उपाध्यक्ष : But I will not allow the production of it.

श्री अनोपसिंह : I don't mind, Sir.

तो, मैं अर्ज़ करूंगा कि ऐसे बहुत से केसेज़ हैं जिनमें फैसले हो चुके हैं कि फलां पंच को हटाया जाय, क्यों कि वह कायदे से पंच नहीं हो सकता है, लेकिन वह हटाया नहीं जा सकता है। तीन वर्ष हो जाते हैं, उनकी मियाद हो जाती है। उसके बाद में फिर से नये इलेक्शन में फिर वापिस उन्हें खड़े होने का मौका दिया जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन सब बातों को देखते हुए मैं अर्ज़ करूंगा कि बजट जिसके ऊपर थोड़ी देर के बाद में हम वोट देंगे, वह बिल्कुल गलत है।

अब यह बड़ी मुश्किल की बात है कि मेहता कमेटी ने सिफारिश की है पंचायतें जुडिशियल पंचायतें, जिला परिषद् वगैरह बनाना चाहिए। भगवान जाने वह किस दिन पूरी होगी और किस दिन बन सकेगी, क्योंकि जब तक हम हमारे केस वर्क को हमारे दूसरे वर्क से अलग नहीं करेंगे। अगर पंचायतों के हाथ में केस वर्क रह जायगा, जुडिशियल वर्क रह जायगा, जुडिशियल वर्क के जो पॉवर्स उनको दिये गये हैं वे बढ़ा दिये जायेंगे तो मैं समझता हूँ कि जिस बच्चे के पेट में पाव भर दूध नहीं पचाया जा सकता है उसको सेर भर हलवा आप खिला दें तो वह अपच से मर जायगा। और अगर उनको और ज्यादा शक्ति दें तो केस वर्क के लिए अलग पंचायतें बनाई जांय जैसा कि जुडीशियल पंचायतों के लिए मेहता कमेटी ने कहा है तो केस वर्क लिए अलग पंचायतें रखें और डवेलपमेंट वर्क के लिए बिल्कुल

(श्री अनोपसिंह)

अलग रखें तो मैं मान सकता हूँ कि जुडीशियल पंचायतें और पंचायतों का जो सिस्टम है पंचायत समितियां ठीक हो सकेंगी, अन्यथा मैं समझता हूँ कि अभी तक जो पॉवर्स पंचायतों को दिये गये हैं केस वर्क के तो वे किसी तरह से सफल नहीं हो सकेंगी। हमारी पंचायतों का ढंग किसी तरह से ठिकाने नहीं आ सकता।

अब जो कुछ भी हमारे चुनावों का तरीका है वह अभी नया बदला गया है। उसकी भी बात यह है कि बहुत समय नहीं है। पंचायतों में बैलट सिस्टम के रूल बनाये हैं उनके बारे में अर्ज़ करूंगा। उनमें बहुत सी खामियां हैं सिर्फ उनके ऊपर संकेत करते हुए मैं इस प्वाइन्ट को छोड़ दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : But we could have an opportunity to have a consultation with the Ministers concerned if there are any changes desired in the rules, rather than discussing them in the House.

श्री अनोपसिंह : अगर सारी बातें चेम्बर में हो सकती है तो यहां बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। कई बातें ऐसी हैं जो कि चेम्बर में नहीं होती हैं उनकी जानकारी सारे सदन को....

श्री उपाध्यक्ष : कई बातें ऐसी होती हैं जो आपस की बात चीत से तय हो सकती हैं, as about the rules, rather than talking on the floor of the House.

श्री अनोपसिंह : I am not insisting on it.

इसके सिवाय हमारी पंचायतों का जो विधान है उसके अन्दर भी मैं फिर संकेत करके छोड़ दूंगा। वक्त को देखते हुए जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉवर्स हैं, उनकी अपील कहां होगी? क्या होगा? यह साफ नहीं है और उसके बाद जुडिशियल पॉवर का मामला है। उनकी अपील और उनकी रिव्यू कहां होगी, यह भी साफ नहीं है।

यह साफ नहीं है कि पंचायत ऑफिसर को कितने पॉवर्स हैं कितने नहीं हैं। कौनसा केस वे सुन सकते हैं कौन सा नहीं सुन सकते। पंचायत विभाग के डाइरेक्टर के मुंह से, अभी तो डाइरेक्टर हैं लेकिन पहले चीफ पंचायत ऑफिसर थे उनके मुंह से मैं सुन चुका हूँ कि इसकी अपील या रिव्यू कहां होगी इसका पता नहीं है। ऐसी कई बातें हैं। जो हमें आमूल चूल परिवर्तन करने के लिये बाध्य कर देती हैं। मैं और कुछ केसेज़ आपके सामने पेश करूंगा तो यह होगा कि यह व्यक्तिगत बातें करता है, सिद्धान्त की बात को छोड़ कर, इसलिये मैं उन बातों को नहीं छेड़ना चाहता हूँ। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि हमारे पंचायत सिस्टम में आमूल चूल परिवर्तन करना आवश्यक है, इसको महसूस करके आगे का बजट पास करें।

४.१. म० प०

श्री रामचन्द्र (डग सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ५७. विविध की तहत इस सदन में माननीय सदस्यों ने अपने कई कटौती प्रस्ताव रखे और उन पर अपने विचार भी प्रकट किये और बहुत महानुभावों में बहुत ही गहरी स्पीचेज़ देकर सदन पर यह प्रभाव डालने की कोशिश की कि मानों जो कुछ इस वक्त भिन्न भिन्न

(श्री रामचन्द्र)

रूप में समाज के उत्थान के लिये और हमारे राज्य के विकास के लिये जो प्रगति की जा रही है वह जनता के लिये नहीं है बल्कि व्यक्ति विशेष के लिये की जा रही है। इस विषय पर तो मुझे बोलना नहीं है। मैं तो, केवल आज जो कटौती प्रस्ताव रखे गये हैं उनमें से केवल पंचायतों के निर्माण और उनकी आर्थिक व्यवस्था और दूसरा लो इन्कम ग्रूप हाउसिंग स्कीम की तहत जो सरकार धन खर्च कर रही है उससे जनता को कितना फायदा हो रहा है, उसके बारे में और तीसरा पब्लिसिटी की जो वर्तमान व्यवस्था है उस बारे में विचार रखकर उससे संबंधित कटौती प्रस्ताव का समर्थन करना है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंचायतें जो हैं वे हमारे जनतंत्र की आधार शिला हैं। जैसे कोई मकान बनाया जाना है तो उसकी बुनियाद बड़ी मजबूत बनाई जाती है ताकि उस पर जो मंजिल खड़ी की जाय वह बिल्कुल मज़बूत और अटूट रहे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारी बुनियाद इतनी मज़बूत नहीं बन रही है। यद्यपि हमारा लक्ष्य ऐसा ही है तो भी इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो बुनियाद रखी जा रही है और उसका हाल सरकार के सामने जिस तरह से जा रहा है उसमें सुधार करने के लिये बहुत कम वज़ह दी जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि प्रजातंत्र के नाते सरकार की ओर से भारत के संविधान की तहत यह घोषणा की गई है कि अब छोटे बड़े या मनुष्य मनुष्य में भेद किसी धर्म और जाति के लिहाज़ से नहीं रखा जायगा और उस घोषणा की तहत पंचायत के निर्माण में यह कह दिया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक हरिजन सदस्य मनोनीत किया जायगा लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार की घोषणा को कितना और किया जा रहा है। वैसे कहने के लिये कहा जाता है कि प्रत्येक में एक एक हरिजन सदस्य है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय को विश्वास दिलाता हूं कि यहां हरिजन सदस्य केवल नाम का है, कागज़ में उसका नाम लिख लिया जाता है, वास्तव में हरिजन सदस्य की कोई पंचायत में वकत नहीं है। यदि आपको विश्वास न हो तो आप अपने किसी विश्वास प्राप्त कर्मचारी को मेरे जिले के अन्दर भेज सकते हैं। जो पंचायतों में हरिजन सदस्यों की पोज़िशन बनी हुई है वह देख लीजिये। कहने के लिये जरूर है कि हरएक पंचायत में हरिजन सदस्य हैं बल्कि मैं तो यहां तक कहूँगा कि इन पंचायतों के मुखिया ने यहां तक अवहेलना इस घोषणा की है कि अब तक यद्यपि पंचायत बने दो वर्ष हो गये लेकिन पंचायतों का निर्माण होने के बाद अब तक हरिजन सदस्य लिये नहीं हैं। यदि आप सबूत पूछते हैं तो धरानिया गांव में ग्राम पंचायत का निर्माण हुए दो वर्ष हो गये लेकिन हरिजन सदस्य की नियुक्ति नहीं हुई .....

श्री तेजपाल (वैर) : भरतपुर में भी कई जगह खाली पड़ी हैं।

श्री रामचन्द्र : उसके लिये मेरे पास यह भी सूचना है, कुछ दिन पहले की, कि धरानिया पंचायत के कर्ता कर्ता एक सवर्ण हैं उन्होंने अब तक हरिजन को स्थान नहीं दिया है। तो मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार ने जो

(श्री रामचन्द्र)

घोषणा की है उसका पूरी तरह से पालन हो। मेरे सामने धरौनिया पंचायत में हरिजन को लेने न लेने का प्रश्न नहीं है लेकिन सरकार की नीति और घोषणा का प्रश्न है जिसको ऑनर करना इस राज्य के मंत्रियों का परम कर्तव्य है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि पंचायतों में जो हरिजन मनोनीत किये जांय उनको इस प्रकार के सभी अधिकार दिये जांय जैसे दूसरों को दिये जाते हैं। आप जाकर देखेंगे तो मालूम होगा कि इन हरिजन सदस्यों से वहां पर चपरासी के रूप में काम लिया जाता है। जब पंचायत लगने वाली होती है तब वहां पर झाडू लगाने का काम उस सदस्य का होता है, फर्श बिछाने का उसका काम होगा और घर घर फिर कर मेम्बरों को बुलाना उसका काम होगा। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं कैसे मान लूं कि यहां समान अधिकार दिये होंगे। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस जनतंत्र के युग में यदि आपने समान अधिकार हरिजन सदस्यों के नहीं रखें तो बेहतर यह है कि हरिजन सदस्यों को रखने की आप घोषणा न करें और जैसा ढांचा चलता आया है वैसा ही चलता रहे। इस सिलसिले में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वास्तव में इन पंचायतों के बनने से हरिजनों को जितना कष्ट हुआ है उतना किसी दूसरी जाति को नहीं हुआ है। आप मेरी बात को झूठा समझेंगे लेकिन आप उसकी जांच करवाइये आपको पता चलेगा कि हरिजनों को जितना नुक्सान हुआ है सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और रूप में उतना शायद ही किसी को हुआ हो। इन पंचायतों में जो हरिजन सफाई के लिये रखे जाते हैं उनसे ७.८ घन्टे काम लिया जाता है और केवल १० रु. माहवार तनख्वाह दी जाती है। मैं यहां तक कहने में संकोच नहीं करूंगा कि ग्राम पंचायत डग में हरिजनों को पैसा नहीं दिया गया है और वे पैसा मांगते हैं और यह कहते हैं कि तुम पैसा नहीं दोगे तो काम नहीं करेंगे तब उनको पुलिस का डर दिखाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि यदि नहीं करोगे तो पुलिस में बैठाया जायगा। यह है पंचायतों में हरिजनों की समस्या।

तीसरी मिसाल मैं यह देना चाहता हूं कि पंचायतों में क्या हो रहा है। तहसील झालरापाटन के गांव भवानीपुर में नंदा चमार ने सरपंच से मजदूरी के लिये ३०० रु० लिये। उसने और उसके बेटे ने मिलकर उस सरपंच के खेत में मदद की और उसके कुछ रुपये देने बाकी रहे उसने अदालत में दावा किया और वहां पर ३०० रुपये वाजिब न समझ कर १४० रु० की डिग्री दी और रुपये जमा कर दिये गये लेकिन क्योंकि ग्राम पंचायत के सरपंच में ३०० रु० लेने थे, उस सरपंच ने ३०० रुपयों के तीन हिसाब अलग अलग बनाये, क्योंकि पंचायत में १०० से ज्यादा का दावा नहीं हो सकता था। इसलिये ३ अलग अलग हिसाब बनाये जिसमें से १४० रु० तो पा चुका था। फिर भी उसने तीन हिस्से किये और अपनी पंचायत में दावा पेश नहीं करके पड़ौस की पंचायत में जहां उसका प्रभाव था. दावा पेश किया और डिग्रीयां हासिल कीं, यद्यपि उसके सपोर्ट में कोई शहादत नहीं थी और नतीजा यह हुआ कि उसकी डिग्रीयां कराईं, कुरकियां कराईं और जब उसने कोटा के डिवीज़नल पंचायत ऑफिसर को दर्ख्वास्त दी उसने स्टे ऑर्डर्स दिये, उसके होने पर भी डिग्रियां

(श्री रामचन्द्र)

की गई, उसने डिग्री के लिए मना किया तो ५० रुपये उसके ऊपर हुक्म उदूली के जुर्माने के रूप में किये और यह उसकी औरत की कड़ियां बेच कर वसूल किया गया । यह पंचायत की हालत है । इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि आपने सबको समान अधिकार दिया है, और पंचायत की व्यवस्था बनाने की ज़िम्मेदारी सरकार की है, और समान न्याय मिले, इन तीन बातों को देखा जाय और पंचायतों की देख भाल भली प्रकार होनी चाहिए और यह जांच की जाय कि न्याय व्यवस्था का और शासन व्यवस्था का काम समान रूप से हो रहा है ।

(घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय...

श्री तेजमल बापना (बनेड़ा): खत्म करो, मास्टर साहब ।

श्री रामचन्द्र : पांच मिनट और ।

लो ग्रुप हाउसिंग स्कीम सरकार ने निकाली है, यह बहुत अच्छी है और इससे लोगों को काफी फायदा पहुंच रहा है । लेकिन इस रुपये के वितरण करने का ढंग जो हमारे यहां पर है, उससे, मैं समझता हूँ कि वास्तव में जो सरकार की नीति है, उसका पालन नहीं हो रहा है । पहली बात तो यह है कि राजस्थान को बने आज १० वर्ष हो गये और इस स्कीम को लागू हुए १० वर्ष नहीं तो कम से कम पांच वर्ष हो गये लेकिन झालावाड़ के नाम पर पहली बार ५० हजार रुपये के करीब मंजूर हुए हैं । वह ५० हजार रुपया मकान बनाने के वास्ते किस तरह खर्च किया गया और किन किन लोगों को दिया गया, इसकी लिस्ट मंगा कर देख लीजिये, यद्यपि जिनको कर्ज़ा दिया जाता है, उन पर कुछ कन्डीशन्स लगी हुई हैं कि उसकी प्लिन्थ बन जाय तो १।३ रकम दी जाय, उसके बाद जब प्लिन्थ बन कर खत्म हो जाय तो १।३ रकम दी जाय, लेकिन लोगों ने पुराने मकान पर रुपया लेकर रिपोर्ट दे दी कि प्लिन्थ बन गई और रुपया ले लिया । यह है रुपया बांटने का तरीका । इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो सरकार रुपया दे उसका सदुपयोग हो और उस ज़िले के विकास में वह रुपया खर्च किया जाय ।

तीसरा कट मोशन, जिस पर कि माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं, वह है पब्लिसिटी के सम्बन्ध में उसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपको किसी विभाग को रखना है तो उसको फुल फ्लेजड रखें वरना केवल ऑफिसर और क्लर्क रखने से, आपके धन का सदुपयोग नहीं होगा । पब्लिसिटी डिपार्टमेंट इसलिए रखा जाता है कि प्रचार के द्वारा, प्रोजेक्टर्स के द्वारा और भिन्न भिन्न तरीकों से सरकार और जनता के बीच सम्पर्क स्थापित किया जाय । सौभाग्य की बात है कि झालावाड में दो वर्ष से पब्लिसिटी डिपार्टमेंट खुल गया है लेकिन अभी तक वहां, ऑफिसर मौजूद हैं, क्लर्क मौजूद हैं और शायद एक दो चपरासी भी मौजूद है, सब सामान है लेकिन प्रचार करने के लिए कुछ भी साधन नहीं है । अलबत्ता यह है कि जयपुर से दो तीन अखबार पहुंच जाते हैं । इसके अलावा न तो वहां जनरेटर हैं, न और समान है । इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि

Page No.101

(श्री रामचन्द्र)

जब आपके पास पूरे साधन हो जायं पब्लिसिटी के, तब ही डिपार्टमेंट का कार्य आरम्भ किया जाय। केवल आफिसर अपॉइन्ट कर देने से जनता और सरकार के बीच में सम्पर्क कायम नहीं हो सकता है। यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री तेजमल बापना।

श्री तेजमल बापना (बनेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या २६ मेजर हैड ५७ विविध के सम्बन्ध में जो कटौती के प्रस्ताव पेश हुए हैं, जिनमें कुछ साथियों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, मैं भी उनके सम्बन्ध में कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि पंचायत का जहां तक इससे ताल्लुक है, बहुत सी पंचायतों में जो गांव लगे हैं, वे एक तहसील से दूसरी तहसील की पंचायत में लगे हुए हैं। जिसके लिये मेरे ख्याल से दो साल से कोशिश की जा रही है कि हर पंचायत का क्षेत्र उस तहसील के गांवों तक सीमित रहना चाहिये, जिसमें कि उसका सम्बन्ध पड़ता है लेकिन आज बनेड़ा, काटड़ा, भीलवाड़ा ज़िलों की जितनी भी तहसीलें हैं, उनमें एक से कई अधिक गांव ऐसे हैं जो एक तहसील में पड़ते हैं लेकिन उनकी पंचायत दूसरे तहसील में लगा रखी है। दो साल से कोशिश करने पर भी वे कागज़ात अभी तक निकले नहीं हैं, उनकी व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई है, वह दुरुस्त होनी चाहिये। इस ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

दूसरी बात यह है कि सीकर आने वाले माननीय सदस्य ने भारत सेवक समाज के सम्बन्ध में तथा दूसरे जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भारत सेवक समाज के भीलवाड़ा में हुए अधिवेशन के सम्बन्ध में कुछ विचार ज़ाहिर किये हैं। जहां तक उनके विचारों का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहता हूँ कि या तो उन्होंने प्रत्यक्ष तौर से, जो व्यवस्था वहां की हुई है, उसको नहीं देखा और जहां तक उनको यदि किसी ने सूचना दी है तो उस सूचना में कितना तथ्य है, इसका उन्होंने कोई पता नहीं लगाया है। जो कुछ विचार उन्होंने बतलाये हैं, मैं उनका सख्त विरोध करता हूँ और जहां उनके बताने का सवाल है कि भारत सेवक समाज के अधिवेशन में १२ लाख रुपये गवर्नमेंट के खर्च हुए, मेरी समझ में नहीं आता कि १२ लाख रुपये गवर्नमेंट के किसमें खर्च हुए। दरअसल जो भी वहां की व्यवस्था थी, वह सब हम लोगों ने स्थानीय व्यक्तियों से कुछ सहायता लेकर, हमने भोजन की व्यवस्था की, वहां पर निवास की व्यवस्था की, वहां पर यातायात की व्यवस्था की, फिर १२ लाख का खर्च किसमें हुआ, यह समझ में नहीं आता। यह कतई गलत बात उन्होंने बतलाई है। उन्होंने यह भी कहा कि भीलवाड़ा में एरोड्रोम बनाया गया है। पता नहीं, कहां से उन्हें सूचना मिली है। भीलवाड़ा में कोई एरोड्रोम बना नहीं। वहां से ३२ मील दूर शाहपुरा में एरोड्रोम था...

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : उसकी मरम्मत हुई है।

श्री तेजमल बापना : आपने कहा है, आपको किसने सूचना दी। शाहपुरा में पहले से एरोड्रोम मौजूद है, उसकी साधारण मरम्मत या दुरुस्ती हुई है लेकिन उसमें भी १२ लाख रुपया खर्च नहीं हुआ है।

(श्री तेजमल बापना)

दूसरे आपने यह कहा कि केवल कांग्रेस के व्यक्तियों को उसकी व्यवस्था में लिया गया। यह सरासर गलत है। जो स्वागत समिति थी, उसमें मेरे ख्याल से, जितनी राजनैतिक पार्टियां हैं, जितने विचार वाले सज्जन हैं, उन सबको आमंत्रित किया गया और जो स्वागत समिति बनी है, मेरे ख्याल से, उसमें सब पार्टियों के सदस्य मौजूद हैं। जनसंघ के साथी हैं, जिनका काम विरोध करने का है, उन्होंने सहयोग नहीं दिया। लेकिन प्रजा समाजवादी हमारे साथी हैं, उन्होंने सहयोग दिया, जो कम्युनिस्ट साथी हैं, उन्होंने सहयोग दिया, वे मेम्बर थे स्वागत समिति के। किसी को कोई एतराज़ नहीं था कि दरअसल कांग्रेस के व्यक्ति उसमें थे।

दूसरे जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वहां के सेक्रेटरी मंडन मिश्र थे, उन्होंने इन्टर पास करके पी. एच. डी. की डिग्री हासिल कर ली, तो यह भी दोष सरकार के ऊपर, समझ की खूबी है। पी. एच. डी. की डिग्री की तो, इससे युनिवर्सिटी का ताल्लुक है, उसके पास शिकायत करनी चाहिये थी। पर जहां तक व्यवस्था का सवाल है उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की है।

उन्होंने यह बताया कि बस जल गई, उसका तो वास्तव में सभी को बड़ा खेद है, बूंदी से बस आ रही थी, पहिये में कुछ खराबी हो गई और आग पकड़ ली और कुछ साथी उसमें जल गये। पर यह कहना कि वहां के साथी वहां घटनास्थल पर नहीं पहुंचे, अधिकारी नहीं पहुँचे और सेवा सुश्रूषा नहीं की, यह गलत है, सफेद झूंठ है। वहां घटनास्थल पर आई. जी. पी. सुपरिन्टेन्डेन्ट, और हमारे एम. पी. वहां पहुंचे, वहां घटना-स्थल की देख भाल की है, जिनको बचा सकते थे उनको बचाया है, घायलों की सेवा सुश्रूषा की है और जिनको अस्पताल पहुंचाना चाहिये था उनको अस्पताल पहुंचाया है। तो यह कहना कि वहां कोई नहीं पहुंचा, यह गलत है, झूंठ है। और भारत सेवक समाज का अधिवेशन हो रहा था, पंडित जवाहरलाल मौजूद थे, और दूसरे साथी भी मौजूद थे, वहां इस घटना की इत्तला दी गई और इस पर शोक प्रस्ताव पास किया गया।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : और वह जो कल्चरल प्रोग्राम होने वाला था उसको बन्द कर दिया।

श्री तेजमल बापना : वहां पर जो कल्चरल प्रोग्राम होने वाला था उसको बन्द कर दिया, इसके बाद भी आप क्या कहना चाहते हैं ? जो दुर्घटना हुई वह न कोई हमारे बस की बात थी कि उस दुर्घटना को होने से हम रोक सकते। उनको इस दुर्घटना से बचाना हमारी शक्ति के बाहर की बात थी अगर उनको बचाना आपकी शक्ति में होता तो आप भी वह पहुंचते, आपके साथी भी वहां पहुंचते। पर यहां यह गलत बात कही है, झूंठ बात कही है कि वहां पर कोई नहीं पहुंचा और सेवा-सुश्रूषा नहीं की।

इसके साथ ही भारत सेवक समाज के कन्वीनर जो कि इस सदन में उपस्थित नहीं हैं, उनके ऊपर भी दोषारोपण करना सर्वथा अनुचित और झूंठा है। मेरा जहां तक उनसे सम्पर्क है, पैसों के मायने में श्री माणिक्यलाल वर्मा राजस्थान में बहुत ऊंचे आदमी हैं, उनके सम्बन्ध में इस तरह की गलत सलत बात आप नहीं कह सकते। अगर उनके बारे

(श्री तेजमल आपना)

में आपको कोई शिकायत है तो आप उनसे मिलिये और उनको बताइये कि आप इन इन चीज़ों में इन्वोल्व्ड हैं, वे आपको समझायेंगे, आपकी शंकाओं को दूर करेंगे। पर जो निस्वार्थभाव से सेवा करने वाले हैं उन पर इस तरह के दोषारोपण करना ठीक नहीं है। ५ करोड़ रुपया भारत सेवक समाज के लिये भारत सरकार ने दिया, उसके लिये मैं क्या निवेदन कर सकता हूँ। भारत सेवक समाज को जो रुपया दिया जाता है, उस रुपये से अधिक अन्न उपजाओ इस आन्दोलन में सहायता देते हैं और अन्य प्रकार से सहायता देते हैं तो, इसका तो हर एक को स्वागत करना चाहिये। जहां रुपये का दुरुपयोग होने का प्रश्न है, मैं इस पक्ष में हूं कि उसकी जांच होनी चाहिये। पर केवल भाषण देने के लिये यह कह देना कि फलां आदमी इतने पैसे खा गया, यह तरीका एक दम गलत है। पैसे का दुरुपयोग होने वाला नहीं है। मैं तो यह कह सकता हूँ कि भीलवाड़ा ज़िले में कुछ बांध तो बने हैं पर हज़ार बारह सौ तालाब टूटे पड़े हुए हैं। उनकी ओर ध्यान दे कर मन्त्री महोदय अधिक अन्न उपजाओ, इस बारे में सहयोग दें।

इन्हीं विचारों के साथ जो सदस्यों ने कहा है, उसका विरोध मैं करता हूँ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष,..

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष, ...

श्री उपाध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मुझे मौका दिया जायगा क्योंकि काफी बातें कही गई हैं उनका जवाब मुझे देना है। माननीय सदस्य को बोलना होता तो कट मोशन रख देते। कई मुद्दे उठाये गये हैं उनका माकूल जवाब मुझे देना है, इसमें समय लगेगा।

श्री दयाकृष्ण विजय : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दे दिया है उसके बाद मन्त्री महोदय ऑब्जेक्शन कैसे कर सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! मेरा ख्याल है कि जवाब थोड़ा सा लम्बा होगा, इसलिये मन्त्री महोदय आरम्भ करेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष,....

श्री दयाकृष्ण विजय : ५ मिनिट, साढ़े चार बजने में, कम हैं तो मुझे बोलने का अवसर दें आप मुझे एक बार समय भी दे चुके हैं...

श्री उपाध्यक्ष : I will be liberal tomorrow if you move the cut motions.

श्री दयाकृष्ण विजय : आपने एक बार मुझे बोलने के लिये कहा है। यह एक तरह से मेरी इन्सल्ट है। मैं आपके इस व्यवहार के प्रति असंतोष जाहिर करता हूँ और सदन से बाहर जाता हूँ।

(४,२६ म. प. पर श्री दयाकृष्ण विजय द्वारा बहिर्गमन)

श्री नाथूराम मिर्धा : आप पधारिये।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : माननीय उपाध्यक्ष, जब उन्हें एक बार बोलने का समय दे दिया है....

श्री उपाध्यक्ष : जब बाहर जा रहे हैं तो अब तो प्रश्न ही कहां पैदा होता है, अपने आप ही वह हल हो जाता है। By staging a walk out, there is a solution for me.

श्री नाथूराम मिर्धा (यातायात मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या २६ मुख्य शीर्षक ५७ मिस्लेनियस जो मैंने इस सदन में प्रस्तुत की थी उसके बारे में इस सदन के बहुत से माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव रखे। उन कटौती प्रस्तावों में खास तौर से जिन मुद्दों पर चर्चा की गई वह पंचायतों, म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड ,ये जो हमारी स्वायत्त संस्थाएं हैं उनके बारे में चर्चाएं की गई। इसके बाद वह मद जिसके नीचे पब्लिसिटी का खर्चा होता है, उसकी चर्चा की गई। मैं सबसे पहले जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, उनके सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्तावों के द्वारा जो मुद्दे सदन में रखे हैं, उनमें खास तौर से एक माननीय सदस्य जो कोटा से आने वाले हैं उन्होंने इस विभाग के रीऑर्गेनाइज़ेशन के बारे में कहा उस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि इस विभाग का जो रीऑर्गेनाइज़ेशन हो रहा है वह कानून और नियमों के विरुद्ध हो रहा है, और जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे खयाल से जहां तक इसके रीऑर्गेना-इज़ेशन का सवाल है, इस विभाग की जो इम्पॉर्टेन्स बढ़ने वाली है, और आयन्दा जो इसमें रद्दोबदल करना चाहते हैं, उसको माननीय सदस्य अपने दृष्टिकोण में रखते तो इस वक्त जो बातें उन्होंने यहां कहीं उन्हें वह कहने की आवश्यकता नहीं रहती।

पंचायतों के री-ऑर्गेनाइज़ेशन की काफी चर्चाएं राजस्थान में बाहर भी और इस सदन में भी चला करती हैं, प्रश्नों के रूप में भी यहां सदन के सामने चर्चा की जाती है और पंचायतों को लेकर इस सदन के माननीय सदस्य ऐसी बातें कह देते हैं, जिनका न सीधे तौर से सरकार से सम्बन्ध है और न सरकार इतनी गहराई में इन स्वायत्त संस्थाओं के बारे में कभी जा सकती है, जैसा कि माननीय सदस्य सोचते हैं। क्योंकि ये स्वायत्त संस्थाएं कानून के तहत में काम करती हैं। म्युनिसिपेलिटी का स्वयं का कानून है, पंचायतों का स्वयं का कानून है और कानून के तहत नियम बने हुए हैं, उन नियमों के अन्तर्गत इन म्युनिसिपल बोर्ड, अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड के तो तरीके निश्चित हैं, उनके माफिक ये कार्य करती हैं। न तो सदन के माननीय सदस्य और न सरकार ही उसमें इन्टरफीयर कर सकती है।

बजट पर बहस के समय माननीय सदस्यों ने कहा कि सिम्बल अलॉट कर दिया, अमुक सरपंच ने ऐसा फैसला कर दिया, कई माननीय सदस्य कहते हैं। अमुक पंचायत का अमुक वार्ड सही नहीं बना, कई माननीय सदस्य कहते हैं कि इस पंचायत का क्षेत्र, यह नहीं रहना चाहिये, केन्द्र यह नहीं रहना चाहिये। इस प्रकार की शिकायतें माननीय उपाध्यक्ष हैं, उनके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि ये सब नियमों के तहत बनते हैं, किसी को शिका-यत है तो नियमों में प्रोविज़न है कि इस सबके बारे में शिकायत की जा सकती है। इस सदन में कहने से यह रेमिडी हल नहीं हो

(श्री नाथूराम मिर्धा)

सकती । इलेक्शन का झगड़ा है तो इलेक्शन पिटिशन के तरीके से इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जा कर उन झगड़ों को निपटा सकते हैं। जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि पंचायतों के ज़मीन के अलॉटमेन्ट के सिलसिले में म्युनिसिपेलिटी के नजूल लैंड के सिलसिले में समय समय पर चर्चायें उठती रहती हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो अलॉटमेन्ट करने का तरीका है वह नियम और कानून के तहत है। उसमें डिफेक्ट्स सरकार को नज़र आये और उसके लिए सोचा कि लैंड का अलॉटमेन्ट चाहे पंचायत हो, चाहे अर्बन इम्प्रूवमेन्ट हो, चाहे म्युनिसिपेलिटी हो, उनमें कुछ कमियां रह गई हैं, उन नियमों को सरकार ठीक कराना चाहती है, उनकी ठीक व्यवस्था करना चाहती हैं, सारे राजस्थान के लिए अगर अच्छी व्यवस्था निकाल सकें तो निकालने की कोशिश करें। रीऑर्गेनाइज़ेशन को लेकर बातें कही गई। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि न तो कानून में चेन्ज किया है, न ही चीफ पंचायत ऑफिसर को चेन्ज करके डाइरेक्टर बनाया है, लेकिन डिविज़नल पंचायत ऑफिसर्स जो पांच इलाकों पर काम करते थे, अब १७ डिस्ट्रिक्ट के पंचायत ऑफिसर्स बनाये हैं, इसलिए बनाये हैं कि ज्यों २ विकास के कार्य बढ़ते जाते हैं, पंचायतों की जिम्मेदारी भी बढ़ती जाती है; यह हम महसूस करते हैं कि पंचायतों में ठीक प्रकार का सुपरविज़न हो, पांच ज़िलों में जो डिविज़नल ऑफिसर्स बैठे हुए थे। विशेष रूप से वे सब की निगरानी नहीं कर सकते थे इसीलिए १७ जिलों में इसको रखा है कि ऑफिसर अच्छी तरह से इनका सुपरविज़न कर सके, काम को देख सके, उनके विकास की और उनमें सुधार की सारी चीजों को देखते हुए इस प्रकार से रीऑर्गेनाइजेशन की सोची है।

श्री रामेश्वरदयाल (कोटा) : For District Panchayat Officers, there is no provision in the Act.

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने आपको कहा कि उस एक्ट में प्रोविज़न करने के लिए माइनर चेन्ज करने की आवश्यकता होगी तो कर देंगे।

श्री रामेश्वरदयाल : That was my point.

श्री नाथूराम मिर्धा : वह कर देंगे। विभाग को दूसरी प्रकार से रिऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं जनहित की दृष्टि से, पंचायतों के हित की दृष्टि से, राजस्थान के विकास की दृष्टि से, इस विभाग को इस तरह से रिऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। एक डिप्टी पंचायत ऑफिसर और एक असिस्टेन्ट पंचायत ऑफिसर, शब्दों में, लिखने में परिवर्तन की आवश्यकता होगी वह कर देंगे। वह तो एक फोर्मल सी बात है। उसमें रीऑर्गेनाइज करने की बात थी और सरकार ने यह महसूस किया और उस दृष्टि से यह बात की।

राजगढ़ आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पंचायतें कई हैं जिन्होंने जल बोर्ड के पैसे का हिसाब नहीं दिया। सुबह भी एक प्रश्न था कि उस जिले की ८ पंचायतों ने हिसाब नहीं दिया। उनके खिलाफ पी. डी. आर. के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। एक करोड़ रुपया पंचायतों के जरिये, जल बोर्ड के जरिये खर्च किये गये, उसमें से कुछ हजार या लाख रुपया लोगों ने ठीक प्रकार से काम में नहीं लिये, जो कि लेने चाहिये थे

Page No.106

(श्री नाथूराम मिर्धा)

फिर भी नहीं लिया, मान लीजिये कि १ करोड़ में से पांच लाख का हिसाब पेश नहीं हुआ तो राज्य का रुपया कहां जाने वाला है, वह कहीं जाने वाला नहीं है, सरपंच ने या पंचों ने ठीक तरह से उपयोग नहीं किया है तो जिनसे वसूल करना है वह वापिस वसूल किया जावेगा। एक करोड़ धन राशि खर्च होकर पंचायतों ने बड़े बड़े काम किये हैं और आज गांव गांव के अन्दर पुराने जो बेमरम्मत थे उनकी मरम्मत हो गई नये कुंए खुदवाये गये, पीने के पानी की, जो कि प्राईमरी नेसेसिटी हो सकती है उसको पूरा करने के लिए पंचायतों ने स्वयम् ने कदम उठाये और हजारों की तादाद में रुपया श्रमदान के लिए इकट्ठा करके डवेलपमेन्ट का काम किया। कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि जो पंचायतें बनी हैं, जिस तरीके से काम करती हैं, उनसे निराशा ही होती है, कहीं जनतन्त्र डूब तो नहीं जायगा, उनको भरोसा नहीं है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि १० फीसदी पंचायतें ठीक प्रकार से काम करती हैं बाकी ९० फीसदी गलत तरीके से काम करती हैं, मुझे तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कभी कभी ऐसा लगता है कि माननीय सदस्यों के सोचने का दृष्टि कोण इतना गलत हो गया है कि आज पंचायतें हमारे प्रजातन्त्र की जड़ हैं, उनको सही रूप में आज पनपाने की आवश्यकता है, जरूरत है, लेकिन उनका जैसा विश्वास है उससे मेरा विपरीत विश्वास है। राजस्थान की पंचायतों को कायम हुए ज्यादा अर्सा नहीं हुआ है। उनमें ९० फी सदी पंचायतें अच्छा काम करती हैं, सुचारु रूप से काम करती हैं, कोई सहकारी समिति या पंचायत गलती करती है तो क्या गलती करने का अधिकार नहीं है, वे भी चुने हुए पंच हैं, कितने कम पढ़े लिखे हैं, पढ़े हुए से भी गलती हो जाती है, देश के हमारे प्रधान मंत्री महोदय ने बार बार कहा है कि यह जिम्मा तो किसी का नहीं है कि हम तो गलती नहीं करते और नीचे के लोग गलती करते हैं। गलती हर आदमी से हो सकती है। लेकिन यह सोचना कि इस तरह पंचायतें काम करती हैं उससे जनतंत्र खत्म हो जायगा, यह अपने अपने देखने का दृष्टिकोण है और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही दृष्टिकोण नहीं है। जो कमियां हैं उनको दूर करना है और इस दिशा में पंचायत विभाग की तरफ से सुपरविजन और गाइडेन्स करने की आवश्यकता है, उसको रीऑर्गेनाइज करना जरूरी है।

क्षेत्र के ऊपर चर्चायें माननीय सदस्यों ने कीं। जरूर यह महसूस किया जा रहा है कि पंचायतों की बढ़ती हुई जिम्मेदारी को देखते हुए और दो अक्टूबर से जो और भी अधिक बढ़ रही है, दूसरा रूप जो हम बनाना चाहते हैं उससे इन पंचायतों पर ज्यादा जिम्मेदारी आयगी। आर्थिक साधन ज्यादा होने चाहिये, विकास समितियों के पास आर्थिक साधन ज्यादा होना चाहिये, दो अक्टूबर के बाद पंचायतों का नया नक्शा बनाना चाहते हैं, आज जो स्वरूप है, ११ हज़ार तक की आबादी की पंचायत हैं उतने बड़े आकार में सही स्वरूप नहीं बैठ सकेगा। इसलिए उनका रूप छोटा किया गया। कुछ मत यह भी है कि बहुत छोटा कर दिया जाय और १ हजार तक की आबादी की पंचायत बना दी जाय। अगर पंचायतों का आकार बहुत छोटा बन जायगा तो आर्थिक साधन सीमित हो जावेंगे, जो कल्पना पंचायतों के जरिये करना चाहते हैं वह पूरी नहीं कर

(श्री नाथूराम मिर्धा)

पायेंगे । बहुत से माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव रखे हैं और उन्होंने जोर दिया है कि जो ग्रान्ट इन एड पंचायतों को दी जाती है, कम है, कहीं पंचायतों की लायब्रेरी, राशन, इलेक्ट्रिसिटी का काम ठीक प्रकार से नहीं चल रहा है, कहीं पीने के पानी का इन्तजाम ठीक नहीं है । जो ग्रान्ट इन एड पंचायतों को देते हैं, लैंड रेवेन्यू पर एक पैसा और निर्माण कार्य पर १० लाख रुपया और ५० पर्सेन्ट कन्ट्रीब्यूशन पर उनको देंगे । ४॥ हजार के करीब पंचायतें हैं उनके लिए इतनी धन राशि है, बहुत बड़ी नहीं कही जा सकती है । फिर हमारे इस बजट को उठाकर देखेंगे कौनसी ऐसी चीज है जिसमें कमी की जाकर धन दूसरे में दिया जा सकता है । हमारे सीमित साधनों के अन्दर जितना इस स्टेज पर दे सकते हैं, देने की कोशिश कर रहे हैं । आने वाले जमाने में विकास समितियों और ज़िलापरिषदों को ज्यादा अधिकार देना चाहते हैं वैसी हालत में यह भी सोच रहे हैं कि लैन्ड रेवेन्यू का कितना हिस्सा उसमें जाना चाहिये । इसका डिटेल्ड जो कुछ भी स्वरूप होगा वह मैं अभी रखने में असमर्थ हूं । आने वाली तस्वीर के अन्दर पंचायतों को और जिला परिषदों को किस किस प्रकार के रेवेन्यू के सोर्सेज, जो राजस्थान सरकार के पास हैं, उनको ट्रान्सफर किये जांय, किस प्रकार के ट्रान्जेक्शन के अधिकार दिये जाय ताकि वे प्राइमरी पाठशाला चलाने के लिये लायब्रेरी आदि व्यवस्थित रूप से चलाने के लिये पानी का इन्तज़ाम करने के लिये खर्च कर सके । इसके अलावा किस किस प्रकार टैक्सेशन के अधिकार उनको दिये जांय इन सब बातों पर विचार करने के लिये हमने एक कमेटी मुकर्रर कर रखी है वह इसके डिटेल्स पर विचार कर रही है उसके बाद उस पर सरकार विचार करेगी । और फिर इस सदन में कानून आयगा और दो आक्टूबर से हम उस तस्वीर को लागू करना पसन्द करेंगे । म्युनिसिपलिटीज़ और पंचायतों के संबन्ध में जो कटौती के प्रस्ताव रखे गये हैं उनके बारे में मुझे इतना ही कहना है ।

अन्त में उपाध्यक्ष महोदय रिलीफ एन्ड रीहेबिलिटेशन के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूँगा । कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने अपना कटौती का प्रस्ताव रखते हुए खास तौर से रिलीफ एन्ड रीहेबिलिटेशन के बारे में शरणार्थियों और विस्थापितों के सवाल को लेकर कहा और एक जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कटौती प्रस्ताव द्वारा इस बात का जिक्र किया । विस्थापितों को बसाने के लिये जितना प्रयत्न सरकार द्वारा किया जाना चाहिये वह नहीं किया जा रहा है । उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं है । यह एक बड़ी समस्या थी । पार्टीशन के बाद में देश में जो कुछ हुआ वह किसी से छिपा नहीं है । लाखों लोग इधर से उधर और उधर से इधर आये आखिर वे लोग घर छोड़कर आये उनकी बड़ी दयनीय दशा थी लेकिन आज उनकी स्थिति को देख कर जो इतनी बढ़ा चढ़ा कर बात कही जाती वह कतई मानने लायक नहीं है । उस समय उनकी हालत खराब अवश्य थी केन्द्रीय सरकार ने और राज्य सरकार ने मिल करके उनका पुनर्वास का बीड़ा उठाया और उसमें राज्य सरकार का और केन्द्रीय सरकार का करोड़ों रुपया खर्च हुआ । उनके लिये मकान बनवाये, उनको मकान बनाने के लिये लोन्स दिये, उनकी हाउसिंग सोसाइटीज़

(श्री नाथूराम मिर्धा)

बनाई गई उनको रोज़गार चलाने के लिये करोड़ों रुपया दिया। इतना सारा करते हुए भी बजट में इस साल कुछ नहीं रखा गया हो यह बात नहीं, लाखों रुपयों का लोन आज भी उनको दिया जाने वाला है। सिन्ध कोआॅपरेटिव सोसाइटी को दो हज़ार जयपुर पुरूषार्थी सोसाइटी को १ लाख ३३ हज़ार पंजाबी कोआॅपरेटिव सोसाइटी को ३ लाख ६० हज़ार इसी प्रकार इनडिवीज्युअल तरीके से बांसवाड़ा, बीकानेर, दुर्गापुरा, जयपुर सिटी एनमें रहने वाले पुरुषार्थियों के लिये क्रमशः ६५,७०,४० हज़ार रुपया इस प्रकार अलग अलग मकान बनाने के लिये देने की व्यवस्था की है। इसके अलावा भी कई प्रकार की मदद दे रही है शरणार्थियों को बसाने के लिये। इस तरह से करीब ६ लाख ४५ हजार रुपये का प्रोवीजन इस बजट में है और इसके बाद में जो दूसरी बात कही गई किशन-गंज तहसील में जो बंगाली शरणार्थी बसाये गये उनके लिये कहा यह गया है कि उनके लिये कुछ नहीं किया जा रहा है सिर्फ रहने के लिये मकान बनाकर दे दिया हैं उनके खाने पीने का किसी प्रकार का भी इन्तजाम नहीं है। वहां पूरी तरह से मकान बन गये हैं उनके लिये स्कूल और औषधालय भी हैं और जितनी जमीन की आवश्यकता थी उनको दे दी गई। उस जमीन के अन्दर गेहूं और चावल पैदा हुए हैं। और अब उनके इर्रीगेशन के लिये एक स्पेशल बान्ध बन रहा है और आगामी वर्षा के आने के पहले बनकर तैयार हो जायगा....

श्री भैरोंसिंह : गेहूं और चावल के लिये पानी कहां से आ गया पीने के लिये तो है नहीं।

श्री नाथूराम मिर्धा : वहां पर कुछ ऐसी नहरें हैं।

श्री भैरोंसिंह : आप नहरों की बातें करते हैं, पानी पीने तक के लिये नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : सभापति महोदय, जो जमीन वहां है उसमें चावल पैदा हुआ है और कीट पैदा हो रहा है। स्पेशल तौर से एक बांध बनाया जा रहा है जो जमीन उनको अलाॅट की है उसमें, ऐसा मुझे पता है।

श्री भैरोंसिंह : आपको पता है या आपने देखा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने देखा नहीं है किन्तु जो मैं सूचना दे रहा हूं निश्चित तौर से सही दे रहा हूं।

आम तौर पर जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य जयपुर की बात लेकर, यहां के शरणार्थियों की बाज़ार की सफाई और उसकी गन्दगी को लेकर, जो बातें कहीं जाती हैं उस सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि जयपुर शहर के लिये एक करोड़ रुपये वाटर ब्राइन की स्कीम है, जगह जगह मोटे नल लगा रहे हैं। बिजली के लिये नई लाइन डाली जाने की कार्यवाही चल रही है, बड़े बड़े बोयलर्स आ गये हैं। जहां पहले इस शहर की आबादी डेढ़ लाख की थी आज करीब यहां की आबादी पांच लाख की हो गई। जब इस शहर को राज-स्थान की राजधानी बनने का अवसर प्राप्त हुआ तब से इसकी बहुमुखी प्रगति होने लगी और इसका एक्स्टेन्शन भी बहुत जल्दी

(श्री नाथूराम मिर्धा)

हो गया। इसलिये जो कुछ भी ये बातें हैं वे टेम्प्रेरी हैं तुरन्त पूरी कर दी जायगी, इस पर विशेष चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं। सरकार सब तरह से जागरुक है। वाटर वर्क्स और बिजली का काम आने वाले थोड़े समय के बाद पूरा हो जायगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

इसके बाद में मैं खास तौर से इस मुद्दे पर आता हूं जिसका सम्बन्ध पब्लिसिटी विभाग से है। पब्लिसिटी विभाग से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खास तौर से आने वाले माननीय सदस्य ने और जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कटौती के प्रस्ताव रखे। आम तौर से ऐसा लगता है कि कुछ माननीय सदस्य जब पब्लिसिटी की बात आती है तो ऐसी बातें रखते ही हैं.... .

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फर्स्ट टाइम जो बात रखी उसका तो जवाब दे दीजिये।

माननीय सदस्य : इनका पहला ही मौका है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे ऐसा लगता है जब पब्लिसिटी का मामला आता है. तो बहुत ज्यादा वह राजनैतिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। जैसा कि बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आंकड़े रखे आज से दो साल पहले के, कि हम पहले इस पर छ लाख रुपया खर्च करते थे और लास्ट-ईयर इस विभाग के बजट में १२ से १४ लाख का खर्चा हो गया और इस साल १६. २० लाख तक पहुँच गया है, यह बात कही जो आंकड़े उन्होंने रखे, गलत नहीं हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : गलत हों तो बता दीजिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने बजट देख कर ही लिखे होंगे यह अक्ल तो मैं आपकी मानता हूं। मैं इस बात को गलत नहीं कहता कि आपने गलत आंकड़े बताये हैं। यह रकम इतनी क्यों बढ़ गई इसके लिये जो समझदार लोग हैं उनको कोई ताज्जुब नहीं होगा। क्योंकि आज हमारे देश का चहुंमुखी विकास हो रहा है उसमें सब चीज़ों का विकास हो रहा है. ऐसी हालत में हमें उनका प्रचार भी व्यापक रूप से करना पड़ेगा। ज्यादा समझाइश और ज्यादा पैमाने पर करना पड़ेगा। आगे तो पब्लिसिटी में होता क्या था कि एक तो ऑफिसर और उसके नीचे दो चार अहलकार इस तरह से चार पांच आदमी यही जयपुर में बैठे रहते थे अब इस विभाग को गांवों और ज़िलों तक ले जाना चाहते हैं और इसी लिये ज़िलों में पब्लिक रिलेशन अधिकारी नियुक्त किये हैं। पब्लिसिटी वान भी दी है, प्रोजेक्टर्स भी आये हैं, फिल्मस भी आई हैं फोटो ग्राफर भी अलग अलग दिये हैं, ये सारे काम जो पहले जयपुर तक ही सीमित थे अब हरेक डिविज़न तक जा रहे हैं। इसके आगे गांवों में जायेंगे इस तरह से हम प्रचार करना चाहते हैं तो हमें खर्चा भी ज्यादा करना पड़ेगा ६ से १४ लाख हो गया और आगे चालीस लाख तक भी हो सकता हैं। तो जब ४० लाख हो जावेगा तो हम विकास के कामों की भी अधिक जानकारी अखबारों से फिल्मों से और कई तरह से दे सकेंगे। योजनाओं पर करोड़ों खर्च करते जावें और लोगों को अन्धेरे में रखते जावें। यह कैसे हो सकता है। अखबार भी ज्यादा पढ़ाने पड़ेंगे उनको,

(करतल ध्वनि)

Page No.110

(श्री नाथूराम मिर्धा)

उनको प्रोजेक्टर भी दिखाने पड़ेंगे और इसकी वजह से यह खर्चा होगा तो विभाग का भी विकास होगा। तो कम खर्चा करने की बात राजस्थान सरकार नहीं कर सकती, लोगों को अन्धेरे में राजस्थान सरकार नहीं रख सकती। और उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों की बात को समझ सकता हूं जो विशेष पार्टी या दल से सम्बन्ध रखते हैं। क्योंकि जनसंघ के लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं ज्यादा तो, कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि यह जनसंघ के लोग इस तरह की बातें करने वाले या तो शहरों के या कस्बों के बहुत ज्यादा बुद्धि वाले लोग हैं उनका समर्थन प्राप्त करते हैं, या उन लोगों का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं जो बहुत ही ज्यादा कोर्नर में रहते हैं, जो अनपढ़ हैं।

शहरी लोगों के बारे में तो कहने की ज़रूरत नहीं, पर अन्धेरे कोने में जब धर्म का नाम लेकर या कभी गाय का नाम लेकर कभी किसी दूसरी और बात का नाम लेकर अपनी चाल में उनको बहका बहका कर चलाना चाहते हैं। तो उनको हम जगाना चाहते हैं। और उनको जगाने के लिये फिल्में दिखानी पड़ेंगी, फोटो भी दिखाने पड़ेंगे और हमको तरह तरह से जानकारी कराके उनको समझाना पड़ेगा। अब यह उनके हाथ की बात नहीं कि वे हमें कहें कि उनको कोने में पड़े रहने दो। हम उन्हें जगावेंगे, विकास ज्यों ज्यों होता जावेगा, हम उनको सब बताते जावेंगे कि अब सावधान हो जाइये और देश को आगे बढ़ाने में अब जागरुक होइये।

(हंसी)

तो ज्यादा क्रिटिसाइज़ करने में उनकी नुक्ते निगाह यही रहती है कि वे कोने में ही पड़े रहें, जो नहीं।

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : Does the Hon'ble Member mean that we should propagate......

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि समय थोड़ा रह गया है।

(एक दूसरे सदस्य के खड़े होने पर)

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं पैरों पर खड़ा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर! ऑर्डर प्लीज़ !! He is not yielding the floor. The Hon'ble Member will please resume his seat.

श्री अर्जुनदास : Without their having party propaganda ......

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिये तो सही।

यह कहा गया कि यहां सब व्यक्तिगत पब्लिसिटी मिनिस्टरों की करवाई जाती है और व्यक्तिगत फोटो छपवाये जाते हैं और अपना व्यक्तिगत प्रचार मिनिस्टर करवाते हैं और इसी लिहाज़ से अखबार को फोटो ज़्यादा, विज्ञापन कम दिये जाते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात रोज़ सदन में कही जाती है और कई बार सदन में कही जावेंगी। विज्ञापन के बारे में वैसे हमने कई बार कहा है कि हमारी इस बारे में एक नीति है। अब इसको ये मानें या न मानें, उनकी बात है। जो ज्यादा अखबार सर्क्यूलेशन में हैं उनको देते हैं,

(श्री नाथूराम मिर्धा)

जिनकी नीति अच्छी है, देश के हित में है, देश के विकास की बातों को कहते हैं उनको हम ज्यादा विज्ञापन देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, मदद करते हैं। अब किसी को हमारी नीति पसन्द हो या न हो हम तो अपनी नीति से काम करते हैं और काम करेंगे।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर) : ब्लिट्ज़ का अखबार भी आपकी इसी परिभाषा में आता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कितना आता है, कैसे आता है, यह हम जानते हैं।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : गांव के लोगों को सुधारने के लिये ब्लिट्ज़ का क्या उपयोग समझते हैं आप ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप जैसे लोगों को भी सुधारना पड़ता है कभी कभी।

(हंसी)

तो हमारी इस बारे में नीति निश्चित है। अब उसे ये पसन्द न करें, उन की मर्ज़ी की बात है। आप कहते हैं, राज चलाने का तरीका ठीक नहीं है, राज छोड़ दीजिये। तो यह कहने का तरीका भी ठीक है। राज न उनकी राय से बनता है न छोड़ा जाता है। एक तरीके से राज बनता है और एक तरीके राज बिखरता है। बिखरेगा उस समय तो अपने आप बिखर जावेगा। उनके कहने की आवश्यकता नहीं, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं। अपने तरीके से बनता है, बिगड़ता है। चलता है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : जनता का पैसा नहीं बिगड़ना चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : अब मैं भारत सेवक समाज के बारे में कहूंगा। ऑल इण्डिया का यह जलसा था। अब भारत सेवक समाज की वकालत करने का बीड़ा मैंने नहीं उठाया है

(हंसी)

पर मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके ज़रिये निवेदन करना चाहता हूं कि यह देश की एक संस्था है और इसमें जैसा कि सभी माननीय सदस्य जानते हैं सभी पार्टियों के, वर्गों के और राजकोष नौकरी करने वाले भी इसके मेम्बर हो सकते हैं और इसमें अपना थोड़ा समय देकर देश के विकास में अपना थोड़ा बहुत योग दे सकते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : सभी पार्टी के मेम्बर किस आधार पर कह दिया, आपको क्या पता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस आधार पर कहता हूं कि काम करने की इच्छा रखने वाले सभी आदमी वहां मौजूद हैं। काम करने की जिनकी इच्छा नहीं है, उनकी बात और है। ज़बर्दस्ती काम करने के लिये भारत सेवक समाज किसी को बुलाने वाला नहीं। ऐसी बात नहीं कि आपके आये बिना काम चलेगा नहीं। आप आए काम करना है तो आप की मर्ज़ी है। ज़बर्दस्ती वे आपको बुलाने वाले नहीं। एक जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हम भी गये और वहां कमेटियों में जीप जाप चढ़ाई तो उस पर ऊपर वालों ने कह दिया। मानते नहीं मुझे पता नहीं क्यों वे छोड़ कर आ गये। उनके साथ

(श्री नाथूराम मिर्धा)

क्या गुज़री क्या नहीं गुज़री। वे जो कह रहे हैं वह कहां तक सही है। मैं इसकी विशेष जान कारी नहीं रखता क्यों कि पहले पता होता तो माणिकलालजी से पूछता कि क्या कारण है। इतना मैं कह सकता हूं कि अब भी आना चाहें काम करने के दृष्टिकोण से तो मैं उनसे कहूंगा इनका सहयोग भी लीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप ज़रूर कहिये।

श्री भैरोंसिंह : आपकी कुछ चलती है क्या ?

(हंसी)

श्री नाथूराममिर्धा : मैं तो खुद वर्किंग कमेटी का मेम्बर हूं। अब भी आने की इच्छा रखते हैं या काम करने की इच्छा है तो मेरे को इन्कार नहीं, विधान के तहत में मैं उनको भरती करवा दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह काम तो आप ही करिये। हम तो काम करने से दूर हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : तो कहा गया कि नया एरोड्रोम बना दिया, १२ लाख खर्च कर दिया ६० हज़ार खर्च करके सर्किट हाउस बना दिया उपाध्यक्ष महोदय, आप के ज़रिये निवेदन करूंगा कि देश के हमारे प्रधान मन्त्री हैं जवाहरलाल नेहरू जो भारत सेवक समाज के ऑल इण्डिया के जलसे में शरीक हो तो उनके आने जाने का, उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध करने का राज्य सरकार का फ़र्ज़ है, उनके ठहरने का इन्तज़ाम करना राज्यसरकार का फ़र्ज़ है। एक सर्किट हाउस जिसमें मरम्मत की जरूरत थी....

श्री मुरलीधर व्यास : आने जाने का खर्चा किस प्रकार से कर सकती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उनके आने जाने के वक्त सुरक्षा का इन्तजाम करने में राज्यसरकार खर्च करेगी। हमारे देश के वे प्रधान मन्त्री हैं। तो उनके सुरक्षा के लिये क्या पुलिस नहीं भेजें, हां भारत सेवक समाज में हमने कोई खर्चा नही किया। पर सुरक्षा हेतु और प्रबन्ध तो हमें करना था। वह हमने किया। सर्किट हाउस में खर्चा करके मरम्मत कराई।

श्री भैरोंसिंह : ६० हज़ार का खर्चा करके आपने मरम्मत ही कराई ? आप गलत कहते हैं। ६० हज़ार का खर्चा किया है मरम्मत में, माननीय मन्त्री महोदय गलत कहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, केवल मरम्मत नहीं कराई गई, उसमें एडीशन हुआ है। पिछली बार राष्ट्रपति आये थे उस समय पचास हज़ार खर्चा किया था। इस पर तो जिसमें राष्ट्रपति रह सकते हैं, उसमें क्या प्रधान मन्त्री नहीं रह सकते थे। फिर यह एडीशन कराने की सरकार को क्या ज़रूरत पड गई ? आप बताइये कितना खर्चा किया आपने ६० हज़ार नहीं किया।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं तो मान लेता हूं आपकी ६० हज़ार के खर्चे की बात। वह सर्किट हाउस तो आज भी वहीं पड़ा है। वह तो दिल्ली नहीं उड़कर चला गया है।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

वह सब के काम आवेगा। वह राजस्थान की इम्मूवेबल प्रोपर्टी है। ६० हज़ार खर्च किया तो कोई फालतू तो नहीं किया।

५ म० प०

वह जितना भी पैसा मरम्मत में लगाया वह जनता के हित में लगाया और सर्किट हाउस परमानेन्टली ठीक करने के लिए लगाया। इसमें आपको क्या एतराज़ है? तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की चर्चा को कभी इस रूप में ऐसा बोलते है और उसका समा ऐसा बैठाते हैं कि बस जो कुछ हम कह रहे हैं वह दुनियां में सबकुछ ठीक है और दूसरे बोलने वाले सब बेवकूफ हैं और कहते हैं कि जनता के धन का दुरुपयोग करते हैं। ऐसी बातें न तो हमें कहने की कोशिश करनी चाहिए और न ऐसी बात ही है।

अब माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पब्लिसिटी के बारे में चर्चा की गई। माननीय गृह मंत्री जी उस समय यहां मौजूद नहीं थे उसके लिए भी बड़ा एतराज़ उठाया गया। आखिर ह मांग तो मैंने मूव की थी वैसे तो हमारे ाननीय वित्त मंत्री महोदय को पेश करनी ाहिए थी लेकिन वह आज किस कारण से हीं थे। अगर रामकिशोर जी होते तो भी ई जवाब देने वाले नहीं थे आखिर जवाब मैं ही देता। मुझे सब मालूम है कि क्या या बातें यहां कही गई। लाओ मैं अब एक क पाइन्ट का जवाब दे दूं। यह कहा गया रामकिशोर जी की बेटी की शादी में मूवी ल्म ली गई और उसको डी० पी० आर० लिवाया और उसी ने उसका पेमेन्ट किया। इसके बारे में माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि इस प्रकार का कोई पेमेन्ट सरकारी ट्रेजरी से नहीं हुआ। यह बिल्कुल ही भ्रमात्मक बात थी और माननीय सदस्य को स्थिति की पूरी जानकारी नहीं होने की वज़ह से ऐसा हुआ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप अब पब्लिसिटी डिपार्टमेन्ट की सारी चीज़ों को पज़ेशन में ले लें।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप इकट्ठा करके ले आइये, फिर देख लेंगे। आपको कोई विशेष जानकारी हो तो आप इकट्ठा करके ले आइये। वैसे अभी जो जानकारी मेरे पास है उसको मैंने बता दिया है।

दूसरी बात माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समर्थन करते हुए बड़े जोर से कही गई कि इस राज्य में दो अखबार निकलते थे एक तो..

श्री भैरोंसिंह इसका उत्तर नहीं मिला। आप यह स्पष्ट करिये कि रामकिशोर जी की लड़की की शादी में ऐसी कोई मूवी पिक्चर नहीं ली गई।

श्री नाथूराम मिर्धा : मूवी पिक्चर ली गई थी मगर उसके लिए उन्होंने अपनी जेब से पैसा दिया। इसके लिए राज्य ने कोई पैसा नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय कितना समय और लेंगे?

श्री नाथूराम मिर्धा : अगर आप उत्तर सुनना चाहें तो मैं और बोलूं, नहीं तो मैं क्यों तकलीफ करूं? जो मुद्दे यहां पर उठाये गये हैं अगर उनका जवाब लेना चाहें तो ठीक है।

श्री महेन्द्रसिंह पवार : अगर माननीय मंत्री महोदय कुछ कहना चाहें तो नियमों के मुताबिक वह समय बढ़ाने के लिए मोशन रखें।

श्री उपाध्यक्ष : १० मिनट में उत्तर दे दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : सिर्फ ५ मिनट में ही खत्म कर दूंगा। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो खास मुद्दा उठाया गया वह यह था कि राजस्थान से दो अखबार निकलते थे एक तो 'संयुक्त राजस्थान' और दूसरा 'विकास'। फिर इन अखबारों का बन्द कर दिया गया और इस काम के लिए जो एडीटर और सब एडीटर की तनख्वाह है वह मुफ्त में फिजूल लगा रहे हैं और ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके ज़रिये माननीय सदस्य को और इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को और आम जानकारी के लिए भी निवेदन करना चाहता हूं कि 'संयुक्त राजस्थान' और 'विकास' जो अखबार निकाले थे वे काफी यूज़फुल अखबार थे और उनके अन्दर जो इन्फर्मेशन दी जा रही थी उसको हमारे राजस्थान के लोगों ने भी बल्कि सारे हिन्दुस्तान के दूसरे इलाके के लोगों ने माना है कि विकास में जो बातें आती थी। उसको बहुत पसन्द किया और उस विकास अखबार की इतनी डिमान्ड बढ़ गई कि जो खर्चा १२ महीने में हम करने की सोचते थे वह ६-७ महीने में खत्म हो गया और जब बजट प्रोविज़न खत्म हो गया तो उसको वापिस करवाने के लिए कुछ महीनों का समय बीत गया। अब निश्चित रूप से इस बजट में उसका प्रोविज़न कर दिया है और अगले साल से ही विकास को हम खूब धड़ाधड़ निकालेंगे और खूब जनता की सेवा करने की कोशिश करेंगे। अब मेरे ख्याल से एडीटर और सब-एडीटर को हटाने की जो बात थी वह गायब हो जाती है। उस अखबार को हम खूब अच्छी तरह से चलायेंगे। अब दो चार महीने के लिए एक स्पेसिफिक जांच के लिए एक आदमी नियुक्त है और अगर उसके पास वह काम नहीं रहा तो फिर क्या, महकमे में उसको और दूसरे काम करने को दिये जा सकते हैं।

दूसरा मुद्दा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह उठाया गया कि इस महीने में बिलों का पेमेन्ट धड़ाधड़ हो रहा है और करीब १॥ लाख रुपये का पेमेन्ट हो गया। तो यह बात बिलकुल सही है। यह इसलिए हो रहा है कि बजट का एण्ड है। जितने भी विभागों के बिल थे और यह निश्चित भी अभी थोड़े दिनों पहले ही किया है कि बिलों का भुगतान विभाग वाले स्वयं नहीं करेंगे बल्कि बजट के समय पर जो प्रोविज़न है, वह सारा का सारा रुपया डी० पी० आर० के अन्दर ट्रान्सफर कर दिया गया और जो बिल इन्डीविजुअली डिपार्टमेन्ट्स को गये हुए थे वे वापिस पेमेन्ट के लिए लौट लौट कर आ रहे हैं और जो पेमेन्ट करने वाले स्टाफ की इस विभाग में कमी थी उसके लिए भी मंजूरी हो गई है। अब बजट भी खत्म हो रहा है। तो इस समय में बिलकुल ठीक बात है कि पिछले बिल्स जो पड़े हुए थे उनका भुगतान जल्दी किया जा रहा है विद्इन दिस फाइनेन्शियल ईयर हम कर देंगे।

दूसरी बात कलेन्डर के लिए कही गई। मेरे ख्याल से इसको रखते समय माननीय सदस्य सीरियस नहीं थे जब वह कलेन्डर की तस्वीरें दिखा रहे थे। मैं समझा नहीं कि

(श्री नाथूराम मिर्धा)

उनका क्या मकसद था इन तस्वीरों को दिखाने का। वे कभी तो फोटो जाटनी की बता रहे थे और कभी मालिन की। वे कहते थे कि ऐसा कलेन्डर क्यों निकाल दिया। डी० पी० आर० ने आठ औरतों की फोटो निकाल दी। मेरे खयाल से माननीय सदस्य ज्यादा सीरियस नहीं थे और वह मजाक की भी बात कर रहे थे। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यह ठीक बात है कि यह राजस्थान का कलेन्डर है। इसको गांव के लोगों ने बहुत पसन्द किया है।....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फोटो भी आपकी सलाह से ली गई होगी।

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं, मेरे विचारों से मेल खाते होंगे ऐसे लोगों से सलाह ली गई होगी। गांव के लोगों ने इसको बहुत पसन्द किया। ८० प्रतिशत लोग जो गांवों में रहते हैं उनको कहां मौका मिलता था फोटो में कलेन्डर में आने का। इसके लिए माननीय सदस्य को खुशी होनी चाहिए कि उन ८० प्रतिशत वालों की फोटो आती है। जब तिरछी टोपी वालों की फोटो आती है तब तो आप खुश होते हैं और जब इन गांव वालों की आई तो आप नाराज़ होते हो। लेकिन मैं इतना बता दूं कि गांव वालों ने वाकई इस कलेण्डर को बहुत पसन्द किया है और अच्छी तरह से यह चल रहा है। अगली बार जैसी आप फोटो पसन्द करेंगे वही निकलवा देंगे। मैं इनमें से दो चार को तो जानता हूं, उनके ब्लॉक्स बने हैं और छपे हैं। यह वास्तव में उन्हीं की फोटो है जिस जाति की वे बताई गई हैं....

श्री भैरोंसिंह : जिनकी फोटो हैं उनको आप जानते हैं क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हां, दो—चार को मैं जानता भी हूं।

श्री भैरोंसिंह : फिर तो आपको कांग्रेचुलेशन्स देने चाहिए कि आपने सलेक्शन अच्छा किया।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसके पश्चात, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लाइसेन्सिंग सैट्स के बारे में कहा गया और फिर उसके बारे में कहा गया कि ८०० रेडियो सैट्स आये थे और उनमें से ४०० खराब पड़े हैं और इसके बाद में आपने कहा कि उनका पेमेन्ट डी० पी० आर० से करवा दिया, सर्टिफिकेट देकर। तो इसके बारे में तो मैं इतना अर्ज़ करना चाहता हूं कि ८०० सैट्स आये हैं उसका ६० पर्सेन्ट पेमेन्ट तो गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया कर देती है सीधे ही और फिर १० पर्सेन्ट पेमेन्ट जो करना बच रहता है वह हमारा सर्टिफिकेट जाने के बाद करते हैं। तो वह सर्टिफिकेट बाकायदा रेडियो सैट्स को चैक करके और जितने रेडियोज़ का सर्टिफिकेट देना चाहिए उतने का ही दिया है और उन्हीं का वह १० पर्सेन्ट पेमेन्ट किया है और बाकी का पेमेन्ट नहीं किया है।

मेरे ख्याल से उपाध्यक्ष महोदय, जो खास खास मुद्दे की बातें थी, उनके बारे में आपके सामने काफी संक्षेप में जवाब आपके ज़रिये माननीय सदस्यों के सामने प्रस्तुत किया है और आशा करता हूँ कि अगर माननीय सदस्य मेरे जवाब को सही मानेंगे तो वे जरूर कन्विन्स्ड हो जायेंगे और हो ही गये होंगे और अपने कटौती के प्रस्ताव

(श्री नाथूराम मिर्धा)

वापिस लेंगे और इस मांग को सहर्ष स्वीकार करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामेश्वर दयाल ।

कुछ माननीय सदस्य : सारे कटौती के प्रस्ताव एक साथ ही ले लें ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव सर्व श्री रामेश्वरदयाल, भीमसेन, डॉ० बहादुरसिंह, सोहनलाल भटनागर, जुगलकिशोर चतुर्वेदी, लक्ष्मण हीरात, सम्पतराज जैन, भंवरलाल शर्मा व शिवनाथ सिंह ने प्रस्तुत किये हैं उनको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

कटौती के प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री भीमसेन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेता हूँ ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेता हूँ ।

श्री संपतराज जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेता हूँ ।

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेता हूँ ।

डॉ० बहादुरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेता हूँ ।

श्री सोहनलाल भटनागर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेता हूँ ।

श्री शिवनाथसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेता हूँ ।

श्री लक्ष्मण हीरात : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीश प्रसाद माथुर ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेना नहीं चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री जगदीश प्रसाद माथुर ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

कटौती का प्रस्ताव गिर गया ।

(विराम)

डॉ० चन्द्रकला ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव

(श्री उपाध्यक्ष)

डॉ० चन्द्रकला ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती का प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

रावराजा श्री सरदारसिंह।

प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव रावराजा सरदारसिंह ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती का प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्तावों को कतई वापिस लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इस मामले में और ज्यादा........

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव श्री मुरलीधर व्यास ने रखे है उनको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती के प्रस्ताव गिर गये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री मोहरसिंह ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती का प्रस्ताव गिर गया।

प्रश्न यह है कि मांग सं० २६, मैजर हैड ५७ मिसलेनियस को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

We now adjourn to meet tomorrow at 11 A. M.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० ५ बजकर १२ मिनिट पर कल, शुक्रवार, दिनांक १३ मार्च, १६५६ के म० पू० ११ बजे तक तक के लिए स्थगित हुई।)

संक्षिप्त-विवरण

(गुरुवार, १२ मार्च, ५६)

	स्कम्भ		स्कम्भ
तारांकित प्रश्नोत्तर	३५२६	जैतारण तहसील का सिंचाई विभाग	
अभियुक्त पीरू निवासी भाणा की गिरफ्तारी		मानसिक अस्पताल जयपुर में अपर्याप्त बेड्स	
सोजत नगरपालिका में अव्यवस्था एवं गड़बड़ घोटाला		भंवरखोल के जंगल का ठेका	
कालन्द्री रामसिन रोड़		रूपनगढ़ में डॉक्टर व कम्पाउन्डर के लिये क्वार्टर	
मर्दाना अस्पताल बीकानेर में डॉक्टर द्वारा पक्की पट्टी बांधने की एवज में धन की वसूली		तहसील पंचायत बाड़मेर में हड्डियां उठाने का ठेका	
नूरमोहम्मद तस्कर का भागना		डिविजनल पंचायत ऑफिसर्स	
ग्राम नगर तहसील देवली में मवेशियों का मेला		उदयपुर अजमेर बस सर्विस	
कोटा जिले के ग्राम सुल्तानपुर से कनवास सांगोद तक मोटर चलाना		पंचायतों को गोचर भूमि का कब्जा	
रेशनेलाइज्ड पे स्केल्स का जिला बोर्डों पर लागू किया जाना		आर. ए. सी. में नियुक्त किये गये डॉक्टर	
पुलिस विभाग के बजट में बढोतरी		बी० सी० जी० आफिसर, जयपुर के विरुद्ध इन्क्वायरी	
जिला बोर्ड के कर्मचारियों की पदोन्नति		झुंझुनू सादूलपुर फेयर वैदर सड़क	
बसों का किराया		पंचायतों द्वारा सस्ते दर पर अनाज की मांग	
सन् १९५८-५९ में अस्पतालों पर खर्च		बीदासर नगरपालिका की महिला कर्मचारियों का वेतन	
स्वर्गीय ब्रजमोहन के घर वालों को राजकीय सहायता		जयपुर से चौमू तक बिजली	
		बीकानेर जिले की डिस्पेन्सरीज में चिकित्सकों का अभाव	

Page No.119

स्कम्भ

बांकली खिवान्दी बांध तहसील बाली

जिला जल बोर्ड चूरू

बीकानेर जिले की सड़कों का अर्थ वर्क

कोटा–शिवपुरी सड़क

अस्पतालों में इमर्जेन्सी में औषधियों की खरीद

चूरू जिले की सहकारी समितियां

आयव्यक, १६५६–६०

द्वितीय अवस्था

अनुदानों की मांगों पर मतदान ३५८४

मांग संख्या २६ मुख्य शीर्षक ५७–विविध

उपरोक्त मांग श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि मंत्री, द्वारा प्रस्तावित की गई। इस मांग पर निम्न सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये :—

१. श्री रामेश्वरदयाल

स्कम्भ

२. श्री जगदीशप्रसाद माथुर
३. श्री भीमसेन
४. डॉ० बहादुरसिंह
५. श्री सोहनलाल भटनागर
६. श्री शिवनाथसिंह
७. डॉ० चन्द्रकला
८. श्री रावराजा श्री सरदारसिंह
९. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी
१०. श्री लक्ष्मण हीरात
११. श्रीसम्पतराज
१२. श्री मुरलीधर व्यास
१३. श्री भंवरलाल शर्मा
१४. श्री मोहरसिंह

कृषि मंत्री के उत्तर के पश्चात् १८ कटौती प्रस्ताव वापस ले लिये गये तथा शेष प्रस्ताव अस्वीकृत हुए। तत्पश्चात् मांग सदन द्वारा स्वीकार भी की गई।

शुक्रवार दिनांक १३ मार्च, ५६ की कार्य सूची

अनुदानों की मांगों पर मतदान

———

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५०३ का उत्तर देखिए)

DISTRICTWISE STATEMENT OF EXPENITURE INCURRED ON HOSPITAL & DISPENSARIES ETC. IN RAJASTHAN DURING 58-59 (UPTO 15th FEB..59)

Name of district.	Expenditure incurred.
AJMER DIVISION.	
Ajmer District.	31.06.430-00
Jaipur District.	25.41.491-00
Bharatpur District.	5.15.215-39 N. P.
Alwar District.	7.00.606-19 N. P.
Sikar & Jhunjhunu Districts.	3.31.700-00
Sawai Madhopur District.	2.43.509-00
Tonk District.	2.13.452-00
Dholpur Sub-Div. (Bharatpur).	2.13.606-52 N. P.
JODHPUR DIVISION.	
Jodhpur & Jaisalmer Districts.	12.46.606-63 N. P.
Pali District.	
Nagour District.	2.45.209-42 N. P.
Barmer & Jalore District.	1.50.254-00
Sirohi District.	1.17.863-21 N. P.
BIKANER DIVISION,	
Bikaner District.	11.62.996-00
Ganganagar District.	2.77.461-00
Churu District.	1.96.114-96 N. P.

1	2
KOTAH DIVISION.	
Kotah & Bundi Districts.	7.60.509-00
Jhalawar.	1.96.481-36 N. P.
UDAIPUR DIVISION.	
Udaipur District.	10.62.516-00
Chittorgarh District.	2.29.665-00
Bhilwara District.	2.50.822-86 N. P.
Dungarpur District.	1.86.234-00
Banswara District.	1.47.392-13 N. P.

NUMBER OF BEDS IN DIVISIONAL HOSPITALS & DISPENSARIES.

AJMER.	
Victoria Hospital Ajmer.	360
K. G. V. N. Maternity Home. Ajmer.	50
JODHPUR.	
M. G. Hospital, Jodhpur.	510
Umaid Hospital, Jodhpur.	300
Isolation Hospital, Jodhpur.	10
Mental Hospital, Jodhpur.	60
T. B. Cilnic, Jodhpur.*	120
Police Hospital, Jodhpur.	9
Jail Dispensary, Jodhpur.	18
BIKANER.	
P. S. N. Men's Hospital, Bikaner.	315
P. S. N. Women's Hospital, Bikaner.	249
T. B. Hospital, Bikaner.	101
Jail Dispensary, Bikaner.	11
KOTAH.	
General Hospital, Kotah.	80
Maternity Hospital, Kotah.	40
UDAIPUR.	
General Hospital, Udaipur.	369
Zanana Hospital, Udaipur.	25
T. B. Hospital, Beri (Udaipur)	24

*Observation beds.

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण गुरुवार, दिनांक १२ मार्च, १६५६)

स्कंम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
३६३२	१८	कीम	स्कीम
३६४३	अन्तिम से १०	विन	विघ्न
३६५६	२	ऐ	ऐसी
,,	४	किरा	किराया
३७०६	१	श्री पुरुषोतसल शर्मा	श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा
३७११	१४	दष्टि	दृष्टि
३७१८	७	दर	दूर